

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, रोड नं-18, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : rajyastar@nic.gov.in

विषय— राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 04/02/2020 को संघन 309वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 309वीं बैठक की तैयारी संबंधी अवगत राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अवसूचना की दिनांक 04/02/2020 को संघन हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. डॉ. सोहन ठाकुर अवगत, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार शीखा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.बबनू साहू, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक शिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री मोसालम किल्लस संदिपान, सदस्य समिति, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों का निम्नांकित विषय किया गया—

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1	दिनांक 16/01/2020, 17/01/2020, 18/01/2020 एवं 20/01/2020 को संघन क्रमांक 309वीं, 308वीं, 307वीं एवं 306वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
------------------------	--

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 305वीं, 306वीं, 307वीं एवं 308वीं बैठक क्रमांक दिनांक 16/01/2020, 17/01/2020, 18/01/2020 एवं 20/01/2020 को संघन हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से ऊक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

1. मैसरी श्री सुनिल कुमार घटेज (अन्योहा संशोधी माईन, धाम-बलुजबहार, ताहसील-कनसाबहार, जिला-जगपुर), बीरे रायगढ़, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 1056)

अींगलाईन आवेदन - अवेदित क्रमांक - एसआईए / सीपी / एफआईएम / 130003 / 2018, दिनांक 12/12/2018।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (गोम खनिज) है। यह खदान धाम-बलुजबहार, ताहसील-कनसाबहार, जिला-जगपुर जिला पार्ट अींग कनसा क्रमांक 01, ब्लॉक अींग वीक 2, सेक्टर में प्रस्तावित है। कुलखन ईव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित कुलखन क्षमता-60,000 मलपीटा प्रतिवर्ष है।

मैसरी का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तमम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:-

1. रेल प्रस्तावना हेतु प्रस्तावित खदान पर प्रति हेक्टेयर 4 दिग्गुणी का डिग क्लस्टर, वर्तमान में रेल सतह से अवेदित 3 Levels लेकर डिग रेल से प्रदर्शित कर प्रस्तुत किचे जाये। कुल अवेदना 3 Levels हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किचे जाये। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किचे जाये। डिग रेल में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रत्येकवार खनना फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किचे जाये।
2. रेल प्रस्तावना हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की नोंटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नब्बक (नू) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गहराई हेतु पर्याप्त नों प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नोंसाई एवं नोंसाई तथा नदी के घाट की नोंसाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित खनन पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निधीलम प्राधिकरण (एनईआई,ए.ए.) प्रतीसक अंशर जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निधीलम प्राधिकरण (पीईआई,ए.ए.) प्रतीसक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित जारी के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य की कुलखन की अंशरन किचि की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संशोधित है, तो डिगल नक्सी में किचु गए प्रस्तावना की वास्तविक नक्सी की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) को सख्त आगामी मही की आवेदित रीपोर्ट में संपर्कित समस्त सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज (अच्छातन सीटीआरएफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

समानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को एसईएसी, खनीयता के मामले दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अग्रिम पुनः अतिरिक्त प्रतिनिधि एवं भी विवेक साधु, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि काई गई—

1. ग्राम मंडाया का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेत खदान के सख्त में ग्राम मंडाया अनापत्ति दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाविट/सीमाविट – कार्यालय कलेक्टर, खनिज सख्त के ग्राम प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाविट/सीमाविट का शामिल है।
3. खदान योजना – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सख्त संकायक (खं.प्र.), जिला-जयपुर के ग्राम क्रमांक 2174/खनिज/खनि.3/खदान पौ./2019 जयपुर दिनांक 29/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जयपुर के ग्राम क्रमांक 336/खनिज/खनि.3/रेत/2019 जयपुर दिनांक 06/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की तस्वीर निकाली है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जयपुर के ग्राम क्रमांक 336/खनिज/खनि.3/रेत/2019 जयपुर दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जहां खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, डी.एम. एपीकॉट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण – एल.जी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-जयपुर के ग्राम क्रमांक 278/सी.एम. ख./सी.एम.टी./न.प्र./19 जयपुर दिनांक 16/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट जिला में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सख्तपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम सखती ग्राम-बसुआबाबा 1 कि.मी., स्कूल 3 कि.मी. एवं अस्पताल 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 293 कि.मी. एवं सड़क मार्ग 0.205 कि.मी. दूर है। स्थित रेत खदान के

अवतलकूप में 305 मीटर की दूरी पर नुन स्थित है। एनईकट की दूरी 800 मीटर से अधिक है।

9. परिसिध्दिक्रीड/जीवविधिया संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रमुख निर्यात बाई पास घोषित क्रिस्टिकली पोल्सुटेड एरिया, परिसिध्दिक्रीड संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविधिया क्षेत्र स्थित नहीं होना अनिवार्य है।
10. खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 325 मीटर, न्यूनतम 315 मीटर तथा खान स्थल की चौड़ाई – 128 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से पूर्वी किनारे से दूरी 40 मीटर एवं पश्चिमी किनारे से दूरी 140 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की गहराई – आवेदन अनुसार खान पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खान की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनिंग रेत की मात्रा – 60,000 टन/मीटर है। रेत प्रदान हेतु प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साहब की चौड़ाई खानने के लिए प्रति हेक्टर पर कम से कम एक गड़डा (1m) चौड़ाई वाली वार्षिक गहराई का सफा कर, खनिज विभाग से प्रमाणित आख्याय प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान पर 3 गड़डा 1m चौड़ाई परसमें रेत साहब की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध गहराई 3 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु परचाला भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत साहब की लेवल्स – रेत प्रदान हेतु प्रस्तावित खान पर प्रति हेक्टर 4 मिन्टुली का विश्व बनावट मानान में पोस्ट-मोनसून (Post-Monsoon) बादा दिनांक 30/01/2020 को रेत साहब की लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण प्राप्त फोटोडायल सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/08/2018 में अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के कन्स विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 60	2%	Rs. 1.20	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Beluwabanar	
			Ran Water	Rs. 0.30

			Harvesting System	
			Potable drinking water facility	Rs. 0.20
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Solar lighting system	Rs. 0.30
			Plantation work	Rs. 0.20
			Total	Rs. 1.30

15. जो प्रयत्न नियोजन विधि से एवं तबाई का कार्य सीधा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. समिति को संज्ञान में यह तथ्य आया कि -

1. नये Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 की अनुसार-

"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (s) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side."

2. वायव्य में जीएन पुल से 205 मीटर की दूरी तक स्वीकृत है। नये एनफोर्समेंट अनुसार स्वीकृत के अंदर के डाउनस्ट्रीम में पुल से कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अब अतिरिक्त 205 मीटर तबाई को गैर सर्टिफिकेट क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जानी होगी।

17. कुलरोपम बार्ड - उपनिवेश के आधार पर नदी तट पर कुल 800 मी चौड़े - 300 मी लंबे अर्धवृत्त की चौड़े तथा डेढ़ 300 मी (जामुन, अटल, बंस, आम जर्दि) चौड़े लगाने जयेंगे। यहूत कार्य पर 300 मी चौड़े लगाने जयेंगे।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. नये एनफोर्समेंट अनुसार विल वायव्य सेट्ट अतिरिक्त 205 मीटर तबाई को गैर सर्टिफिकेट क्षेत्र घोषित कर, गणना प्रस्तुत की जाए।

2. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

परिपोषण प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री ईपी अग्रवाल (टांगरवाग रोड भाईन, बाल-टांगरवाग, लखीस-कासाबेल, जिला-जयपुर), अधिकारु रोड, लखीसवाग, जिला-जयपुर (सचिवालय का नली संख्या 1058)

ऑनलाईन अडरेस - एपोजल नम्बर - एसआईए / सीसी / एनआईएन / 131007 / 2018 दिनांक 13 / 12 / 2018।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेल खदान (सीन खनिज) है। यह खदान राम-टांगरनांग तहसील-साखवेस, जिला-जशपुर स्थित आई जीके संख्या अनांक 828, प्लॉट जीजे संख्या 5 रोडवेज में प्रस्तावित है। खदान में नदी से किन्ना जल प्रस्तावित है। खदान की आवधिक जनकता-1,00,000 घनफीट प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा खदान की नदी एवं प्रस्तुत जनकता का परीक्षण तथा तात्कालिक सर्वसाधकता से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. रेल खदान में प्रस्तावित स्थल का जमी रोडवेज 4 किन्चुई का रिड प्रमाण परीक्षण में रेल सतह की लेवल (Levels) लेकर रिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concepted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में अर.एन. सी-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उचित किये जायें। रिड में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी एसीकर उन्ही खनिज विभाग से प्रमाणीकरण प्रमाण फोटोग्राफ सहित जनकता/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेल खदान में प्रस्तावित स्थल पर खनिज में उपलब्ध रेल की मोटाई जानने के लिए जमी रोडवेज में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी कार्टोग्राफ गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रस्तावित जनकता प्रस्तुत की जाए। रेल की धारणात्मक गहराई हेतु योजना में प्रस्तुत किया जायें।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के बेट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवधिक स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिनियम (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक अथवा रिजल सही पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिनियम (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवधिक जारी के खनन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुरातन की अवगत स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से प्रस्तावित है, तो रिगत वर्ष में किए गए खदान की आवधिक जल की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार पर्यावरण एवं जल संसाधन विभाग संशोधन न्याय नई दिल्ली के जो.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनिज विभाग एवं पर्यावरण प्रसाधक को खदान में रेल की लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ जमागी गड्ढे की आवधिक रिड में उपरोक्त संशोधन सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अवगत फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपरोक्त खनिज विभाग एवं पर्यावरण प्रसाधक को एन.ई.ए.सी., उत्तीर्णक के द्वारा दिनांक 21/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु बुधित किया गया।

(ब) समिति की 30वाँ बैठक दिनांक 04/02/2020

अनुसूचितकाल हेतु की हेमो अद्ययावत, कोन्सर्टेड एव की विवेक सलू, कनि विरिक्तक उपस्थित हुर। समिति द्वारा मसौ, प्रस्तुत कामकाश की अद्ययावत एव परीक्षण करने एव निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम मंचावत का अनापति प्रमाण पत्र - ग्राम मंचावत की संबंध में ग्राम मंचावत हादिसनाथ का दिनांक 02/10/2019 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाविश/सीमांकित - कार्यलय कलेक्टर, (कनिज सचवा) की प्राल प्रमाण पत्र अनुसूत का खदान विन्दाविश/सीमांकित बन घोषित है।
3. कालनाय घोषणा - जारी प्राल प्रस्तुत किया गया है, जो उप घोषणाक (ख. 8.) विना-जसपुर की प्राल क्रमांक 2227/कनिज/क.नि.3/हादिसनाथ को /2019 अधिसूत, दिनांक 10/12/2019 द्वारा अनुसूचित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (कनिज सचवा), विना-जसपुर की प्राल क्रमांक 341/कनिज/क.नि./वेत/2019 जसपुर, दिनांक 06/12/2019 की अनुसार अधिसूत खदान की 500 मीटर की मीटर अधिसूत अन्य वेत खदानों की सूखा विवेक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (कनिज सचवा), विना-जसपुर की प्राल क्रमांक 344/कनिज/क.नि./वेत/2019 जसपुर, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जसपुर के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मसजद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, डीम, एनीकट एव अन्य उपरि अधि घोषित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यलय कलेक्टर (कनिज सचवा), विना-जसपुर की प्राल क्रमांक 277/गोप.कनिज./वेतानी/प.ज./2019, जसपुर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी कपी 2 वर्ष हेतु वेत है।
7. विन्दाविश सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित प्राल में विन्दाविश सर्वे रिपोर्ट (Disaster Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महापूरन संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी वस-टावरनाथ 1 कि.मी., स्कूल 1 कि.मी. एवं अस्पताल 3.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। पुल 505 मीटर दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना परतलक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आस-पासीय सोना, राष्ट्रीय खदान, अनापति, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विन्दाविश संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होने अधिसूचित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घट की भीखाई एवं खदान की नदी घट से दूरी - कार्यलय अनुसार खनन स्थल पर नदी के घट की भीखाई - अधिकतम 205 मीटर, न्यूनतम 150 मीटर जब खनन स्थल की भीखाई - 80 मीटर पराई गई

है। खदान की नदी तट के सरासरी किनारे से दूरी 25 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी 30 मीटर है।

11. खदान खान पर पेश की गौदाई – आवेदन अनुसार खान पर पेश की गौदाई – 5 मीटर तथा पेश खान की प्रस्तावित गौदाई – 2 मीटर बरसई गई है। अनुमेयित गौदाईय खान अनुसार खदान में गौदाईयक पेश की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। पेश उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर पेशखनन से उपजाया पेश खान की गौदाई खानने से लिए प्रति हेक्टरवार 4 टन से कम एक मट्टका (MT) खादकर एककी वास्तविक गौदाईयक खान कर, खनिज विभाग से अनुमेयित प्रस्तावकी प्रस्तुत की गई है। रिचार्ज अनुसार पेश उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 मट्टका (MT) खादकर खानने पेश खान की गौदाई खानने से अज्ञान पर, खनिज में पेश की उपजाया गौदाई 2 मीटर है। पेश की वास्तविक गौदाई हेतु खानना की प्रस्तुत किया गया है।
12. दूरी में जारी पर्यावरणीय शोभक संबंधी विवरण- इस खदान को दूरी में पर्यावरणीय शोभक जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में पेश खान की लेवल - पेश उपखनन हेतु प्रस्तावित खान पर प्रति हेक्टरवार 4 बिन्दुओं का डिग बनाकर खानना में पेश-खानना (Post-Monsoon) काटा दिनांक 30/01/2020 को पेश खान की लेवल (Levels) लेवल, पेश खनिज विभाग से खाननीकरण परखत खाननायक खनिज खाननायक/खाननायक प्रस्तुत किया गया है।
14. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – नारायण खान, खानना, पेश और खानना परिकल्पना खानना, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार खानना (Corporate Environment Responsibility) हेतु खाननी से खानना विभाग से खानना खाननायक खाननायक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)
Rs. 87	2%	Rs. 1.74	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Tangraon	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Potable drinking water facility	Rs. 0.20
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Solar lighting system	Rs. 0.40
			Plantation work	Rs. 0.34
Total			Rs. 1.74	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. यह उल्लंघन वैशुध्दल विधि से एवं गहराई का कार्य लोडर द्वारा कवरता जाना प्रस्तावित है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उल्लंघन को अनुमोदी नहीं है। अनुमोदित उल्लंघन योजना में उल्लंघन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण शकती अध्ययन कार्य एवं लागतकी आंकड़ों का ब्यवहार नहीं किया गया है। नदी नदी छोटी नदी है तथा इसने वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (घास-टागरगाव) का सतह 5 इंचेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में खोदल / संवर्धित खदानों का कुल संभवतः 5 इंचेयर से अधिक का कवरता निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की बानी नहीं।
2. वृष्टाशोषण कार्य — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 म² चौकी - 500 म² आर्बुन की चौकी तथा क्षेत्र 500 म² (खानुन, कारवा, कस, जल आदि) चौकी समाप्त जावेंगे। खुद माल पर 500 म² चौकी लागत जावेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राउंड अध्ययन (Ground Study) करावेगा, ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) बाधत नहीं आवेगी, रेत उल्लंघन का नदी, नदीतट, स्थानीय समुदाय, जीव एवं वृक्ष जीवन पर प्रभाव तथा नदी की बनी की गुरुता पर रेत उल्लंघन को प्रभाव की गरी प्राथमिकता जाना हो सके।
4. रेत पुनर्भरण की स्थिति को अधिकतम हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह माह 2020 के अन्त में मानसून पूर्व रेत उल्लंघन समाप्त होने की बाध रेत खदान में पूर्व निर्धारित विश्व किन्दुओं तथा जीव की अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल Level का मापन भी लिए जावेंगे। इसको अलावा खान जीव के बाध / नदी तट (बोनी) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल Level का मापन भी किया जावेंगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उल्लंघन प्रारंभ करने के पूर्व माह मानसून पूर्व इन्ही विश्व किन्दुओं पर रेत सतह के लेवल Level का मापन किया जावेंगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े विराम 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अपर 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एचई-आई,ए,ए, प्रतीसंगत की प्रस्तुत किए जावेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विश्व किन्दुओं पर रेत सतह के लेवल Level का मापन का कार्य अगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जावेंगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से श्री टीपी अग्रवाल, टागरगाव रोड स्टेशन की घाट और खान प्रस्तावक द्वारा घास-टागरगाव, वहाली-काठवेर, विना-जखुर, कुल लीज क्षेत्र 5 इंचेयर में रेत उल्लंघन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 80,000 वर्गमीटर अधिकतम हेतु परिधि-01 में सीमित हारी के अधीन पर्यावरणीय नदीद्वि जारी

दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु विद्ये जाने की अनुमति की गई। इस की सुझाई अनिवार्य दस्ता (Mandatory) की जाएगी। विद्ये बैंड में सभी वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। जीएल बैंड में स्थित रेल सुझाई गार्ड (Enclosed area) से आवेग गार्ड रेल का स्विचिंग टैबल टूटने द्वारा किया जाएगा।

राज्य सार पर्यावरण समावादा निर्धारण प्रतिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीयसद की तदनुसार सुचित किया जाए।

1. गेवारी की विरोध कुलर अवकाश (राजपुर रोड गार्ड, ग्राम-राधापुर, तहसील-सीतापुर, जिला-सम्भुजा), छत्तिस नकाश चौक, तहसील- अम्बिकापुर, जिला-सम्भुजा (अधिकारक का नक्सी क्रमांक 1080)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीडी/ एनआईए/ 134410 / 2019, दिनांक 14 / 03 / 2019।

उपरोक्त का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (गोप-खनिज) है। यह खदान ग्राम-राधापुर, तहसील-सीतापुर, जिला-सम्भुजा स्थित गार्ड ऑफ खसरा क्रमांक 285, कुल लंबाई क्षेत्रफल 6 हेक्टर पर प्रस्तावित है। खदानन स्पष्ट नहीं से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित खदानन क्षमता- 77,804 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16 / 01 / 2020:

समिति द्वारा उपरोक्त की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा जानकारी सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. रेल खदानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टर पर 4 स्तंभों का पिंड स्थापित, सर्वेक्षण में रेल सार के लक्षण Levels लेवन डिस्टेंस में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाए। उष्ण लेवल Levels हेतु कम से कम 2 टैन्करी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाए। टैन्करी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किया जाए। पिंड में 2 टैन्करी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण करवाए फोटोग्रामस सहित जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाए।
2. रेल खदानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपरोक्त रेल की गेवारी खानों को लिए, प्रति हेक्टर में कम से कम एक गार्ड (गार्ड) खोदकर प्रत्येक प्रस्तावित गेवारी का स्थान कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की प्रस्तावित गेवारी हेतु खदानन भी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित सार पर खदान हेतु राज्य सार पर्यावरण समावादा निर्धारण प्रतिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीयसद अथवा विद्ये राष्ट्रीय पर्यावरण समावादा निर्धारण प्रतिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीयसद द्वारा पर्यावरणीय शीकरी की गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय शीकरी की प्रति एवं अतिरिक्त सारी की प्रदान में की गई शीकरी की जानकारी फोटोग्रामस सहित प्रस्तुत की जाए। सार की सुझाई रेल खदानन स्थिति की जानकारी फोटोग्रामस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विद्ये पूर्वी से विद्ये पर खदानन की प्रस्तावित नकाश की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अधिनियम दिनांक 01/08/2018 को अनुमति प्रोद्दिष्ट। (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
7. खनि निर्देशक एवं परिवर्तन प्रस्तावक को खदान में गैर की लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ आगामी माह की अधीनस्थ गैरक में उपस्थित समस्त सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज (आवतन फोटोचलन) सहित प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

समानुसार खनि निर्देशक एवं परिवर्तन प्रस्तावक को एमईएनई, उत्तरीप्रदेश के आगम दिनांक 31/01/2020 द्वारा अनुमतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 329वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

अनुमतीकरण हेतु की प्रस्ताव देय पर्यावरण, अधिभूत अधिनियम उपस्थित हुए। समिति द्वारा गयी, प्रस्तुत जानकारी का अधीनस्थ एवं परिवर्तन करने पर निम्न विधि गई गई -

1. धाम पंचायत का अधीनस्थ प्रमाण पत्र - गत उत्तराखण्ड के संकेत में धाम पंचायत प्रमाण दिनांक 15/10/2018 का अधीनस्थ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दावित/सीमावित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज खाद्य से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दावित/सीमावित कर घोषित है।
3. संरक्षण योजना - जारी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है जो उप संकेतक (ख, घ), जिला-सन्तुजा के आगम क्रमांक 2228/खनिज/ख.लि.3/आवतन को /2019 अधिभूत, दिनांक 11/12/2019 द्वारा अनुमति है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-सन्तुजा के आगम क्रमांक 2247/खनिज/ख.लि.3/ख/2019 अधिभूत, दिनांक 11/12/2019 के अनुसार अधिभूत खदान को 500 मीटर की भीतर अधिभूत अन्य खदानों को संकेत निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-सन्तुजा के आगम क्रमांक 2244/खनिज/ख.लि.3/ख/2019 अधिभूत, दिनांक 11/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान खदान को 200 मीटर की परिधि में कोई भी भूदिर, संचय, आवतन, स्कूल, बांध, एनईएट एवं जल आपूर्ति आदि अधिभूत क्षेत्र निर्मित नहीं है। इसकी अधिभूत भूज/बीज/कलक्ट 106 मीटर दूर है।
6. एल.ओ.आई. का स्थान - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-सन्तुजा के आगम क्रमांक 2104/खनिज/ख.लि.3/ख/18 अधिभूत, दिनांक 22/11/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अधिभूत दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्मित प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निम्नखान आवतन वल-सन्तुजा, 1 कि.मी. स्कूल 1 कि.मी. एवं आवतन 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0-105 कि.मी. एवं राजमार्ग 24.4 कि.मी. दूर है। स्वीकृत गैर खदान को आवतन में 100 मीटर की दूरी पर पुन किया है।

9. **परिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** -परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमी की परिधि में आसपासकीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित प्रकृत्य विधायन क्षेत्र द्वारा अधिकृत कृषिकारी पॉल्युटेड क्षेत्र, परिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र का अधिकृत जैवविविधता क्षेत्र किता नहीं होना घोषित/का किता है।
10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी छूट से दूरी** - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के छूट की चौड़ाई - अधिकतम 240 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 55 मीटर बरखाई गई है। खदान की नदीछूट के पलायी किनारे से दूरी 50 मीटर एवं उद्विगी किनारे से दूरी 3 मीटर है।
11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 2 मीटर बरखाई गई है। अनुमेयित मोटाईय चान अनुसार खदान में मोटाईय रेत की मात्रा - 77,204 घनमीटर है। रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खननन में उपलब्ध रेत सात की मोटाई जम्मे की किता प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़डा (मि) खोदकर उसकी कारखंडिक मोटाई का मापन कर खनित किताग से प्रस्तावित खननकारी प्रस्तुत की गई है। किताके अनुसार रेत उपलब्ध हेतु प्रस्तावित स्थल में 5 गड़डा (मि) खोदकर वहाँ रेत सात की मोटाई जम्मे की आधार पर खननन में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है। रेत की कारखंडिक मोटाई हेतु पर्यवेक्षण भी प्रस्तुत किता गया है।
12. **पूरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**- इस खदान की पूरे में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. **खदान क्षेत्र में रेत सात के लेवलस** - रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 6 बिन्दुओं का डिग उपलब्ध खननन में कर-कानसू (Post-Monsoon) काय किनांक 29/01/2020 को रेत सात की लेवलस (Levels) करार, वनी खनित किताग से प्रभागीकरण उपलब्ध स्वीकृतिपत्र किता खननकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किता गई है।
14. **ऑपरिट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसू परिधान संसदर गई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 की अनुमान मोटाईयार (Corporate Environment Responsibility) हेतु अगिति के समत दिशात से कर्य उपलब्ध निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किता गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 75	2%	Rs. 1.55	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Radhapur	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Potable drinking	Rs. 0.20

			water facility	
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.30
			Solar lighting system	Rs. 0.40
			Plantation work	Rs. 0.25
			Total	Rs. 1.55

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत उल्लेख एक नए में उल्लेख किया जाए।

15. यह उल्लेखन मैनुअल विधि से एवं नहरों का कार्य लीडर द्वारा बताया जाता प्रस्तावित है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि चैनल में पुन की लंबाई 200 मीटर सुनिश्चित किए जाने तथा नदी घाट के चौड़ाई के 10 प्रतिशत क्षेत्र छोड़े जाने के लिए लीडर क्षेत्र में 11,048 वर्गमीटर क्षेत्र को वेर माइनिंग क्षेत्र कहा गया है। नये माइनिंग अनुदान पुन से 250 मीटर तथा नदी घाट के चौड़ाई के 10 प्रतिशत क्षेत्र छोड़े जाने पर कुल 18,573 वर्गमीटर वेर माइनिंग क्षेत्र होता है। अतः यह उल्लेखन का कार्य 3.44 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की नहरों तक उल्लेखन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उल्लेखन योजना में उल्लेखन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक वेर पुनभरण राशियाँ अत्यधिक कार्य एवं अत्यधिक अंकुशों का समावेश नहीं किया गया है। चान्द नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर नहरों से अधिक वेर का पुनभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आरेखित खदान (खान-खरपुर) का संचालन 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसर में लीक्यूट/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का प्रस्ताव विनियम नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की माने लयी।
2. पूंजाशेष कार्य - प्रस्ताविका के आकार पर नदी घाट पर कुल 1,000 नग चौड़े - 500 नग अर्धुन से चौड़े तथा क्षेत्र 500 नग (जामुन, करंज, खेत, आम आदि) चौड़े बनाने का कार्य एवं 500 नग चौड़े लगाने का कार्य।
3. परियोजना प्रस्तावक ने खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अत्यधिक (Subsidence likely) संभावना, यदि वेर की पुनभरण (Replenishment) कार्य नहीं आकारों वेर उल्लेखन का नदी, नदीघाट, स्थानीय प्रभावित, जीव एवं मनुष्य जीवी पर प्रभाव तथा नदी से खनी की गुणवत्ता पर वेर उल्लेखन के उभाव की सभी जागरूकता प्रकाश हो सके।
4. वेर पुनभरण की विधि से अंकुशल हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहर नई 2000 की अंश में सामान्य पुन वेर उल्लेखन संभव होने के कारण वेर खदान में पुन निर्धारित वेर विनियमों तथा लीडर के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के वेर सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी लिए जाएं। इसके अलावा खान लीडर की लहर / नदी घाट (सीमा) से 100

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (स्थानित कार्यालय, जिला-दुर्ग) के द्वारा क्रमांक 888 दिनांक 19/08/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्राथमिक खदान की 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें कक्षा 25.55 हेक्टेयर सीमित / विद्यमान हैं।
4. महावपूर्ण सरचनाओं की दूरी – निकटतम जलवादी काम-सहनाथ 150 मीटर, जलमयिख स्कूल काम-सहनाथ 150 मीटर, प्राथमिक जलवादी केंद्र काम-सहनाथ 210 मीटर एवं अन्य स्टेशन गिजाई पीपल होटल 18.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी एवं राजमार्ग 275 मीटर हैं। सिधनाथ नदी 225 मीटर एवं नाला 200 मीटर दूर हैं।
5. परिसिधितकीय/जैवविधिता सीट-सीटल क्षेत्र – गणितोयन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरांजनीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, जलवादी, जैविक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीमित क्रिटिकली पोल्युटेड क्षेत्र, परिसिधितकीय सीट-सीटल क्षेत्र या सीमित जैवविधिता क्षेत्र स्थित नहीं होना परिशिष्टित किया है।
6. सीमा का विवरण – पूर्व में स्थित परिसिधितों के संयोजन हेतु श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर एल.सी.आई, दिनांक 27/03/2010 को जारी किया गया था। पाईपल प्लान की राजेन्द्र सिंह के नाम पर दिनांक 30/12/2010 को अनुमोदित किया गया। सीमा एवं श्री राजेन्द्र सिंह की जमीन वाली सीमा की लानमति सिट के नाम पर दिनांक 29/08/2012 को इस्तानित हुई। सीमा क्षेत्र 30 वर्ष के लिए दिनांक 28/08/2012 से 28/08/2042 तक की अवधि हेतु है।
7. जियोडैमिकल रिजर्व 24,58,125 टन एवं वाईनेबल रिजर्व 18,08,125 टन हैं। जलमयिख सिट के संयोजन किया जाता है। काम युनिट (100 TPD) 0.26 हेक्टेयर पर स्थित है। खदान में डस्ट क्लेयरिंग की संयोजन हेतु जल सिटकाय की संयोजन एवं खदान को क्लेयरिंग किया गया है। खदान में खदानें 8 मीटर हैं। खदान की प्रस्तावित सीमा गहराई 30 मीटर होगी। जलमयिख क्षेत्र की गहराई 3 मीटर एवं सीमा 4 मीटर होगी। ऊपरी सिट की सीमा 3.5 मीटर है। खदान की संयोजित आयु 31 वर्ष है। डिजिटल हेतु जैक डैम ट्रेल का संयोजन किया जाता है। संयोजित किया जाता है। जल की मात्रा 8.53 किलोमीटर प्रतिदिन है। जल का स्रोत बोरोल/हेक्टेयर है। खदान में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिटकाय किया जाता है। सीमा क्षेत्र को बायो जोन 7.5 मीटर (7.510 किलोमीटर) क्षेत्र में प्रस्तावित किया जाएगा। जल का जल संयोजित करने हेतु जल संयोजन संयोजन (खदान) निर्मित की जाएगी। दिनांक 8 वर्ष के संयोजन का सिटकाय सिमानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	संयोजित खदान (टन)
2013-14	निरा
2014-15	10,580
2015-16	11,420
2016-17	7,400
2017-18	निरा

खदान की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	इसकालिय उत्खनन रकबा (टन)
2017-18	90,826
2018-19	77,187
2019-20	73,150
2020-21	81,082
2021-22	81,562
कुल	2,93,786

नोट: आसिका में शामिल हो कर ही अंशों का सार्वजनिक किया गया है।

8. पूर्व में जारी पर्यवेक्षणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस दौरान जो पूर्व में पर्यवेक्षणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है:

एस.ई.टी.सी., जलसंधारण के प्रारण दिनांक 08/02/2018 द्वारा अधिसूचना का. 32, 1000 (अ) दिनांक 08/02/2018 के अन्वयानों के अनुसार इन्फॉर्मेटिव इन्वीज्मट अधिसूचना रिपोर्ट, इन्फॉर्मेटिव सनेजमेंट प्लान आदि वेबस्ट करके हेतु भाग 148000, पर्यावरण, एवं और जलसंधारण परिवर्तन संशोधन द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित की गई 1(1) का स्टीम्पड टैबुलेशन (लोक सुनवाई सलाह) नीचे जोल माईनिंग प्रोसेज्मट हेतु टैबुलेशन जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., जलसंधारण के प्रारण दिनांक 15/02/2018 द्वारा परियोजना प्रसाधक के विस्तृत पर्यावरण (संशोधन) अधिनियम, 1986 के अन्वयानों के अनुसार ध्यानिक कार्यवाही करने एवं अन्वयान सम्पत्ति / संशोधन सम्पत्ति जारी नहीं किया जाने हेतु जलसंधारण पर्यावरण संशोधन संशोधन को अनुसंधान एवं प्रेषित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्री, प्रस्तुत जानकारी का अन्वयोजन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - सैनित्तीय कार्य अन्वयान 2018 से विस्तार 2018 के मध्य किया गया है। 10 विज्ञापित से अंतरगत 18 स्थानों पर परियोजना वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-सतह गुणवत्ता मापन, 13 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 6 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर निट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. सैनित्तीय परिवर्तन के अनुसार पी.एन.₂ 24.6 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एन._x 83 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ₂ 14.2 से 18.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल की आसपास जल सतहों की गुणवत्ता पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान है। परियोजना ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए बना गया।

समिति द्वारा तालमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. नया कालकर पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन संज्ञासूचक, नई दिल्ली के जीएम दिनांक 01/08/2018 के अनुसार गैरईकाए (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रसायक को जलवायु चक्र की अर्थात्कृत डेटा में उपरोक्त तालमय सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अच्छातन कोटोड्राफ़र) सहीत अस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रसायक को एचआईएसी, अस्तीभावक के दायन दिनांक 21/01/2020 द्वारा अस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

अस्तुतीकरण हेतु की श्रीमुख अधिसूक्त प्रतिनिधि एच कोटेश्वर तालमय के रूप में मेसर्स इन सिट्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्प, भीवाल की ओर से की किया साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसी, अस्तुत जानकारी का अद्योतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रसायक द्वारा बताया गया कि जलवाही से मार्च 2016 तथा 1,770 टन एच वर्ष 2016-17 में 2,300 टन उत्खलन किया गया है। तदुपरांत से उत्खनन बंद है।
2. जीव क्षेत्र के सारी और 7.5 मीटर क्षेत्र में खुदा क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत सडुनित प्लान में उपरी मिट्टी के रकम-रकम को संजघ में दिने गई प्रस्ताव अनुसार "The generated top soil will be utilized for plantation on the 7.5 meter non mining limit zone over the old soil dump area (0430 sqm) some fresh area about 2300 sqm and the height of the soil dump will be about 100 meter and cover about 0180 sqm area (including about 20% extra area for swelling and angle of repose will be maintained as 28°)" द्वारा बताया गया है। जबकि वास्तव में 1.88 मीटर की उंचाई तक ही रकम जा सकता है। रकम प्रस्ताव तथ्याचारी रूप से सुविधानुक्त नहीं है।
4. प्रस्तुत ईआईए में ध्वनि को प्रभाव का आच्छलन तथा ध्वनि परिक्षण (Noise Monitoring) नहीं किया गया है।
5. सीमेंटिंग परिक्षणों को अस्तुत परिक्षणीय वायु में पीएम₁₀ 83 में 1427 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
6. वनबंधन आवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / सुधारा नहीं होने, पानी की कटाई नहीं किए जाने आदि को तालमय में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. परियोजना प्रसायक द्वारा गैरईकाए (Corporate Environmental Responsibility) का अस्तुत प्रस्ताव (प्रस्तावित प्रस्तुत / अस्तुत का नाम, यात एवं सडुनित वायु का विश्लेषण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. कालकर हेतु कौशल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. परियोजना हेतु प्रसायक पाल की अस्तुती अस्तुतन में सडुनित कोडोल से किया जाता बताया गया है। तबत हेतु कौशल प्रस्तावक कोटन अधीनस्थ से प्राप्त अस्तुतीकरण प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इन्वॉल्वमेंट वेनेजुवेट वाइली की जलवाही प्रस्ताव नहीं की गई है।
11. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को 1200 बजे स्वयं शासकीय तहसिल मुख्या की पुस्तक के सामने डाम-मैडेंसरा तहसील-अरुण, जिला-दुम-ने संलग्न हुई। लोक सुनवाई इलाहाबाद सदरत कठिन, अलीगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल मंच, जिला-रायपुर के एक दिनांक 28/11/2019 को प्रेषित किया गया है।
12. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाय/विषय प्रस्तुत किये गये हैं-

1. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिंदरा से पीछा होकर चोक जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी खानियाँ खली है, जो स्थिति चोक नहीं है तथा सड़कें अभाव में ही रहती है। इन चार्ज का डी.एम.एच. से प्रयास करके से संतान्ण बनाया जाये। डी.एम.एच. से कोई विचार नहीं हुआ है।
2. मिट्टी का सभ्य पर अहिंदरा होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर अहिंदरा होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे अहिंदरा एवं अभाव की चालु होना अपने सामने एक नियम लागू होना। उसकी चालु नियमों का अनुपालन किया जाए। अभाव की सुरक्षा करके होकर अहिंदरा की व्यवस्था होनी चाहिए। अहिंदरा से निकलने वाली धानी को मुख्य में फलाने की विचार्यें हेतु प्रदान किया जाए।
3. प्राथमिकता के अभाव पर संश्लित धानी को लोगों को ही बेचना दिया जाना चाहिए।
4. अहिंदरा में चालु एवं अहिंदरा प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। अहिंदरा के नियंत्रित मापदण्डों को अनुसंधान अहिंदरा का संतान्ण होना चाहिए।
5. अहिंदरा में कोई भी सुरक्षित नहीं किया गया है। अहिंदरा 300 मीटर से भी गहरी अहिंदरा है, जिसका धनी अहिंदरा नहीं है। जिससे सुरक्षित भूमि प्रभावित हो रही है। धानी से कोई विचार कार्य नहीं हुआ है। अहिंदरा हेतु सुरक्षित नहीं किया गया है। अहिंदरा के बहुत अहिंदरा जारी है। अहिंदरा के रूप में अहिंदरा की विचार का रहा है।
6. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी खानियाँ खली है, अहिंदरा बहुत अहिंदरा होनी है। अहिंदरा नहीं है चोक लागू जाए। चोक का भी संतान्ण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का अहिंदरा निम्नानुसार है-

1. डी.एम.एच. की शक्ति का अहिंदरा की शक्ति से अहिंदरा अहिंदरा के अहिंदरा से अहिंदरा का कार्य किया जाएगा।
2. अहिंदरा नियंत्रण हेतु अहिंदरा अहिंदरा एवं अहिंदरा की व्यवस्था की जाएगी।
3. विभिन्न परियोजनाओं को अहिंदरा पर अहिंदरा अहिंदरा को अहिंदरा अहिंदरा अहिंदरा हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व से ही अहिंदरा में अहिंदरा अहिंदरा के भी अहिंदरा अहिंदरा किया जाएगा।
4. अहिंदरा अहिंदरा 30 मीटर नीचे है। अहिंदरा की अहिंदरा अहिंदरा अहिंदरा 30 मीटर से कम नहीं जाएगी।

- अ. जो खदानें बंद नहीं हैं, उनमें वर्षों का पानी जमावड़ा है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षों का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से निष्कासना/अवसर्जनानुसार खुदों को भी दिया जाएगा।
- ब. सभी खदानें अपनी नीज क्षेत्र में संरक्षित हैं। नीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. नीज क्षेत्र को जारी और 1.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। जल संचयन उपकरणित क्षेत्र का विचार, लंबाई, गहराई सहित खदानों में प्रदर्शित क्षेत्र मानचित्र में भराव (रेकॉर्डिंग) हेतु प्रस्ताव निरिरी / अधिसूचनाओं की शर्तों की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रक्रिया को दौरान उपकरणित खानों निरिरी (टाप सीडिंग) को नीज क्षेत्र को जारी और 1.5 मीटर क्षेत्र में किलनी मात्र में सुधारों किया जाएगा एवं साथ खानों निरिरी के अतिरिक्त रक्ष-रक्षण के प्रस्ताव सहित संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. पानी टी.ओ.ए.ए. में विद्यमान सभी अंशोंक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.ए.ए. के निरिरी का पालन प्रतिकेवल प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत ई.ओ.ए. में परिवर्तीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करने हेतु उपाय का आकलन तथा ध्वनि प्रतिकेवल (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः पालन कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवर्तीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक है। अतः उपाय को कारन को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी निरिरी (Mitigation measure) योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. सार्वजनिक मीटर क्षेत्र में जल की गहराई का संचयन को अंतर संबंधी प्रतिकेवल जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवर्तीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार उत्खनन कर संशोधित प्रतिकेवल प्लान तथा नियुक्त एच.एस.ए.ओ. की अनुमति पत्र, प्रतिकेवल इन्फोर्मेशन रिपोर्ट, इन्फोर्मेशन मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।
8. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से निरिरी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, खानों की गहराई नहीं किए जाने अवधि को संबंध में जानकारी/समावेदन प्रस्तुत किया जाए।
9. परिवर्तन प्रतिकेवल द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (संरक्षित स्कूल / अंतर का नाम, पत्र एवं एम्प्लॉयमेंट सहित कार्यकारण पत्र का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
10. क्लस्टर हेतु सीमा इन्फोर्मेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रस्तुत निरिरी हेतु विभिन्न खानों (जब क्लस्टर के सदस्यों/एम्प्लॉयमेंट को क्लस्टर एवं संचयन, परिवर्तन के दौरान सदस्यों/एम्प्लॉयमेंट से उत्पन्न हुए प्रभावों का निरिरी, जल प्रतिकेवल प्रतिकेवल, सदस्यों/एम्प्लॉयमेंट के अंतर तथा क्लस्टर में उत्पन्न ध्वनि गुण में प्रतिकेवल, गहन सुर्भेदन का प्रतिकेवल का

उपग्रह, आदि) का विवरण एवं वास्तव में स्थापित प्रत्येक लीजेंस/एन का उपरोक्त प्रत्येक विवरण के साथ ही निष्पादन हेतु निर्धारित कालावधिगत का विवरण प्रस्तुत करें।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वातावरण में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु रोन्टार काउन्सिल वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनुमति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

12. इन्फोर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपर्युक्त सूचित किया जाए।

5. मेसर्स आनंद इंटरप्राइजेस (सहयोग लाईन स्टेशन माईन्स, राम-सहयोग, सहनील-बनभा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 387)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए / सीडी / एमआईएन / 82887 / 2017, दिनांक 04 / 03 / 2017 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। सचिवालय में प्रयोजित नम्बर - एसआईए / सीडी / एमआईएन / 48478 / 2017, दिनांक 18 / 12 / 2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 07 / 10 / 2018 को पूर्व से संघर्षित पूरा पथ (मुझा खनिज) खदान है। खदान प्लॉट अंक खसरा नं 384, 375, 381, 382 एवं 383, राम-सहयोग, सहनील-बनभा, जिला-दुर्ग, कुल लोकेशन 3.237 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित प्रकल्पन क्षमता - 40,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकल्पन में सचिवालय की 225वीं बैठक दिनांक 15 / 05 / 2017 को बुलावाई की गई थी, जिसमें टी.ओ.आर जारी करने का निर्णय किया गया था। प्रकल्पन के लक्ष्य निम्नानुसार हैं-

1. राम संघर्षित का अनुमति प्रमाण पत्र - राम संघर्षित सचिवालय द्वारा दिनांक 14 / 08 / 2008 को जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकल्पन योजना - इस काम निर्देशक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) की पत्र क्रमांक दुर्ग / पूरा / खसरा-375 / भाग / 2018 / 18-रायपुर, दिनांक 08 / 08 / 2018 (पत्र 2018-17 से 2020-21 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमति सचिवालय माईनिंग प्लान एंड प्रोसेचर माईनिंग कमीशन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. 500 मीटर की खनिज में निहित खदान - सचिवालय सलेक्टर (अभिमत खान), जिला-दुर्ग की पत्र क्रमांक 2181 दिनांक 17 / 01 / 2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुमति आवेदित खदान से 500 मीटर खनिज में कुल 13 खदानें संख्या 71,28 हेक्टेयर स्वीकृत / विस्तारण हैं।
4. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम शहर दुर्ग 28.4 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन गिराई नाम संख्या 22-67 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. परिसंस्थितिक/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसी में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनुसंधान, वन्यजीव प्रकल्प निर्देशक बोर्ड द्वारा घोषित किरिचल्लो पौल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं हुआ अधिसूचित किया है।

6. लीज का विवरण - लीज क्षेत्र की अलग इंटरेस्टमेंट के नाम पर है, जो 20 वर्षों अवधि 10/10/1996 से 09/10/2016 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कार्पोरेट (अनिल साहू) जिन्हा दुर्ग के पत्र क्रमांक 1283/अनिल/2015 दुर्ग दिनांक 25/10/2015 द्वारा कार्पोरेट की अवधि बढ़ाने हेतु पुनः अनुमति पत्र प्रस्तुत करने का बात पत्र जारी किया गया है।

7. पाईपलाइन विवरण 14.38.798 टन है। लीज क्षेत्र में फिट 1 एवं फिट 2 कुल दो फिट है। लीज क्षेत्र की घाटी जोर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन सभी मेकैनाईज्ड डोपन वास्तु विधि से किया जाता है। डिगिंग हेतु लीज हेमेटिकल का उपयोग किया जाता है। क्वालिटीन किया जाता है। डेप की लीम (अडिमेंट) ऊपरई 3 मीटर एवं नीचाई 2 मीटर होगी। फिट 1 में 11 मीटर गहराई तक एवं फिट 2 में 28 मीटर गहराई तक उत्खनन हो गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 35 मीटर होगी। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोमीटर प्रतिदिन (दरत वापस 3 किलोमीटर प्रतिदिन, फाटेशन 2 किलोमीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1 किलोमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत सोमेश है। समु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विकल्प किया जाता है। लीज क्षेत्र की घाटी जोर 7.5 मीटर क्षेत्र में पुनर्स्थापन किया जायेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

उत्खनन की योजना

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
1996-1997	120
1997-1998	2,000
1998-1999	1,528
1999-2000	2,400
2000-2001	1,791
2001-2002	3,100
2002-2003	2,885
2003-2004	3,479
2004-2005	4,800
2005-2006	2,800
2006-2007	4,950
2007-2008	18,200
2008-2009	15,200
2009-2010	25,700
2010-2011	12,000
2011-2012	15,500
2012-2013	18,000
2013-2014	25,000
2014-2015	12,000
2015-2016	15,540

2016-2017	निर्णय
2017-2018	निर्णय
2018-2019	निर्णय

उत्खनन की वार्षिक प्रस्तावित योजना

वित्तीय वर्ष	संभावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्खनन शक्ति (टन)	रिजर्व (टन)
2016-2017	18,107	40,000	1,811
2017-2018	18,163	40,000	1,816
2018-2019	18,034	40,000	1,803
2019-2020	17,968	40,000	1,797
2020-2021	18,012	40,000	1,801

नोट: तालिका में प्रस्तावित की शक्ति की अंशों का प्राथमिकीय किया गया है।

8. पूर्व में जारी वार्षिकीय स्वीकृति संबंधी विवरण — पूर्व में वार्षिकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एम.ई.ए.सी., असीनपट्ट में जल विभाग 24/08/2017 डाटा अधिसूचना का ज. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्राधानों के अनुसार इन्फॉर्मेटिव इन्फोर्मेट अरोरमेंट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेटिव सेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पॉवरलैन्ड, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकीर्णित कंपनी 1(ए) का इंटैन्सिव टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नील कोल मॉनिगि प्रोसेज्ज हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर की सीमा पर 18 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर स-जल गुणवत्ता मापन, 18 स्थानों पर पानी स्तर मापन, 8 स्थानों पर असीन जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों से अनुसार पी.एम.₁₀ 24.5 से 48.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 82 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 80 से 13.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एमओ₃ 142 से 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय स्थल के अंतर्गत जल स्तरों की गुणवत्ता वार्षिक मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day Even) 35.1 डीबीए से 58.5 डीबीए एवं रात स्तर (Night Even) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एन. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रभाव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को अगामी माह की आयोजित बैठक में वास्तविक समस्त कुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अर्थात् फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, जलौत्सव के आयन दिनांक 21/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 209वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुसूच गत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विद्यमान किर्झ स्पष्टता सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी एवं अनुसूच गत प्राप्त होने पर अगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तत्समय सूचित किया जाए।

6. मेजरस ईंगल कुमार रावू (नंदनी-कुंदनी हाईम स्टीम हाईम), ग्राम-नंदनी-कुंदनी, तहसील-बामघा, जिला-दुर्ग (सर्विहालय का नक्सा क्रमांक 328)

डीमण्डाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीसी / एनआईएन / 80430/2018, दिनांक 18/11/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। डीमण्डाईन में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीसी / एनआईएन / 80431 / 2012, दिनांक 18/12/2018 द्वारा वायोवैल्यूय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए, सिटीई प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संयोजित वृत्त बंधन (मुख्य खनिज) खदान है। खदान काका नं 1898 (पार्ट), 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 (पार्ट), 1905 एवं 1908 (पार्ट), ग्राम-नंदनी-कुंदनी, तहसील-बामघा, जिला-दुर्ग, कुल सी.ए. क्षेत्र 1.48 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उपखनन क्षमता - 25,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 204वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टी.ओ.आर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण की तथ्य निम्नानुसार है—

1. ग्राम पंचायत का अनारथिता प्रकरण पत्र - ग्राम पंचायत नंदनी कुंदनी का अनारथिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. 500 मीटर की परिधि में विद्यमान खदान - जलौत्सव कालेक्टर (खनिज सारवा) को द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित वृत्त 500 मीटर खदान की 500 मीटर की परिधि में उपस्थित 3-4 वृत्त खदान खदान कुल सारवा 68.28 हेक्टेयर स्वीकृत / संयोजित है।

3. **सहस्रपुरा संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी गांव-बस्ती-खुदनी + कि.मी. केले क्षेत्रान मिनाई पीपर होकर लगभग 30.3 कि.मी. एवं लहर दुर्ग लगभग 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 28 कि.मी. दूर है।
4. **पारिस्थितिकीय/केन्द्रीकृतता संवेदनाशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8 कि.मी. की परिधि में जागतिकीय शीघ्र राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकृतिक विविधता संरक्षण क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनाशील क्षेत्र या प्रकृतिक केन्द्रीकृतता क्षेत्र स्थित नहीं होना परिभाषित किया है।
5. **सीज का विवरण** – पूर्व में गुरु शीज मेवादा स्थितिक द्वारा फॉटो, चार्टर की राजीव शोरी के नाम पर दिनांक 07/05/1998 से 20 वर्ष हेतु अर्थात् 08/05/2018 तक था। सीज का इस्तिलाफ दिनांक 21/12/2008 को श्री हेमा कुमार राठौ के नाम पर किया गया। सीज का कालीमेटी एपीमेंट दिनांक 26/01/2018 को किया गया है। शीज की 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 07/05/1998 से 08/05/2018 तक की अवधि हेतु थी। वर्तमान में दिनांक 07/05/2018 से 08/05/2048 तक की अवधि हेतु Deemed कालेबल की अवधि अवधि किया गया है।
6. **विश्वीकरणित मिनाई 1,72,150 टन एवं कालीमेवात मिनाई 1,38,100 टन है।** अंगुण कालेबल मेकालीमेवात मिनाई की कालेबल किया जाता है। डिप्लिमे हेतु शीज हेमिडिमेन का कालेबल किया जाता है। कालेबल किया जाता है। शीज की कालेबल 3 मीटर है। काली मिनाई की कालेबल 1 मीटर है। कालेबल की कुल कालेबल 28 मीटर होगी। कालेबल में एक कालेबल पर 20 मीटर की कालेबल एक कालेबल हुई है। कालेबल की कालेबल अंगु 7 वर्ष है। कालेबल कालेबल की कालेबल 5 किलोमीटर प्रतिदिन (डिप्लिमे एवं कालेबल कालेबल 3 किलोमीटर प्रतिदिन, कालेबल 1 किलोमीटर प्रतिदिन एवं कालेबल कालेबल हेतु 1 किलोमीटर प्रतिदिन) है। कालेबल का कालेबल कालेबल एवं कालेबल है। कालेबल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कालेबल का कालेबल किया जाता है। कालेबल क्षेत्र की कालेबल 7.5 मीटर क्षेत्र में कालेबल किया जाता है। कालेबल क्षेत्र की कालेबल का कालेबल मिनाई कालेबल है।

कालेबल की कालेबल

वित्तीय वर्ष	कालेबल कालेबल (टन)
2009-10	3,356
2010-11	3,356
2011-12	1,760
2013-14	2,211
2014-15	मिनाई
2015-16	
2016-17	
2017-18	
2018-19	

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन क्षमता (टन)	उत्पादन क्षमता (टन)
2016-2017	1,800	4,500	20,260
	6,300	15,750	
2017-2018	1,800	4,500	21,000
	6,800	16,800	
2018-2019	4,800	12,000	24,750
	5,100	12,750	
कुल	29,400	68,000	68,000

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस उत्खनन को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

ईआईएसी, धनौसगढ़ के ज्ञान दिनांक 17/07/2017 द्वारा प्रकरण बी-1 कंटेनरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिजर्वेशन (टीआरआर) यीस ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट की कोलेक्टर/एनटीविटीज रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मल कंसल्टेंस बायड ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ब) का स्टैण्डर्ड टीआरआर (जोकि सुन्वाई सहित) तीन जोड माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीआरआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा नरदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिफारिशें की गईं-

1. ईआईए, रिपोर्ट का विश्लेषण-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - भूमिदरिण कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के माध्य किया गया है। 10 किलोमीटर की अर्धवृत्त 18 स्थानों पर परिवेशीय जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 18 स्थानों पर ध्वनि मापन मापन, 8 स्थानों पर लहड़ी जल गुणवत्ता मापन 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. भूमिदरिण प्रक्रियाओं के अनुरात पीएच_{min} 24.8 से 48.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर पीएच_{max} 43 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर सुल्फा, 8.0 से 13.9 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनडी_{min} 14.2 से 18.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय जल के आसपास जल स्तरीय की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरात है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 38.1 डीबीए से 38.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. बाबा साहेब, मायापूर, एम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के डी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
2. परियोजना प्रस्तावक को अगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के प्रथम दिनांक 21/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमंत कुमार साहू, प्रोमप्रॉक्टर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार को रूप में मेसर्स इन सिट्टू इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी विचार माहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-14 में पर्यटन रेट है।
2. लीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में जूरा क्षेत्र में पर्यटन किया गया है।
3. प्रस्तुत ड्राइंग में स्थिति को प्रभाव का आकस्म लला स्थिति प्रतिस्मरण (Noise Monitoring) नहीं किया गया है।
4. स्थानिक परिवर्तन के अनुसार परिवेशीय जल में पी.एच.10 से 11.27 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (अद्यतनित फ्लुज / स्पल का नाम, पता एवं आवेदित जगह का पिकल्प) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. वायुमंडल हेतु उचित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. परियोजना हेतु आवेदक जल की आवेदित स्थिति में स्थिति बोर्डिंग से किया जाना बताया गया है। जल हेतु सेन्टल प्रावण्य बीटर आवेदित से प्रभाव अपेक्षा प्रभाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. इन्फ्रास्ट्रक्चर फेजमेंट प्रतिस्मरण को जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2018 द्वारा 1200 बने स्थान सामुदायिक उचित जल की पुश्तक के सामने जल-वेडिगल लहरील-धनया, जिता-दुर में स्थान हुई। लोक सुनवाई बाह्यवेड सदन्य सचिव, छातीसगढ़ भाविकल्प संस्थापक महल, नया सप्तपुर अटल नगर, जिता-धनपुर के पत्र दिनांक 26/11/2018 द्वारा उचित किया गया है।
10. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-
 1. इन क्षेत्र की जलवायु समस्या अधिकतर से पीछे होकर रोक नहीं कर फिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गादिया सारणी है, की स्थिति ठीक नहीं है लल सड़की जलवायु जलवायु की सुकी है। इन मार्ग का डी.एम.ए.सी. से उपलब्ध स्थिति से संभलन करवाया जाय। डी.एम.ए.सी. से कोई विकास नहीं हुआ है।
 2. निर्दिष्ट जगह पर स्टाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय में स्टाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित होने खदान एवं जलवायु जो माहू

होना उसमें साधन का नियम लागू होगा। इसकी शर्त निम्नानुसार साधन प्राप्त किया जाए। जल को पूर्णतः बन्दवाई होकर जल विद्युतजनक की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को भूमा में चकली की मिट्टाई हेतु प्रदान किया जाए।

- क. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित खानों के लोगों को ही सीधेपार दिया जाना चाहिए।
- ख. खदान में लागू एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मानकों को अनुसंधान खदानों का संयोजन होना चाहिए।
- ग. खदानों में जोड़े की कुआरक्षण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी छड़ता नहीं है। जिससे कृषि भूमि जमाविल हो रही है। खानों में जोड़े विकसित करने नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु कुआरक्षण नहीं किया गया है। स्लैटिंग से बहुत अपाय आती है। अधिकाधिक सप से संयोजन भी किया जा रहा है।
- घ. मिट्टी की परीक्षण हेतु बड़ी-बड़ी खानें चलती हैं, उसमें बहुत दुर्घटना होती है। इनके प्रति में चेक लगवाई जाए। चेक का भी संयोजन किया जाना चाहिए।

लोक सुगंधाई के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न सुदूर के निवासियों की शिक्षा में परीक्षाएं प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. सीएमएच की शक्ति का सैफ्टी की शक्ति से जिला प्रशासन को सज्जन से विकास का कार्य किया जाएगा।
2. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल विद्युत एवं कुआरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
3. शिक्षित बेरोजगारों को बंधन के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। कुई से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
4. जल सार 30 मीटर नीचे है। खदान से संयोजन भी अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम नहीं जाएगी।
5. जो खदानें बंद नहीं हैं, उनमें पानी का पानी संयोजित है। इनमें जल का संयोजन किया जाएगा। पानी का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से निम्नानुसार/आवश्यकतानुसार कुम्हों को भी दिया जाएगा।
6. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संयोजित है। लीज क्षेत्र से बाहर संयोजन नहीं किया जा रहा है।

भूमिरी द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में सुरक्षित क्षेत्र में संयोजन किया गया है। जल उचित स्थिति में क्षेत्र का विवरण, संचालन, गहराई सहित कल में प्रदर्शित कर वर्तमान में सारा (विकसित) हेतु प्रदूषण मिट्टी / ओवरलैपिंग की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) मान प्रस्तुत किया जाए।
2. संयोजन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित खड़ी मिट्टी (टीम सीईज) को लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में किलोी मात्र में जमावण किया जाएगा एवं टीज

कमरी विद्युती के अधिकतम लक्ष-स्तरों को प्रत्येक महिने संबंधित मासिक रूप में प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिखे गये सभी प्रस्ताव 25 एच अतिरिक्त टी.ओ.आर. को सिन्ड्रेटों का चालन प्रतीपेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में वास्तविक प्रतिकारकों को प्रत्येक ध्वनि को शामिल करने वाले प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिकारण (Noise Mitigation) नहीं किया गया है। अब चालना को जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवेशीय वायु में पी.एम₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। यह प्रभाव को चालन को साफ किया जाए तथा प्रभावी निरोधन (Mitigation measures) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. वास्तविक पीटर टैबल में जल की कतराई का चालन को अन्ततः संबंधी प्रस्ताविक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. परिवेशीय प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (अन्तर्गत स्कूल / स्थल का नाम, मरु एवं एस्टीमेट सहित कार्यवाही तथा लक्ष-किसरण) प्रस्तुत किया जाए।
8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रस्तावित निर्माण हेतु विभिन्न विभिन्न कार्य (यथा क्लस्टर के सदस्यों/एस्टीमेट रोट का पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, परिवहन के क्षेत्र में सदस्यों/एस्टीमेट रोट से प्रत्येक ध्वनि प्रस्ताव का निर्माण, जल प्रदूषण का प्रस्ताव, स्कूलों/एस्टीमेट रोट के निर्माण तथा क्लस्टर में उपलब्ध सुखी भूमि में कुशलतापूर्वक, ताकत दुरिदण्ड का संयोजन का प्रस्ताव, आदि) का विस्तृत एवं क्लस्टर में सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र/कार्य का संयोजित प्रस्ताव निर्माण को कार्य को विचारण हेतु निर्धारित प्रस्ताव/प्रतिपेदन का विस्तृत प्रस्तुत करें।
9. परिवेशीय प्रस्तावक द्वारा जल की कतराई, नर्तनान में सम्बन्धित प्रस्ताव से किए जाने हेतु संयोजित वास्तविक पीटर अन्तर्गत की तथा अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावक को जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परिपेक्षा प्रस्तावक को तत्काल सूचित किया जाए।

7. मेरुत नदिनी-सुदिनी साईन स्टोन साईन (पी.सी.सी. निरक्षण), चाल-नदिनी-सुदिनी, तहसील-धन्वा, जिला-दुर्ग (संविधान तथा नसी संख्यांक 534)

बीनसाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए / सीपी / एम्प्लॉय / 8154 / 2018, दिनांक 21 / 12 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एसआईए / सीपी / एम्प्लॉय / 48013 / 2018, दिनांक 18 / 12 / 2018 द्वारा परिवेशीय सीक्युरिटी प्रस्ताव करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से सम्बन्धित पुनः कथर लदान (नया ध्वनि) है। अध्याय संख्या नं. 443, 444 एवं 445, चाल-नदिनी-सुदिनी, तहसील-धन्वा, जिला-दुर्ग, कुल सीक्युरिटी 2.11 है। लदान की आवेदन प्रस्तावक द्वारा -

8,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार में सन्धि की 285वीं बैठक दिनांक 14/08/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीआरएए जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण को तब निष्पन्न हुआ है:-

1. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - ग्राम पंचायत मंडली-सुंदरी द्वारा दिनांक 11/02/2009 को जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कायदा योजना - परिसर/परिचालन और मशीनरी लागू करने परियोजना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो एक साल निर्धारक एवं राष्ट्रीय अधिकांश, भारतीय खान मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/सुप/सडी-439 /नाम/24-रायपुर दिनांक 11/08/2016 (वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. 800 मीटर की परिधि में विद्यत खदान - कार्पोरेशन कलेक्टर (खनिज संध्या) की द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खान पत्थर खदान से 800 मीटर की परिधि में आवेदित खान 11 मूला पत्थर खदाने कुल सकल 88.85 हेक्टर पर स्वीकृत/अनुमोदित है।
4. स्थलमूर्त संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-मंडली-सुंदरी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल 0.83 कि.मी. एवं जलसंचयन ग्राम-मंडली-सुंदरी 0.875 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राजमार्ग 1.28 कि.मी. है। विद्यमान नदी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. परिसर/परिचालन/संरचनाओं की दूरी - परिसर/परिचालन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अन्धकार, केंद्रीय प्रमुख निर्माण कार्य द्वारा घोषित किराई/वीएनटीए क्षेत्र, परिसर/परिचालन/संरचनाओं क्षेत्र या घोषित क्षेत्र/परिचालन क्षेत्र विद्यत नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
6. सीमा का विवरण - सीमा क्षेत्र की सीमा सुनाई के नाम पर था। की सीमा पत्रों को देखकर ही जाने कारण खान/परिचालन क्षेत्र/सीमा क्षेत्र के नाम पर सीमा के अंतर्राज्य हेतु आवेदन किया गया है। सीमा क्षेत्र 20 वर्षों अवधि 11/10/1995 से 10/10/2015 तक की अवधि हेतु थी। कार्पोरेशन कलेक्टर (खनिज संध्या) द्वारा-दुर्ग के प्रमाण क्रमांक 1288 दिनांक 05/10/2015 द्वारा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन/संरक्षण अधिनियम, 2015 के अधीन कलेक्टर/अधीन वृद्धि बाधा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. परिसर/परिचालन प्रस्तावक द्वारा परिसर/परिचालन का प्रकरण नहीं होने के कारण मासिक संचयन परिसर/परिचालन का और खान/परिचालन, नई दिशा में अधिनियम 1030(अ) दिनांक 08/03/2018 तथा और एम. दिनांक 18/03/2018 एवं 18/03/2018 अनुसार निर्धारित समझौते में एन.ई.आई.ए. अंतर्राज्य से भी अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया जाता बताया गया है।
8. कार्पोरेशन कलेक्टर (खनिज संध्या) द्वारा दुर्ग, कार्पोरेशन के द्वारा क्रमांक 1081/संवि. वि./खनिज/2018 दुर्ग, दिनांक 02/11/2018 द्वारा जारी वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक की खनिज अनुमति प्राप्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कायदा निर्देश बताया गया है।
9. विद्यमान/अनुमोदित दिशा 8,33,000 टन एवं मशीनरी/संरचना 88,300 टन है। खान द्वारा विधि से कायदा/परिचालन किया जाता है। वर्तमान में सु-नाम की 2,00 हेक्टर क्षेत्र में कायदा/परिचालन हुआ है। कायदा/परिचालन की वर्तमान मंडली 14 मीटर है। खान की

प्रस्तावित उपविभाग गहराई 22 मीटर है। बेस की चौड़ाई 3 मीटर एवं लंबाई 3 मीटर है। ऊपरी सिंटी की मोटाई 0.9 मीटर है। विगत पांच वर्षों में पर्याप्त खनिज की मात्रा 22.915 मीट्रिक टन है। डिजिटल हेतु पीक डेयर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। अपरिंग विगत जाता है। जल की मात्रा 4 किलोमीटर प्रतिदिन है एवं प्रतिवृत्त उपयोग हेतु 2 किलोमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। विगत सटीक दस्तावेज है। सड़क की संभावित लागत 11 लाख है। जल उपलब्ध निबंधन हेतु जल का विकल्प किया जाता है। सील क्षेत्र की गहराई 1.5 मीटर क्षेत्र में कुआरोगत किया जायेगा। विगत वर्षों में पर्याप्त जल विद्यमान निम्नानुसार है-

उत्खनन की योजना

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
1996-1997	5,735
1997-1998	1,028
1998-1999	2,700
1999-2000	3,348
2000-2001	721
2001-2002	8,123
2002-2003	8,174
2003-2004	8,727
2004-2005	7,123
2005-2006	3,288
2006-2007	9,571
2007-2008	15,521
2008-2009	7,252
2009-2010	7,639
2010-11	3,884
2011-12	3,250
2012-13	7,400
2013-14	5,825
2014-15	निराक
2015-16	
2016-17	
2017-18	
2018-19	

नोट: उपरिक्त में उत्खनन के बावजूद जल की कमी का सामना करीक किया गया है।

उत्खनन की वर्णवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता (T/M (टन)

2015-2016	Actual			-
2016-2017	1,200	3.0	3,600	8,000
2017-2018	1,200	3.0	3,600	8,000
2018-2019	1,200	3.0	3,600	8,000
2019-2020	1,200	3.0	3,600	8,000

एस.ई.ए.सी., परतीसपट्ट के द्वारा दिनांक 29/08/2018 द्वारा प्रस्ताव सी-1 खंडेपट्टी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड एम्बेड्डेड ऑफ सिस्टेम (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एम्बेडिड रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान ईआईए नोटिफिकेशन 2008 में उल्लिखित सी-1 का स्टैण्डर्ड टीओआर (जोकि सुप्राई सटिंग) नीचे उल्लेख किये गए स्टैण्डर्ड्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 209वीं बैठक दिनांक 16/01/2020

समिति द्वारा मती, प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. ईआईए रिपोर्ट पर विश्लेषण -

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - नोटिफिकेशन जारी अनुसार 2018 से दिसम्बर 2018 के लक्ष्य किया गया है। 10 मिलीमीटर की अलगीत 10 स्थानों पर परिवर्तित वायु गुणवत्ता मान, 11 स्थानों पर न्यूनतम गुणवत्ता मान, 12 स्थानों पर क्षति स्तर मान, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. नोटिफिकेशन परिणामों के अनुसार पीएम₁₀ 24.8 से 40.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम_{2.5} 82 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.0 से 13.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एसओ₃ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर आई गई है। परिवर्तित स्थल के अलावा जल स्रोतों की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक के अनुसार है। परिवर्तित क्षति स्तर (Day time) 38.1 डीबीए से 38.5 डीबीए एवं रात्रि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए प्राप्त गया।

समिति द्वारा लक्ष्य शर्तसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परिषोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आरंभित बैठक में उपरोक्त समस्त सुझाव प्रस्तावों / प्रस्तावों (अथवा नोटिफिकेशन) सहित प्रस्तुतकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अनुसार परिषोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., परतीसपट्ट के द्वारा दिनांक 21/01/2020 द्वारा बसुलीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

अनुसूचीकरण हेतु की अगिल पाई, अतिरिक्त प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सल्लहकार की रूप में केवरी इन किट्टु इन्वाराकी केवरी, कोवळ की केवरी से की विजय नाडु उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसरी, अनुसूच जनजाती का अनुसूचीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न सिधति नाई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 से अनुसूचन क्षेत्र है।
 2. लीज क्षेत्र की लारी क्षेत्र 1.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
 3. अनुसूच ई.आई.ए. में समिति को प्रभाव का आकलन तथा स्थिति प्रतिस्तरण (Noise Monitoring) नहीं किया गया है।
 4. सीनियरिंग प्रतिपाठी के अनुसार परिसीमाय समु में पीएल.10 63 में 1127 मईकोवाम/घनसीता बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (निर्धारित अनुसू / काल का नाम, जग एव कार्यालय नाम का विवरण) अनुसूच नहीं किया गया है।
 6. क्लस्टर हेतु कीमन इन्व्यापरोमेतल फोन अनुसूच नहीं किया गया है।
 7. परियोजना हेतु आवागमन जल की कालुषी परीक्षण में स्थानिक परीक्षण से किया जाना बताया गया है। जल हेतु सेन्ट्रल प्रालम्ब केंटर अर्वाथिटी से जल जनजाती प्रमाण अनुसूच नहीं किया गया है।
 8. इन्व्यापरोमेतल केनेजमेर नीतिनी की जानकारी अनुसूच नहीं की गई है।
 9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को 12:00 बजे स्थान आवासीय उपचित मुख्य की दुकान के सामने धाम-केवरीता परसीता-धरम विस्त-दुर्ग में संकलन हुई। लोक सुनवाई वसुविकेड सटलर लकि, ललीसगड परसीकरण संस्थान मंडल, नाम बालदुर्ग अटल नाम, विस्त-समपुर के पत्र दिनांक 28/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
10. अनुसूचवाई की दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार अनुसूच किये गये हैं-
1. इस क्षेत्र की जनता समसमा अहिंसा से केवरी हीरस होर जहाँ पर किट्टी लखनी की कटी-कटी गाकिता फलती है, जो सिधति टिक नहीं है तथा कटकी जनता केवरी हो चुकी है। इन मामलों का सी.एन.एच से उपलब्ध बाकि से संभलन करवाया जाये। सी.एन.एच से कोई विधाय नहीं हुआ है।
 2. निश्चित समय पर क्वाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर क्वाटिंग होना चाहिए। विधान से सभी सुरक्षित होने खदान एवं क्लस्टर जो बालु होना जरूरी सामान का नियम लागू होना। उखली लालु निगरानी लखल द्वारा किया जाए। क्लस्टर को पूर्णतः क्लेई होकर जल विद्यवात की उपलब्ध होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली जली की मुषा में क्लस्टर की सिगाई हेतु प्रदान किया जाए।
 3. पर्याप्तता से क्लस्टर पर संबंधित धामों के लोपा की ही संभलन टिक जगना चाहिए।
 4. खदान में बालु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्याप्तता से निर्धारित सामान्यों के अनुसूच खदानों का संभलन होना चाहिए।

- g. खदानों में कोई भी कुशलरोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी उठाना नहीं है। जिससे कुंभ भूमि प्रदूषित हो रही है। खानों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु कुशलरोपण नहीं किया गया है। अनामिटेग से बहुत आघात आती है। अधिकाधिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।
- घ. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी खानें खलाई हैं, जससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संरक्षण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निरूकनण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपरोक्त प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है—

1. डी.एम.एन. की सक्ति या वीकल्टी की सक्ति से किया प्रशासन की मांगों से विकास का कार्य किया जाएगा।
2. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल सिलवना एवं कुशलरोपण भी व्यवस्था की जाएगी।
3. विभिन्न बैठकगारों को संधारण के अन्तर्गत सर सवारीय लोगों को आरक्षणानुसार संरक्षण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
4. जल सतर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 20 मीटर से कम नहीं जाएगी।
5. जो खदानें बंद नहीं हैं, उनमें वर्षा का पानी सम्भारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिस प्रशासन की अनुमति से निकालेगा, आरक्षणानुसार कुंभों को भी दिया जाएगा।
6. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संघारित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुंभ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। इस जल सतहनिष्ठ क्षेत्र का विकास, लम्बाई, गहराई सहित चरों में प्रवेशित कर वर्तमान में भारत (विकसित) हेतु प्रस्ताव मिट्टी / अंतर्गतकरण की मांग की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्रदान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सतहनिष्ठ ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में किलोमी चरों में उपयोग किया जाएगा एवं तीन ऊपरी मिट्टी के अतिरिक्त एक-एक के प्रत्येक सहित संशोधित माईनिंग प्रदान प्रस्तुत किया जाए।
3. सभी टी.ओ.आर. में दिये गये सारे चरोंक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के सिन्दुओं का प्रदान प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ज्वनि सतर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ज्वनि को सम्भित करने हेतु प्रभाव का आकलन एवं ज्वनि प्रतिस्तरण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। इस गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना कार्य में परिणाम की मात्रा निर्धारित स्तरक से अधिक है। इस तरह के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा अपनी निवारण (Mitigation measure) संशोद्धित/प्रस्तुत किया जाए।
4. पर्यावरण चौक देखल में जल की गहराई का मापन के आधार संशोद्धित प्रारंभिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. परियोजना पर्यावरण द्वारा सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) का निस्तुत प्रस्ताव (अनुयायित प्रस्तुत / स्पष्ट का नाम, यथा एन एस्टीमेट सहित कार्यालय चला का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
6. क्लस्टर हेतु अधिनियम इन्फोर्मेशन पर्यावरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रस्तुत निवारण हेतु विभिन्न विभिन्न चरों (जथा क्लस्टर के सदस्यों/एथोस गैट के सदस्य/समाज एन क्लस्टर, परिवहन के दौरान सदस्यों/एथोस गैट से प्राप्त हुए सामग्री का निवारण) जल विद्युत का व्यवस्था, सदस्यों/एथोस गैट के विभिन्न जल उपकरण में उपयुक्त सुनी भूमि में कुआरों/पंपों का संयोजन का उपाय, जल/का विद्युत एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक निवारण का उपयुक्त प्रस्तुत निवारण को चरों के विचार हेतु निर्धारित उपयुक्त/विशेष का विवरण प्रस्तुत करें।
7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति अधिनियम में स्थापित योजना से किए जाने हेतु संयुक्त पर्यावरण चौक अधिनियम के द्वारा अनुयायित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. इन्फोर्मेशन के.ए.आर.सी. की जानकारी प्रस्तुत की जाए। परियोजना पर्यावरण को गहनतम सुधारा किया जाए।

II. मैसूर नदरी-खुदनी लाईन स्टोन माईन (सीमा नोडिनी देवी मिश्र) ग्राम-मंदनी-खुदनी, रावसील-अमरा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 735)

ऑनलाइन आवेदन – एवं से प्रयोजन क्रमांक – एमआईए / सीपी / एमआईएन / 28528 / 2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन क्रमांक – एमआईए / सीपी / एमआईएन / 48532 / 2018, दिनांक 18/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई-आवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2018 के पूर्व से संचालित मृदा खनन खदान (मुद्रा खनिज) है। यह खदान ग्राम-मंदनी-खुदनी, रावसील-अमरा, जिला-दुर्ग जिला खसरा क्रमांक 1894, 1908 एवं 1911(पी), कुल सीमा क्षेत्र 4.35 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदनित खनन क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष एवं क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2018 को पर्यावरण विभाग पर्यावरणीय स्वीकृति के अधिनियम जारी करने के कारण यह प्रस्ताव अधिनियम की शर्तों का है। इस प्रस्ताव में अधिनियम की 265वीं शर्त दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसने टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रस्ताव के तहत निम्नानुसार है-

1. ग्राम पंचायत का अनुयायित प्रस्ताव यह – इस पंचायत मंदनी-खुदनी द्वारा दिनांक 18/02/2018 को जारी अनुयायित प्रस्ताव यह प्रस्तुत किया गया है।

2. **संरक्षणन योजना** – परियोजना कार्यालय द्वारा तैयारकृत और साइनिंग कृत एल्युमिनियम पोस्टरिज साइन कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान निबंधक, भारतीय खान सुरक्षा मामलों के द्वारा अर्थात् डीआरडी/ एलएडी/ एमपीएलएन-07/नामपुर दिनांक 14/06/2013 (जून 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कर्नाटक कलेक्टर (खनिज साधा) दिनांक-दुर्ग के द्वारा अर्थात् दिनांक 28/07/2017 द्वारा जारी अग्रण पत्र अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर परिधि में कुल 11 खदानों तथा 6510 हेक्टेयर खनिज / विद्यमान है।
4. **सहस्रपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवादी ग्राम-परिधि-खुदकी 0.7 कि.मी., गडग दुर्ग 28 कि.मी., गडग ग्राम-परिधि-खुदकी 1.3 कि.मी., एवं अग्रतम ग्राम-अधिकांश 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.15 कि.मी. दूर है। किलोघन मंडी 3.45 कि.मी. की दूरी है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना कार्यालय द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आस-पड़ोस क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कोर्टीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिगली पीनलैंड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
6. **सीज का विवरण** – सीज डीक सीमाई मोडिनी देवी मिथा के नाम पर है। पूर्व में सीज डीक 20 वर्षों के लिए दिनांक 14/06/1999 से 13/06/2013 तक की अवधि हेतु थी।
7. **कर्नाटक कलेक्टर (खनिज साधा) दिनांक दुर्ग के द्वारा अग्रण अर्थात् 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 08/10/2015 द्वारा खनिजपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया है।**
8. **विश्लेषणित चूड़ा 8,43,500 टन एवं साइनेपल मिर्च 3,42,500 टन है।** अग्रण अर्थात् सभी केलेक्टरेज विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 18 मीटर एवं अधिक गहराई 27 मीटर है। डीक की ऊंचाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। अग्रणी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। डिभिग हेतु जैक ड्रमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। स्वरिडिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। विभिन्न खनन प्रतिभाओं हेतु 7 किलो मीटर प्रतिदिन (हस्त संचालन 3 किलो मीटर प्रतिदिन, पारंपरिक 2 किलो मीटर प्रतिदिन एवं पंपेनु उपकरण हेतु 2 किलो मीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। जल का स्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेम किया जाता है। सीज क्षेत्र के घने और 7.5 मीटर क्षेत्र में नुसारोपण किया जाएगा। क्लर की व्यवस्था की गई है। क्लर का होलतल 1,800 घनमीटर है तथा क्लर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल सिस्तेम की व्यवस्था है। विगत वर्षों में उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

उत्खनन की योजना

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
1994-1995	25,437
1995-1996	48,240

1996-1997	55,800
1997-1998	31,800
1998-1999	19,300
1999-2000	20,900
2000-2001	10,445
2001-2002	14,500
2002-2003	52,400
2003-2004	54,400
2004-2005	17,800
2005-2006	21,800
2006-2007	8,800
2007-2008	13,200
2008-2009	28,100
2009-2010	19,700
2010-2011	19,500
2011-2012	39,200
2012-2013	93,500
2013-2014	49,901
2014-2015	23,052
2015-2016	16,525
2016-2017	22,900
2017-2018	निर्यात
2018-2019	निर्यात

नोट: तालिका में वसतकर के बाद के अंकों का सततकर्मिक किया गया है।

संरक्षण की वर्षवार प्रस्तावित योजना

(रिप्लूजेंट और माइनिंग एलान विध संवैधानिक क्लोका प्लान अनुसार)

वर्ष	संरक्षण क्षमता (टन)
2013-14	22,900
2014-15	22,900
2015-16	24,750
2016-17	22,250
2017-18	28,750

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संरक्षण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एल.ई.ए.सी., जयपुर के द्वारा दिनांक 11/02/2018 द्वारा अधिसूचना सं. सं. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के आधारे के अनुसार इन्फॉर्मेशनल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशनल एनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, धन और कल्याण परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में अज्ञात केरी

एच) का सौम्यदर्द टीकेकरण (लोक सुन्दर) सचिव) गोन कोल काईनिग प्रोजेक्ट्स हेतु टीकेकरण जारी किया गया।

एच.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड के जालन दिनांक 13/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने पर अग्रपना सम्मति / संशोधन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध वाक प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्णय पार्य गइ-

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - नॉनटर्मिन डार्ड अक्टूबर 2018 से दिनांक 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतर्गत 10 स्थानों पर परियोजना हेतु गुणवत्ता संपन्न 11 स्थानों पर कु-जल गुणवत्ता संपन्न, 18 स्थानों पर खनि सार संपन्न, 8 स्थानों पर सखी जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के संपूर्ण एकाधिक कर विश्लेषण किया गया है।

ii. नॉनटर्मिन अधिनियमों के अनुसार पी.एम. 24.8 से 48.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम. 10 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.0 से 13.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 18.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गइ है। परियोजना स्थल की आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता वार्षिक मापक के अनुसार है। परियोजना स्थल सार (Day time) 25.1 डीबीए से 38.5 डीबीए एवं रात्रि सार (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए मापक गया।

समिति द्वारा वास्तविक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. सारा संपन्न पर्यावरण, इन और जलवायु परियोजना संरक्षण, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/02/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को जगामी सार की अग्रधिक बैठक में उपरोक्त संपन्न सुसंगत जानकारी / संशोधन (अवधान पर्यावरण) सहित अनुशुचीकरण रिपोर्ट जारी हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार रात्रि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. प्रतीकण्ड के जालन दिनांक 01/01/2020 द्वारा अनुशुचीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

अनुशुचीकरण हेतु श्री टी.आर. मिश्रा, अतिरिक्त प्रतिनिधि एवं जेजेबल सलाहकार के रूप में सदस्य इन सिट्टु इन्टरनेट सार, भोपाल की ओर से की किये गए उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्णय पार्य गइ-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जगहों से मार्च 2016 तक 16,300 टन एवं वर्ष 2016-17 में 22,600 टन उत्खनन किया गया है। वर्ष 2017-18 में उत्खनन बंद है।
2. जीक क्षेत्र के जारी जीक 2.5 मीटर क्षेत्र में कुल क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्ताव ईआईए में जल के प्रवाह का आकलन तथा ध्वनि प्रतिक्रिया (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परियोजनाओं के अनुसार मॉनिटरिंग वायु में पीएम₁₀ 63 से 112.7 माइक्रोग्राम / क्यूबिकमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. चलते-चलते अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की नुकसान में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, धूलों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रभाव (प्रस्तावित स्कूल / जल का मात्र, वात एवं आर्सेनिक जल का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. प्लान्टर हेतु सीमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरगत जल प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सीमा में स्थापित बोर्डर से किया जाना बताया गया है। जल हेतु संपूर्ण इलाका सीटल अथॉरिटी से प्राप्त अनुमति प्राप्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. इन्फ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी सीडिंग की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को 12.00 बजे स्थान जागतिक स्थिति गुला की दुकान के सामने ग्राम-मेहेसाह तहसील-धरम, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज संबंधित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने संकल्प में, नया बाधपुर जल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 प्राप्त किया गया है।
11. अनुसूचकों के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-
 1. इस क्षेत्र की जलवायु अतिशय से शीत होकर शीत जल नहीं बन मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गहिराया खतों है, जो कि जल शीत नहीं है तथा सबसे अत्यंत खतरा ही बुरी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संवर्धन आवश्यक है। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
 2. निश्चित समय पर जांचित होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर जांचित होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं खान जो वात शीत उसने सामान का नियम लागू होना। उसकी सख्त निगरानी रखना द्वारा किया जाए। खदान से पूर्वतः कक्षाई होकर जल सिंचनाय की आवश्यक होनी चाहिए। खदानों की निगरानी जारी चामी को मुक्त में खदानों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
 3. प्रभावितता के अभाव पर संबंधित चामी के लोगों को ही संतुष्ट किया जाना चाहिए।
 4. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का निरोध होना चाहिए। कार्यरत की निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खदानों का संवर्धन होना चाहिए।

- ग. खदानों में कोई भी वृक्षावरोध नहीं किया गया है। लगभग 200 मीटर से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी उतरना नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। खानों में कोई विकल्प कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षावरोध नहीं किया गया है। धूमिलों में बहुत आवाज जाती है। अधिकाधिक सतह से उत्खनन भी किया जा रहा है।
- घ. मिट्टी के परिवर्तन हेतु बड़ी-बड़ी खानें खलाई हैं, जहाँसे बहुत दुर्गन्ध आती है। इनकी गंध में बिल जलाई जाए। खंड का भी उत्खनन किया जा रहा है।

लोक सुनवाई के दौरान छाहरी एवं विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रसाधक की ओर से सम्बन्धित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. सी.एम.एच. की खानें या हील्स की खानें से जिला प्रशासन को सहाय्य से विकल्प का कार्य किया जाएगा।
2. पर्याप्त नियंत्रण हेतु जल संचयन एवं वृक्षावरोध की व्यवस्था की जाएगी।
3. विहित बेरोजगारी को रोकना के अन्तर्गत पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व में ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
4. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रही जाएगी।
5. जो खदानें बंद नहीं हैं, उनमें खानों का जमीन सम्भरित है। उनमें जल का संचयन किया जाएगा। खानों का जमीन सिल्ल प्रशासन की अनुमति से निरामानुसल/आवश्यकतानुसार खानों को भी दिया जाएगा।
6. सभी खदानें जमीन लीज क्षेत्र में सम्भरित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. लीज क्षेत्र की बाकी ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। जो जहाँ सम्भरित क्षेत्र का विवरण, लम्बाई, गहराई सहित जहाँ में उपस्थित कर कार्यभार में प्रवेश (विशेषित) हेतु पर्युक्त मिट्टी / कोयलाखन की मात्रा को जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्रारंभ प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को लीज क्षेत्र के बाकी ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में किसकी मात्रा में वापस किया जाएगा एवं लीज ऊपरी मिट्टी के स्थित एक-एक के अलग-अलग सहित सम्भरित कार्यभार प्रारंभ प्रस्तुत किया जाए।
3. जमीन टी.ओ.आर. में दिखे गये खानों की संख्या 23 एवं अधिकाधिक टी.ओ.आर. के विन्दुओं का प्रारंभ प्रक्रिये प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत ई.आर.ए. में परिवर्तित धरति स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न धरति को सम्भरित करने हेतु प्रस्ताव का आकलन तथा धरति प्रतिस्थापन (Soil Modelling) नहीं किया गया है। आ: नगण्य कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. पर्यावरणीय जांच में सी.एन.डी. की माफ़ निर्धारित श्रमक से अधिक है। जो. उक्त के कारण की स्पष्ट विधि जांच तथा जमाती निवारण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 4. पर्यावरण मॉडल टेस्ट में जल की एंटराई का मापन की जांच संबंधी पर्यावरण जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 5. पर्यावरण क्षति में उल्लंघन कार्य किए जाने से पर्यावरणीय जांच, जल एवं जमीन गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का अधिकतम तक तबतुल्य अवसर पर संशोधित निर्दिष्ट मापन तथा संशुद्ध एका अनुमिती आनुमोदेहन प्लान, इन्फोर्मेटेड इम्पैक्ट असैसमेंट रिपोर्ट, इन्फोर्मेटेड मॉनेटोरिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
 6. पर्यावरण क्षति में उल्लंघन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुर्घभाव नहीं होने, कृषि की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/उपलब्ध प्रस्तुत किया जाए।
 7. पर्यावरण प्रभावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रभाव (जमावित प्रस्तुत / स्पष्ट का नाम, मात एवं एंकोडेड जर्नल कार्यवाही कार्य का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
 8. वाटर इंजु कोषम इन्फोर्मेटेड प्लान प्रस्तुत किया जाए। वाटर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्य (जथा वाटर की सड़कों/एंथोप रोड का पक्कीकरण एवं संभारण, परिवहन की रोडन सड़कों/एंथोप रोड से वाटरन धुन कोषमन का नियंत्रण, जल किष्काल कोषमन, सड़कों/एंथोप रोड के किनारे तथा वाटर में उपलब्ध कृषि नुमि में कृषारोषण, वाहन दुर्घटना का रोषमन का लक्षण आदि) का विवरण एवं वाटर में सम्मिलित प्रयोग कोषमनक का कोषमन प्रदूषण नियंत्रण के कार्य की निमादन हेतु निर्धारित प्रस्ताववित्त का विवरण प्रस्तुत करें।
 9. पर्यावरण इंजु कोषमनक जल की आर्द्रता नरोषमन में सम्मिलित कोषमन से किए जाने हेतु कोषमन पर्यावरण मॉडल असैसमेंट की माफ़ अनुरोध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 10. इन्फोर्मेटेड मॉनेटोरिंग पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- पर्यावरण प्रभावक को तदनुसार सुविधा किया जाए।

5. मैलसी नदनी-खुदनी लाईन स्टोन काईंग (श्रीमती कोटिनी देवी निभा), धाम-नदनी-खुदनी, तालीत-बन्धा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नसी अनांक 10)

अनिललाईन आवेदन - पूर्व में कोषमन नाम - एनआईए / सीडी / एनआईएन / 31798 / 2018, दिनांक 10 / 10 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। कोषमन में कोषमन नाम - एनआईए / सीडी / एनआईएन / 43830 / 2018, दिनांक 10 / 12 / 2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 07 / 10 / 2014 के पूर्व में कोषमन धुन पर्यावरण संरक्षण (सुना कानिज) है। कोषमन संख्या न. 1009(पी), धाम-नदनी-खुदनी, तालीत-बन्धा, जिला-दुर्ग, कुन लीन रोड 1.02 हेक्टेयर है। कोषमन की आवेदन

उत्पादन क्षमता - 40,000 गैटिक टन प्रतिवर्ष है। इस उत्पादन में खसिरों की 227वीं बिक्रम दिनांक 13/06/2017 को सुकाई की गई थी, जिसमें टीबीआर जारी करने का निर्देश दिया गया था। उत्पादन की मात्रा निम्नानुसार है:-

1. घास पेंसवेल का अनामोलि प्रमाण पर - घास पेंसवेल गंदनी-बुंदनी द्वारा दिनांक 18/02/2014 को जारी अनामोलि प्रमाण पर प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्पादन योजना - लकीम डॉक सर्किंग पालन प्रस्तुत किया गया है, जो राष्ट्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान खुले, गानपुर की यह प्रमाण बीमारजी/एलएसटी/एम्पीएलएस-808/ गानपुर दिनांक 07/04/2014 (वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 गैटिक की परिधि में स्थित खदान - कार्मालय कलेक्टर (सैनिक बलवा), जिला-दुम के पर क्रमांक 2388 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पर अनुमान आवेदित खदान की 500 गैटिक परिधि में कुल 11 खदानें प्रमाण 7071 इन्स्टॉल एम्प्ल / विद्यमान हैं। इनमें से सभी खदानों की लीज 08/08/2013 को शुरू की गयी है।
4. महासूक्ष्म संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घास-गंदनी-बुंदनी 0.75 कि.मी., खुले घास-गंदनी-बुंदनी 1.3 कि.मी., अग्रतल घास-अधिकतम 5 कि.मी. एवं अन्य बंदराने मिलाई घास अधिकतम 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राजमार्ग 208 कि.मी. दूर है। विमानतट नदी 14 कि.मी. दूर है।
5. पारिस्थितिकीय/जैववैविधता संवेदनशील क्षेत्र - पारिस्थितिकीय प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय घास, राष्ट्रीय खदान, अन्वयण, राष्ट्रीय अनुमान नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्ट्स क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रदियेदित किया है।
6. लीज का विवरण - लीज क्षेत्र बीमली भूखंडों देरी स्थित की मात्रा पर है। लीज क्षेत्र 20 वर्षों अवधि 07/07/1998 से 06/07/2018 तक की अवधि हेतु है।
7. जिब्रोसीडिकल रिजर्व 8,88,800 टन एंड नॉनरेजल रिजर्व 8,78,058 टन है। लीज क्षेत्र की घास औसत 7.5 गैटिक (0.4 हेक्टर) कुल क्षेत्र घोषित गया है। औसत कास्ट सेमी नॉन-नाईन्स गिफि से उत्पादन किया जाता है। अपनी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है। परीक्षण में उत्पादन की औसत गहराई 27 मीटर है। अल्टीमेट उत्पादन की गहराई 27 मीटर होगी। अल्टीमेट वेज की गहराई 8 मीटर एवं सीमाई 4 मीटर है। विगत एक वर्ष में उत्पादन घास की मात्रा 1,58,184 टन है। डिजिटल हेतु क्षेत्र हेमर ट्रिल का उपयोग किया जाता है। अल्टीमेट किया जाता है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। विभिन्न खदान प्रक्रियाओं हेतु 7 किलोमीटर प्रतिदिन (अधत संवेदन 3 किलोमीटर प्रतिदिन, आदिमान 7 किलोमीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 2 किलोमीटर प्रतिदिन) परत की आवश्यकता होती है, जिसका कुल क्षेत्रफल है। आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परत का उपयोग किया जाता है। लीज क्षेत्र की घास औसत 7.5 गैटिक क्षेत्र में उत्पादन किया जाएगा। विगत वर्षी के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:-

उत्पादन की योजना

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
1998-1999	9,900
1999-2000	11,000
2000-2001	11,000
2001-2002	7,000
2002-2003	60,750
2003-2004	1,04,800
2004-2005	83,400
2005-2006	70,100
2006-2007	58,800
2007-2008	59,900
2008-2009	37,800
2009-2010	29,800
2010-2011	18,000
2011-2012	20,000
2012-2013	50,014
2013-2014	28,700
2014-2015	32,900
2015-2016	28,775
2016-2017	40,500
2017-2018	3,375
2018-2019	निरंतर

उत्खनन की पर्यावरण प्रभावित योजना

वर्ष	दीर्घमान (वर्गमीटर)	बेस उंचाई (मीटर)	आपटल (चौममीटर)	उत्खनन क्षमता हजार (टन)	वार्षिक उत्खनन (टन)
2013-2014	2,700	8.0	18,200	40,500	28,700
2014-2015	1,500	8.0	9,000	22,900	32,900
	1,200	8.0	7,200	18,000	
2015-2016	2,700	8.0	18,200	40,500	28,775
2016-2017	1,800	8.0	10,800	27,000	30,375
	1,800	8.0	5,400	13,500	
2017-2018	2,700	8.0	18,200	40,500	(फरवरी 2017 तक)
कुल	9,600	-	57,800	2,02,900	फरवरी 2017 से उत्खनन बंद है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी विवरण :- पूर्व में पर्यावरणीय स्थिरता जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छातीसमूह के शासन दिनांक 21/08/2018 द्वारा प्रकल्प सी-1 कोटेगरी का होने के कारण नारा शासक पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में अकांशित प्रोसेचर टर्न ऑफ लिमिटेड (टीओआर) और ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एकटीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लैपरेस अफर ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टीपडाई टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे क्लैप नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट/एकटीविटीज कोटे किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मोनिटरिंग डेटा अनुसार 2018 से दिनांक 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर से अलग 18 स्थलों पर परिवर्ती वायु गुणवत्ता मध्य, 11 स्थलों पर भू-जल गुणवत्ता मध्य, 13 स्थलों पर जल सतह मध्य, 8 स्थलों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 8 स्थलों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मोनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम₁₀ 248 से 48.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम_{2.5} 83 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 18.6 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवर्तन स्थल की अवस्था उस स्थलों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवर्ती जल सतह (Dry time) 38.1 डीपीए से 69.6 डीपीए एवं जल सतह (Wet time) 38.4 डीपीए से 42.1 डीपीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. नारा शासक पर्यावरण, जन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय गई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को अपनी नारा की अकांशित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्ताव (अर्थात् नोटिफिकेशन सहित प्रस्तुतीकरण दिने जारी हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार जल निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छातीसमूह के शासन दिनांक 21/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की टीओआर तथा अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सल्लुबल की कम में बैठकों इन सिट्टु इन्वायरमेंट क्लैप, मोडल की और से की किया राष्ट्र उपस्थित हुए। समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अप्रैल से मार्च 2018 तक 28,775 टन एवं वर्ष 2018-19 में 30,373 टन उत्खनन किया गया है। जनवरी 2017 में उत्खनन बंद है।
2. लोक क्षेत्र के चारों ओर 1.5 मीटर सेड में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रकृत इंजीनियरिंग में जॉर्ज डी प्रन्स का आवेदन तथा जॉर्ज प्रीतलपण (Nobal Modelling) नहीं किया गया है।
4. सीमेंटिंग परिणामों के अनुसार परिशिष्ट तालु में पीएम₁₀ 83 से 112.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निश्चित मानक से अधिक है।
5. उत्खनन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की सुगंधता में परिवर्तन / दुष्गंध नहीं होने, सूखे की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/प्रायोगिक प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित प्रकृत / जल का नाम, पत्र एवं कार्यवाही व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. वास्तव हेतु जीवन इन्धायरोमेटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की क्षमता निर्धारण में स्थापित घोरवेज से विश्लेषण बताया गया है। उक्त हेतु सेक्टर वास्तव गैटर असीरिटी से प्राप्त जानकारी प्रदान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. इन्धायरोमेट केनेडमेट ऑडिटी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2018 प्राय: 1200 बजे स्थान सांखरीक उपरिक्त मुख्य की सुझान के आसने घास-पहेलान लक्ष्मील-धनरा, जिला-दुर्ग में संभल हुई। लोक सुनवाई पलायन सदस्य सचिव, पालीसगाइ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पत्र सायपुर अटल नगर, जिला-सायपुर के पत्र दिनांक 28/11/2018 प्राप्त किया किया गया है।
11. धनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-
 - a. इस लोक की अवस्था सामान्य अवस्था से पीछे होकर सेड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती है, की मिट्टी लोक नहीं है तथा सबसे अवस्था जबर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एच. से उपलब्ध बांधी से संभलन करवाया जाये। डी.एम.एच. से कोई विकल्प नहीं हुआ है।
 - b. निश्चित रासायनिक अकार्टिक प्रोन्ड बांधिए। सभी खदानों में एक समक पर अकार्टिक होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं अवसर जो कालु होना उसकी सामान्य का निश्चल कालु होना। उसकी भावत निगहानी कराने द्वारा किया जाय। अवसर को पूर्णतः बन्द होकर जल छिद्रवाक की अवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को कुल में कालों की सिंभाई हेतु प्रदान किया जाय।
 - c. राधनिकता के अवसर का संरक्षित धारों की लॉरी को ही संवर्धन दिनांक जाना चाहिए।
 - d. खदान में कालु एवं जल प्रदूषण का निवारण होना चाहिए। पालीसगा के निर्धारित नगरपालों की अनुसूचन खदानों का संभलन होना चाहिए।

४ खदानों में कोई भी वृत्तारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 मीटर से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी उतरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। खानों में कोई विद्युत कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृत्तारोपण नहीं किया गया है। अल्ट्राटाक से बहुत आवाज आती है। अतिसूक्ष्म कण से उत्पन्न भी किया जा रहा है।

५ मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, इससे बहुत धूल उड़ती है। इनसे गाड़ियों में धूल जमाई जाए। धूल का भी संकलन किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों से निराकरण की दिशा में परिशीलना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

१. जी.एम.एम. की सड़ि या सेवली की सड़ि से निर्यात प्रशासन के माध्यम से निर्यात का कार्य किया जाएगा।
२. प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च विद्युतकार एवं वृत्तारोपण की व्यवस्था की जाएगी।
३. विविध सेवाएँगाती को कंपनी को अथवा पर स्थानीय लोगों को अनापकानुसार रोजगार हेतु अधिनियम दी जाएगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत स्थितियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
४. जल सार 30 मीटर नीचे है। खदान से आवाज की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।
५. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संकलन किया जाएगा। वर्षा का पानी निर्यात प्रशासन की अनुमति से निर्यातनुसार/अनापकानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।
६. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संयोजित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विधान विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

१. लीज क्षेत्र की घाटी और १.5 मीटर क्षेत्र में पूरा क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अब उचित अनुमति क्षेत्र का निर्धारण तथाई गहराई सहित लक्षों में इच्छित कर कर्मचारियों में भरोसा (विश्वास) हेतु प्रस्ताव मिट्टी / अल्ट्राटाक से माका की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही मिट्टीकरण (Mitigation) पत्र प्रस्तुत किया जाए।
२. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान अनुमति उपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को लीज क्षेत्र की घाटी और १.5 मीटर क्षेत्र में किरानी माका से उपजाव किया जाएगा एवं क्षेत्र उपरी मिट्टी को उचित ढक-रखाव को प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग पत्र प्रस्तुत किया जाए।
३. जरी टी.ओ.आर में विवेक गये कई कर्नाक उत एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर को विन्युअर का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
४. प्रस्ताव टी.ओ.आर में परिशीलन जानि लान में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न धूलि को सामिल करती धुमे प्रभाव का आकलन तथा धूलि प्रतिभाग्य (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अब कर्मचारी प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना वायु में सी.एन.डी. की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः अन्त में कालम को संशोधित किया जाए तथा प्रभावी निर्धारण (Mitigation measures) संबंधी उपाय प्रस्तुत किया जाए।
5. वातावरण नीति दस्तावेज में अंतर्गत की गई कार्यवाही का मानक का अन्तर्गत संबंधी प्रत्यक्ष मानक संबंधी प्रस्तुत की जाए।
6. उल्लंघन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य किए जाने से परियोजना वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार उपायों का अन्तर्गत संबंधित स्थितिगत मानक तथा नैसर्गिक दूषण अनुमित सीमा निर्धारण करना, इन्फोर्मेड डिसीजन अन्तर्गत निर्धारित इन्फोर्मेड डिसीजन प्रमाण प्रस्तुत की जाए।
7. उल्लंघन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता से परियोजना / प्रदूषण नहीं होने, सूखी की सतहों नहीं किए जाने आदि के लक्षण से अन्तर्गत / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना अन्तर्गत वातावरण (Corporate Environment Responsibility) का निरूपण प्रस्ताव (अन्तर्गत सूचना / सूचना का मानक तथा एवं एन्वीरोन्ट संबंधित कार्यवाही प्रमाण का निरूपण) प्रस्तुत किया जाए।
9. क्लस्टर हेतु अन्तर्गत इन्फोर्मेड डिसीजन प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित विभिन्न कार्य (जैसे क्लस्टर के सदस्यों/एग्रीड रोल का प्राथमिकता एवं सहायक परियोजना के दौरान सदस्यों/एग्रीड रोल से उत्पन्न हुए उत्सर्जन का निरूपण, जल विद्युत का उपयोग, सदस्यों/एग्रीड रोल के किन्हीं एक क्लस्टर में अन्तर्गत सूखी भूमि में क्लस्टर, क्लस्टर प्रदूषण का रोकथाम का प्रमाण, आदि) का निरूपण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक सदस्य के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पन्न हेतु निर्धारित प्रमाण प्रस्तुत का निरूपण प्रस्तुत करें।
10. परियोजना हेतु अन्तर्गत जल की उपस्थिति बर्तमान में स्थापित प्रमाण से किए जाने हेतु संशुद्ध वातावरण नीति अन्तर्गत की प्रभावी अन्तर्गत प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
11. इन्फोर्मेड डिसीजन प्रमाण संबंधी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
12. परियोजना अन्तर्गत वातावरण नीति अन्तर्गत सूचित किया जाए।

10. मेरठ की टीपक मुख (अन्तर्गत सीमा गाईड, राम-अन्तर्गत, तहसील व जिला-अन्तर्गत), ब्राह्मण बाबा, बाई नं. 10, गीबरा, लखनऊ (अन्तर्गत का नक्का क्रमांक 1088)

अन्तर्गत अन्तर्गत - अन्तर्गत नम्बर - एन्वीरोन्ट / सीजी / एन्वीरोन्ट / 1088 / 2018, दिनांक 17/12/2018।

प्रस्ताव का निरूपण - यह सूचना में अन्तर्गत रोल अन्तर्गत (सीमा अन्तर्गत) है। यह अन्तर्गत राम-अन्तर्गत, तहसील-अन्तर्गत, जिला-अन्तर्गत स्थित अन्तर्गत अन्तर्गत 364, सुड अन्तर्गत क्षेत्र 4.88 हेक्टेयर में है। अन्तर्गत अन्तर्गत से किया जाता है। अन्तर्गत की अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत 99,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

सूचना का निरूपण -

(अ) तारीख 17/12/2018 सूचना दिनांक 18/01/2019

अग्नि द्वाग करण की नती एव अस्तु जानकारी का परीक्षण उपलब्ध कार्यसमिति के निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित खण्ड पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का डिग क्लस्टर प्रदान में रेल शाला के लेवल (Levels) मेक डिग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेच मार्क (TBM) में आरएस, जी-डीडिमेंट्स (Co-ordinations) उचित किये जाये। डिग वेग के टेम्परी बेच मार्क (TBM) को भी उचित, उम्हें अग्नि विभाग के प्रत्यक्षण उपरत कोटीकरण सहित जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित खण्ड पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की नौट्राई उभने की डिग, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नदक (नद) सौकरन उसकी गणनात्मक नदराई का चयन कर, अग्नि विभाग से अर्थात जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की गणनात्मक नदराई हेतु गणनात्मक भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नदराई एवं नौट्राई तथा नदी के घट की नौट्राई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में डिग गद् उत्खनन की गणनात्मक माक की जानकारी अग्नि विभाग से प्रदर्शित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, कम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार कोर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रदान प्रस्तुत किया जाए।
6. अग्नि निरीक्षक एवं परिवर्तन प्रशासक की उद्योग में रेल के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगली माह की अर्थात वेक में उपरोक्त समस्त सुलगात जानकारी / दस्तावेज (उद्योग कोटीकरण) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाये।

उपरोक्त अग्नि निरीक्षक एवं परिवर्तन प्रशासक की सुनईरकी, कोटीकरण के अन्त दिनांक 21/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विजय लोड, अधिकृत प्रतिनिधि एवं भी विज्ञापन सुनईर, अग्नि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा गती, अस्तु जानकारी का उपरोक्त एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि गई नई-

1. ग्राम पंचायत का अन्तर्गत प्रमाण पत्र - रेल उत्खनन के माक के ग्राम पंचायत क्षेत्री का दिनांक 11/09/2017 का अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. बिन्दुकिट/सीमाकिट - मातृलय कलेक्टर, अग्नि विभाग के उपरत प्रमाण पत्र अनुमान पत्र खदान बिन्दुकिट/सीमाकिट कर भीत है।
3. उत्खनन योजना - माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अग्नि अधिकारी, डिग-उद्योग-बलर क्षेत्र के उद्योग अन्तर्गत 178/अग्नि/कासपी.अनु./11/2018-20 कासेर, दिनांक 17/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 300 मीटर की परिधि में स्थित खदान - मातृलय कलेक्टर (अग्नि विभाग), डिग-उद्योग के उद्योग अन्तर्गत 1201/अग्नि/माक./2018 केपरी, दिनांक

13/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की सीमा अवधिगत रूप खदानों की संख्या निम्न है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - सार्वजनिक कॉलेज (विभिन्न शाखा) दिल्ली-अंगरेजी को प्रामाण्य क्रमांक 1289/सनि./निविदा/2019 दिल्ली, दिनांक 13/12/2019 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र अनुमत तथा खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनिकाट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य आयुर्वि आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र विहित की है।
6. एल.डी.आई. का विवरण - एल.डी.आई. सार्वजनिक कॉलेज (विभिन्न शाखा), दिल्ली-अंगरेजी को प्रामाण्य क्रमांक 1237/सनि./निविदा/2019 दिल्ली, दिनांक 07/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु देय है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भूमापन विभाग, एन डीए प्रशासन परिचालन मजदूर, नई दिल्ली को प्रतिक्रियित दिनांक 28/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महापर्वत भवन-खानों की दूरी - निकटतम खानों का नाम-अंगरेजी 1 कि.मी., स्कूल का नाम-अंगरेजी 1 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी., एवं राजमार्ग 38 कि.मी. दूर है। पुल 12 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितीकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परिचालन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में सार्वजनिक सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रसूतन नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित निविदाओं की सीमाएं, पारिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिक्रियित किया है।
10. खान स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी छेद से दूरी - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई - 700 मीटर तथा खान स्थल की चौड़ाई - 240 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी छेद से दूरी 75 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 3 मीटर तथा रेत खान की प्रस्तावित मोटाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपरोक्त रेत की मात्रा - 28,000 घनमीटर है। रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खानों में उपरोक्त रेत सहाह की मोटाई प्राप्त करने के लिए, डीटी इंस्टीट्यूट में सगरी रेत एक यद्वा (एम) खोदकर उसकी वार्षिक मोटाई का मापन कर, सनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 यद्वा (एम) खोदकर उसमें रेत सहाह की मोटाई मापने के अलावा पर, वर्तमान में रेत की उपरोक्त मोटाई 4.25 मीटर है। रेत की वार्षिक मोटाई हेतु पंथामन भी प्रस्तुत किया गया है।
12. खदान क्षेत्र में रेत सहाह की लेवल्स - रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टर 4 किन्टो की रेत सहाह के लेवल्स वर्षा-मानसून (Post-Monsoon) द्वारा दिनांक 17/12/2018 को रेत सहाह की लेवल्स Levels लेवल, एन डीए विभाग से संप्रोबेशन उपकरण जोटायावत सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में सार्वभ, एन डीए अंगरेजी को नाम से रेत खदान-खानों क्रमांक 384, क्षेत्रफल 4.00 हेक्टर, क्षमता-75,000 घनमीटर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

सहरीय पर्यावरण संसाधन विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/08/2018 को द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अलावा नए की गई कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न की गई है। नए अध्ययन रिपोर्ट उत्पन्न नहीं की गई।
- iii. वर्ष 2018-19 में 30.832 घनमीटर क्षेत्र उत्खनन किया जाना बताया गया है।
- iv. पूलखनन नहीं किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, नवी दिल्ली एवं जीए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एम, दिनांक 01/05/2018 की अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को संकेत दिशाएं दो कार्य उपचार निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Neelgiri Government Primary School Village Amethi	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.15
			Plantation work	Rs. 0.25
			Total	Rs. 0.80

समिति द्वारा परिशोधना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत अन्वेषण एक मास में प्रस्तुत किया जाए।

15. वेत उत्खनन हेतु प्रस्ताव विधि से एवं भराई का कार्य सीकर द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।
16. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुशोधित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की दैनिक वेत पुनःभराई संकेत अध्ययन कार्य एवं तालाबों की आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महलदी बंदी नहीं है तथा इसी प्रकार में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक वेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. अनुशोधित खदान (पान-बनेटी) का सतह 4.88 मिटर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संशोधित छद्मों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर से अधिक का उत्खनन निर्मित नहीं होने से उत्खनन का खदान की-2 बनेटी की सीमा नहीं।

2. **कुआरोपम कार्य** – पूर्व में जारी पारंपरिक स्वीकृति अनुसार कुआरोपम नहीं किया गया है। उपनिष्ठा के अन्तर्गत नदी तट पर कुल 2500 मम चौड़े – 1000 मम अर्जुन के पीछे तथा बीच 1500 मम (जामुन, कजल, बंस, आम आदि) पीछे लगाने का कार्य। उद्यम मार्ग पर 1000 मम चौड़े लगाने।
3. परियोजना प्रस्तावक से अन्तर्गत क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्षों में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Situation Study) करायेगा, जहाँ ग्राह के पुनर्गठन (Reorganization) तथा सभी आंकड़े, सेत अध्ययन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं वृक्ष आदि पर अन्तर्गत नदी के पानी की सुरक्षा पर सेत अध्ययन के अन्तर्गत की गयी जानकारी प्राप्त हो सके।
4. सेत पुनर्गठन की स्थिति के अन्तर्गत सेत परियोजना प्रस्तावक द्वारा सन् 2020 की अन्त में मानसून पूर्व सेत अध्ययन समाप्त होने के बाद सेत अन्तर्गत में पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं तथा लीज के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के सेत ग्राह के लेवल (Level) का मापन की गये। इसमें अन्तर्गत खनन लीज के अन्तर्गत / गरी तट (सीमें) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में सेत ग्राह के लेवल (Level) का मापन की गये। इसी प्रकार गरीत-मानसून में सेत अध्ययन प्राप्त करने की पूर्व तक अन्तर्गत इसी सिद्ध बिन्दुओं पर सेत ग्राह के लेवल (Level) का मापन किया जाएगा। गरीत-मानसून के आंकड़े विस्तृत 2020, 2021, 2022 एवं सी-मानसून के आंकड़े अन्तर्गत 2020, 2021, 2022 तक अन्तर्गत रूप में एनईआईएए, अन्तर्गत को प्रस्तुत किया जायेगा। सेत ग्राह के पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर सेत ग्राह के लेवल (Level) का मापन का कार्य लगभग 3 वर्षों तक निरन्तर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार किया अन्तर्गत अन्तर्गत से की चौक गुरु, अन्तर्गत सेत गरीत की अन्तर्गत अन्तर्गत 362 घाम-अन्तर्गत, गरीत व जिला-अन्तर्गत, कुल लीज क्षेत्र 400 हेक्टेयर में सेत अध्ययन अन्तर्गत 1.5 मीटर की गरीत तक सीमित रखी हुए कुल 75000 घाम-अन्तर्गत अन्तर्गत सेत परियोजना-20 में अन्तर्गत अन्तर्गत की अन्तर्गत पारंपरिक स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अन्तर्गत सेत गरीत जाने की अनुमति की गई। सेत की गरीत अन्तर्गत द्वारा (Manually) की जाएगी। गरीत सेत में गरीत अन्तर्गत का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित सेत गरीत गरीत (Entrance) से अन्तर्गत पाईप तक सेत का अन्तर्गत टैकटन टैकटन टैकटन द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त अन्तर्गत पारंपरिक अन्तर्गत अन्तर्गत (एनईआईएए), अन्तर्गत की अनुमति सुनिश्चित किया जाए।

11. गरीत की अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत (अन्तर्गत सेत गरीत, घाम-अन्तर्गत, गरीत-अन्तर्गत, जिला-अन्तर्गत), अन्तर्गत अन्तर्गत, जिला-अन्तर्गत (अन्तर्गत का नदी अन्तर्गत 1037)

अन्तर्गत अन्तर्गत – अन्तर्गत अन्तर्गत – अन्तर्गत / गरीत / एनईआईएए / 12/142/2018, दिनांक 28/11/2018। अन्तर्गत अन्तर्गत द्वारा अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत से अन्तर्गत होने से अन्तर्गत दिनांक 08/12/2018 द्वारा अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत किया गया। अन्तर्गत अन्तर्गत द्वारा अन्तर्गत अन्तर्गत दिनांक 17/12/2018 की अन्तर्गत अन्तर्गत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेल खदान (ग्रीन खनिज) है। यह खदान धाम-बीरघासखर, सहरील-बीरलगांव, जिला-राजनांदगांव बिहार काई जॉफ खानरा जनांक 848, कुम सीमा क्षेत्र 28 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्तरांचल डिविजन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित जानकारी अर्थात्-82,000 वर्गमीटर प्रमाण है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा खदान की नयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सार्वजनिक कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर प्रति हेक्टर पर 4 विन्दुओं का चिह्न बनाकर वर्तमान में रेल खाह के लेवल (Levelling) लेकर चिह्न रैंग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। प्रकर लेवलिंग (Levelling) हेतु कम से कम 3 टेम्परी बेंच मार्क (Circulated TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आयटन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उचित किया जाये। चिह्न रैंग में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकता दर्शाना कोटीकरण सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
2. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टर में कम से कम एक गड्ढा (पिठ) खोदकर इसकी प्रासंगिक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की प्रासंगिक गहराई हेतु फलाना भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के चार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्ण में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर परवीकरण समायोजन निर्देशन अधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) कोटीकरण अथवा जिला स्तरीय परवीकरण समायोजन निर्देशन अधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) कोटीकरण द्वारा परवीकरण स्वीकृति दी गई हो तो पूर्ण में जारी परवीकरण स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित रक्षा के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कोटीकरण की अंतिम स्थिति की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्ण से प्रस्तावित है, तो किलन वर्क में किट नए उत्खनन की प्रासंगिक माप की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सार्वजनिक कार्यकरण (खनिज सार्वजनिक) द्वारा खदान की विन्दुगणित/सैन्यिक का प्रमाणित संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, परवीकरण, वन और उत्खनन परियोजना मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एच. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रसवक की खदान में रेल की लेवलिंग (Levelling) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के राज्य स्तरीय नए की आवेदित बैठक में कोटीकरण समस्त सुयोग्य जानकारी / दस्तावेज (खदान कोटीकरण सहित प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्रमाणित करि निर्देशक एवं अभियंता प्रस्तावक को एन.डी.ए.सी., अलीकपुर से ज्ञापन दिनांक 21/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

अनुमोदित हेतु की चला आनंद मीठरी, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मशी, प्रस्तुत जलकारी को अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न बिंदुओं पर चर्चा—

1. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र — इस जलकरण के संबंध में ग्राम पंचायत कोटवासीय का दिनांक 03/10/2017 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित — कार्यलय कलेक्टर, जलित शाखा से प्राप्त प्रमाण पर अनुसार यह प्रमाण चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. जलकरण योजना — जल सेवन प्रस्तुत किया गया है। जो उप राजस्व (क.क.) राजस्वनायक मीठरी तथा जलकरण, अलीकपुर के ज्ञापन क्रमांक 8026/अति/समा(जल) / ग.क. 315/2019 नाम सधपुर अटल नगर, दिनांक 18/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित प्रमाण — कार्यलय कलेक्टर (जलित शाखा) जिला-राजनायगांव के ज्ञापन क्रमांक 2977/अति, 03/2019 राजनायगांव, दिनांक 22/11/2019 के अनुसार अधिसूचित जल सेवन से 800 मीटर की भीतर अधिसूचित अन्य जलकारी की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कलेक्टर (जलित शाखा) जिला-राजनायगांव के ज्ञापन क्रमांक 2977/अति, 03/2019 राजनायगांव, दिनांक 22/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पर अनुसार जल जल सेवन से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मण्डप, कल्याण, स्कूल, गुप्त बाग, क्षेत्र, एनीकट एवं अन्य जलकारी जलित अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एन.डी.ए.सी का विवरण — एन.डी.ए.सी, कार्यलय कलेक्टर (जलित शाखा) जिला-राजनायगांव के ज्ञापन क्रमांक 21107/अति, 08/2019 राजनायगांव, दिनांक 05/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — गणतंत्र शासन, पंचायत, एन और जलकरण परिसरों में राजनायगांव नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2019 द्वारा निर्मित प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महाजल संचयनाधीन की दूरी — निम्नलिखित आवासीय जल-संयोजकता 0.8 कि.मी. एवं जलकरण कोटवासीय 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजनायगांव 3 कि.मी. दूर है। गुप्त 400 मीटर दूर है। सीकृत जल जल सेवन के अधिसूचित में 800 मीटर की दूरी पर गुप्त स्थित है। एनीकट की दूरी 400 मीटर से अधिक है।
9. परिस्थितिहीन/अधिसूचित संचयनाधीन क्षेत्र —अभियंता प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्देशीय सीमा, राष्ट्रीय जलकरण, अधिसूचित राष्ट्रीय जलकरण निम्नलिखित क्षेत्र द्वारा घोषित निर्देशकीय पॉइण्ट्स एरिया, परिस्थितिहीन संचयनाधीन क्षेत्र या घोषित अधिसूचित क्षेत्र स्थित नहीं होने अधिसूचित किया है।

10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी –
 आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – 100 मीटर तथा
 खनन स्थल की चौड़ाई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार खनन पर रेत की मोटाई –
 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई – 2 मीटर दर्शाई गई है।
 अनुशोधित गार्डनिंग पत्रान अनुसार खदान में सर्वेक्षण रेत की मोटाई – 82,000
 घनमीटर है। रेत प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में प्राप्त रेत प्राप्त
 की मोटाई खनने के लिए, प्रति हेक्टर में कम से कम एक मीटर (1m)
 चौड़ाई वाली सार्वजनिक मोटाई का खनन कर अनिश्चित विभाग की प्रस्तावित
 जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- पूर्व में इस खदान हेतु
 पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी अथवा नहीं? संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं
 की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत कटवों की संख्या – रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति
 हेक्टर पर 4 किन्चुओं का विश्व व्यापक वर्तमान में प्री-मोन्सून (Pre-Monsoon)
 सतह दिनांक 25/08/2018 को रेत कटवों की संख्या (Levels) की
 जानकारी/प्राप्त जानकारी प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण में प्रस्तुत टैबलरी रेत
 कटवों का खनन नहीं किया गया है तथा किन्चुओं को विश्व बैंक में प्रदर्शित भी नहीं
 किया गया है। वर्तमान अनिश्चित टैबलरी रेत कटवों का वर्षा एवं अन्य कारकों से
 परिवर्तित होना संभावित है। समिति अनिश्चित सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं की गई है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, नया दिल्ली और
 कारगार परिषदों के संयुक्त नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/08/2018 से
 अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को
 समस्त विस्तार से सर्वेक्षण निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 12	2%	Rs. 0.24	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Kotrasara	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.45
			Total	Rs. 0.45

समिति द्वारा परीक्षण प्रस्ताव को निरीक्षण किया गया कि सी.ई.आर.
 (Corporate Environment Responsibility) का निरूपण प्रस्ताव प्रस्तुत किया
 जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वेक्षण से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटवर्ती दुग्ध, बीज, एनीफॉट एवं अन्य अणुओं से नदी की दूरी
 समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. इस आशयन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिह्न संकेतन, जोमान में इस आशय के लेवलिंग Levels लेकर चिह्न सेट में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलिंग Levels हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेथ मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी वेथ मार्क (TBM) में स्वरपाल, को-ऑर्डीनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न सेट में टेम्परी वेथ मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हे अतिरिक्त विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. इस आशयन हेतु प्रस्तावित स्थल पर जोमान में उपलब्ध रहे की भौदाई जमाने के चिह्न जमी हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (गड्ढे) खोदकर उसकी प्राथमिक गड्ढाई का मापन कर अतिरिक्त विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। इस की प्राथमिक गड्ढाई हेतु संचनाया की प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित जमान क्षेत्र की भौदाई एवं सीमाई तथा गरी के नाट की भौदाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर जमान हेतु राज्य स्तर पर्यटन समायात निर्धारण प्रक्रियण (एच.ई.आई.ए.ए.) प्राथमिक अथवा जिला स्तरीय पर्यटन समायात निर्धारण प्रक्रियण (जी.ई.आई.ए.ए.) प्राथमिक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त जमी के जमान में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही जमान हेतु अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि जमान पूर्व से संकल्पित है, तो विगत वर्षों में किए गए जमान की अवलोकित माता की जानकारी अतिरिक्त विभाग से प्रस्तावित कर कर प्रस्तुत की जाए।
7. पर्यटन समायात प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जायें।

पर्यटन समायात को तत्काल श्रुति किये जायें।

12. मेसर्स मेडेशल आईन स्टोन आईन (प्री-सीसी जल्वा सीवास्ताव), धाम-मेडेशल, तहसील-धमडा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती समायक 730)

जमान आईन आवेदन - पूर्व में आवेदित नम्बर - एचआईए / सीसी / एमआईएन / 28182 / 2018, दिनांक 11/07/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। जोमान में प्रस्तावित नम्बर - एचआईए / सीसी / एमआईएन / 48549 / 2018, दिनांक 18/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. निर्धारित प्रस्तुत किया गया है।

जमान का विवरण - यह प्रस्तावित कुल नम्बर जमान (मुख्य अतिरिक्त) है। यह जमान धाम-मेडेशल, तहसील-धमडा, जिला-दुर्ग स्थित जमान जमानक 1002/1, 1002/2, 1002/4, 1002/3, 1002/1, 1002/5, 1002/2, 1002/8, 1004, 1005 एवं 1006/2, कुल सीमा क्षेत्र 8.20 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। जमान की आवेदित जमान एवं अतिरिक्त समस्त - 1,88,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार में समिति की 288वीं बैठक दिनांक 28/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टी.ओ.आर जारी करने का निर्णय किया गया था। जमान को तत्काल निम्नानुसार है-

1. काम प्रस्तावत का अनुमति प्राप्त पत्र - काम प्रस्तावत संकेतित द्वारा दिनांक 23/07/2018 को जारी अनुमति प्राप्त पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - परिचालन प्रस्तावक द्वारा माइनिंग प्लान एलांनमेंट प्रोडिग माइन क्लीयरेंस पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो 24 साल निर्देशक एवं क्लारीफिकेशन, भारतीय खान धरो, रायपुर के पत्र क्रमांक पूर्व/ सुप/ खप-1179/ मान/ 2018-22/ रायपुर दिनांक 23/08/2018 द्वारा अनुमति है।
3. 300 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्बोनास कलेक्टर (खनिज सार्व), विना-पूर्व के पत्र क्रमांक 1832/ खनिज 2018 पूर्व, दिनांक 24/11/2018 के अनुसार आवेदित खदान की 300 मीटर परिधि में कुल 04 खदानें सख्त 81.38 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. महावर्ष संरचनाओं की दूरी - निकटतम आंधरी घाट-मैडेराट 1.15 किमी, कृष्ण एवं अस्तित्व घाट-मैडेराट 1.2 किमी की दूरी पर स्थित है। विद्यमान नदी 2.5 किमी दूर है।
5. परिस्थितिकीय/ वैश्वविद्यालय संवेदनशील क्षेत्र - परिचालन प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में आंतरांगीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, आंध्रप्रदेश, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जटिलता जोखिम क्षेत्र, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित वैश्वविद्यालय क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबद्धित किया है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. प्रतीकण्ड खदान, खनिज सार्व विभाग, संजालय, रायपुर के द्वारा क्रमांक एल 3-7/2012/12 दिनांक 14/03/2018 के द्वारा माइनिंग प्लान सख्त करार के एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किसे जाने के लिए जारी की गई है।
7. जियोटेक्निकल रिपोर्ट 5.837 मिलियन टन एवं माइनेड रिपोर्ट 1.427 मिलियन टन बताया गया है। जीक क्षेत्र की चारी जीक 7.5 मीटर कुल क्षेत्र छोड़ा जाएगा। सोम कालत सीमा में 500000 टन प्रति घंटा उत्पादन किया जाएगा। कालत का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर होगी। डिजिटल एवं कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की गहराई 1.5 मीटर है। खदान की क्षमता 11 वर्ष है। क्षमता 10 किमी लीटर प्रतिदिन (डिजिटल एवं कालत सख्त, सख्त, परीक्षा सख्त) जल की सप्लाई होगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण सेट जल पर सिद्धांत एवं क्षमता सख्त जाएगा। प्रस्तावित उत्खनन की वर्षवार योजना का विवरण निम्नानुसार है:-

उत्खनन की योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन MOM (टन)
प्रथम वर्ष	18,000
द्वितीय वर्ष	22,400
तृतीय वर्ष	26,800
चतुर्थ वर्ष	44,800
पांचम वर्ष	67,200
कुल	1,79,200

नोट: तस्मिन् दिनांक में दस्तावेज की बाट में अंकों का सामाजिक विभाग तथा है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एच.ई.ए.सी., एनटीएमएड के आपन दिनांक 11/02/2019 द्वारा प्रस्ताव बी-1, सेक्टर 1 का होने की वजह से नारायण नगर, नारायण, वन और जलवायु परिवर्तन संशोधन द्वारा अप्रैल, 2019 में प्रस्तावित सर्वेवाई टर्नो ऑफ रिफरेंस (टीआरएफ) और ई.आई.ए./ई.एम.ए. रिपोर्ट को प्रोजेक्ट्स/एनटीएमएड विभागीय एनवायर्समेंट एसीजेशन अथॉरिटी (ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 में उचित क्षेत्र 1(ए)) का सीन-ड्राई टीआरएफ (लोक सुलवाई सहित) नीचे उचित माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीआरएफ जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 16/01/2020

समिति द्वारा नारायण प्रखण्ड नगरपालिका का अद्यतनित एन परीक्षण करने का निम्न विधि गई गई—

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – नॉन-ट्रिगिंग क्वॉट अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के लिये किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 30 स्थलों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थलों पर न्यून-जल गुणवत्ता मापन, 18 स्थलों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थलों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. नॉन-ट्रिगिंग परिसरों के अनुसार पीएम₁₀ 24.8 से 46.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम_{2.5} 8.3 से 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एराओ₂ 9.9 से 12.9 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना क्षेत्र के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। पर्यावरणीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 58.5 डीबीए एवं रात्रि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. नारायण नगर, नारायण, वन और जलवायु परिवर्तन संशोधन, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 05/08/2018 के अनुसार एच.ई.ए.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को जानानी सड़क की आसपास बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कॉन्ट्रैक्ट) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., एनटीएमएड के आपन दिनांक 01/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की लक्ष्य नीयतनायक अडिक्टिड प्रतिनिधि एवं कोवेकड सल्लाहकार के कड से वेकडें हुन सिट्टु कुन्यायसे कोवेर भोगाल की ओर से की विजय सल्लु कडसिडल हुर। समिति द्वारा कलौ, प्रस्तुत जानकरी का अडालोकन एवं परिक्षण कलने कड निम्न विधि कडें नई-

1. प्रस्तुत ई.आर्टिकुल से कडने की प्रभाव का आकलन तथा कडने अडिलक्षण (Noise Modeling) कडें कियल गडल है।
2. सीनियरिड परिसराली के अडुलत परिसराली कडने से पी.एन.एक. कड से 1127 सल्लुओडाल/कडनेओडल कडलल गडल है, की कड निश्चिड सल्लुल के अडिक है।
3. सीनियरिड प्रसल्लक द्वारा सी.ई.ओ.एर. (Corporate Environmental Responsibility) का सिस्टुड अडलल (अडललरिड लुडल / अडलल का कडने, कडल एर कडनेओडल कडने का विवरण) प्रस्तुत नई कियल गडल है।
4. कडलरड हेतु सीनियल इन्कडयरोमेंटल कडलल प्रस्तुत नई कियल गडल है।
5. इन्कडयरोमेंट सल्लुलमेंट परिक्षरी की जानकरी प्रस्तुत नई की गई है।
6. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 कडल 1200 कडने अडलल सल्लुलरिड अडिलल सुन्य की सुकलल की कडने द्वारा-कोवेकड सल्लुलरिड-अडलल, कडलल-दुरी से कडने सुई। लोक सुनवाई परिसराली कडलल सल्लुल, कडललरिड अडललरिड सल्लुलल गडलल, गडल सल्लुल अडलल कडल, कडलल-सल्लुल की कडने दिनांक 28/11/2019 कडल अडिलल कियल गडल है।

2. अडलसुनवाई के डीरलन मुख्य कडने की निम्न सुकलल/विषय प्रस्तुत किये कडें है-

1. इस डीरल की अडलल सल्लुलल अडिलरल से पीकर कोवेकड कोड कडने पर सिट्टु कडलली की कडने-कडने परिक्षण कडलली है, की विधि डीरल कडने है तथा कडने अडलल अडलल की सुकली है। इन कडने का पी.एन.एक. से अडललल कडने से संकलल कडललल कडने। पी.एन.एक. से कडने कडललल नई सुकली है।
2. निश्चिड सल्लुल पर कडलरिड द्वारा कडलरिड। कडने कडलली से एक कडने पर कडलरिड डीरल कडलरिड। कडलले कडने सुकललल कडने कडलल एर कडलल की कडने कोवेकड अडलल कडने कडने का निश्चल कडने डीरल। अडलली कडलल निश्चलली सल्लुल द्वारा कडलल कडल। कडलल की सुकली कडलरिड डीरल अडल कडललल की अडललल कोवेकड कोवेकड कडलरिड। कडलली के निश्चललने कडने कडने की सुकली से कडलली की सिधवाई हेतु अडलल कियल कडल।
3. अडललकलल से अडलल पर कडलरिड कडने की कडने की डीरलरलल विडल कडलल कडलरिड।
4. कडलल से कडने एर अडलल प्रसुलल का निश्चलल डीरल कडलरिड। अडललरल की निश्चललल कडललरिड की अडललल कडलली का कडललल डीरल कडलरिड।
5. कडलली से कडने की अडललरिड कडने कडलल गडल है। अडललल 200 कडने से की गडलली कडलली है, कडलले कडने अडललल नई है। कडलले कडने सुकली अडललल ली कडने है। कडने से कडने कडललल कडने नई सुकली है। अडललरिड हेतु सुकलीरिडल नई कियल गडल है। अडललरिड से कडने अडललल कडलली है। अडललरिड कडने से अडललल की कडने का कडल है।

क. मिट्टी के परिवहन हेतु पट्टी-कड़ी चलाने चलती हैं, इससे बहुत नुकसान होता है। इनके प्रति में रोक लगाई जाए। रोक का भी संवर्धन किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान वहाँ पर विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवर्तन्य प्रभावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/अपार्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. सीएम.एच. को रूटि या सीक्रेट्री की प्रति से निराला प्रशासन के माध्यम से विचारण कर कार्य किया जाएगा।
2. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल विद्यमान एव प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी।
3. शिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहन के अन्तर्गत नए स्वयंसेवा लोरी को आशावाकानुसार रोजगार हेतु प्रोत्साहित ही जाएगी। पूर्व से ही कक्षाओं में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
4. जल सत 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्पन्न की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम नहीं जाएगी।
5. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें पानी का पाणी सम्भालित है। उनमें जल का संवर्धन किया जाएगा। पानी का पाणी निराला प्रशासन की अनुमति से निरालानुसार/आवश्यकतानुसार घुसकों को भी दिशा जाएगा।
6. सभी खदानें अपनी लीक क्षेत्र में सम्भालित है। लीक क्षेत्र से बाहर उत्पन्न नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार किर्वाई उपर्युक्त सर्वसम्भालि के निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. उत्पन्न प्रक्रिया के दौरान उत्पन्नित कचरे मिट्टी (लोक बॉर्डर) को लीक क्षेत्र के पानी और 7.5 मीटर क्षेत्र में किलनी माक में उपयोग किया जाएगा एवं लीक कचरे मिट्टी के लिये बच-बचाव के प्रस्ताव समिति अर्पणित कर्डीगीन प्साव प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी टी.ओ.आर. में किरे गपे जरी अर्थात 23 एव अतिरिक्त टी.ओ.आर. के किन्तुओं का प्रदान प्रोत्साहन प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत डी.आई.ए. में परिदेगीव स्थिति सतर में उत्पन्न प्रक्रियाओं के उत्पन्न कचरे को सम्भाल कर्ले हेतु प्रयास का आवश्यक तथा स्थिति प्रतिकल्प (Noise Modelling) नाई किया गया है। अतः गणना का जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. परिदेगीव सतु में वि.एन. की माक निर्धारित माक से अधिक है। अतः उत्पन्न के कारण को समष्ट किया जाए तथा कर्माई निरालान (Mitigation measures) लोरी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रशासन लीक क्षेत्र से जल की गहराई का मापन के अन्तर्गत संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. परिदेगीव प्रभावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का निराला प्रदान (प्रस्तावित कर्तुव / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट कर्तित कर्पणार अर्थ का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
7. क्लस्टर हेतु कर्मिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न कर्माई (जल क्लस्टर के क्लस्त्री/एरीय क्षेत्र का सम्भालित एव संवर्धन, परिदेवन के दौरान कर्माई/एरीय क्षेत्र से उत्पन्न सूत्र

उत्तरीय का निर्माण, जल विद्युत संयंत्र, सड़की, एडोव रोड की किलरी तथा काल्टर में उपलब्ध स्थानीय मृत्ति में कुलरिंग, बहान दुरुपटन का रोकथाम का प्रयास (आदि) का विवरण एवं काल्टर में स्थापित प्रत्येक लीथियम का उपयोक्त अनुभव निर्देशों की जारी की विचारों हेतु निर्दिष्ट उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

8. परिशोधन हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का लक्ष्य तय किया जाए। मू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेंट्रल प्रारम्भ क्षेत्र कन्सिडरी से प्राप्त अपायित्व प्रभाव प्रस्तुत किया जाए।
9. इन्फ्रान्फ्रैक्ट गैनेरलिंग प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रस्तुत की जाए। परिशोधन प्रस्तावों को तदनुसार सुचित किया जाए।

13. गैसरी उपरोक्त इवरी लाईन स्टोन मॉडर्न धाम-सहगांव, लहरीज-धमरा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 224)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रकीर्ण नम्बर - एसआईए / सीपी / एमआईएम / 74807 / 2018 दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रकीर्ण नम्बर - एसआईए / सीपी / एमआईएम / 48824 / 2018 दिनांक 18/12/2018 द्वारा पारंपरिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई-आई.ए सिटीई प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2018 को पूर्व की संशोधित मूल खदान खदान (मूल्य शामिल) है। यह खदान धाम-सहगांव, लहरीज-धमरा, जिला-दुर्ग स्थित खाल्डा क्रमांक 184/1(सी) कुल जीए क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18.732.5 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2018 को पर्याप्त किंग पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकल्प उत्खनन की सेवा का है। इस प्रकल्प में सचिवालय की 280वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुझाव की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकल्प की तय निम्नानुसार है-

1. धाम संघदाय का अनुमोदित प्रमाण पत्र - धाम संघदाय धाम-सहगांव द्वारा दिनांक 28/08/2009 को जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा मांडिकिकेशन माइनिंग धाम एचए जेपीएल मॉडर्न क्लोअर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान निबंधन, भारतीय खान बोर्ड, रायपुर (छ.प्र.) के द्वारा क्रमांक 1007 /डीआनजी /एसएचटी /एमपीएमएम /2017 संयुक्त दिनांक 27/08/2017 को वर्ष 2017-18 में 2021-22 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की सचिवालय में स्थित खदान - उत्तरीय काल्टर (सचिवालय काया), जिला-दुर्ग के द्वारा क्रमांक 188 दिनांक 18/04/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर सचिवालय में कुल 15 खदानें संख्या 25 88 क्षेत्रीय स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. सख्तपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आबादी धाम-सहगांव 0.88 कि.मी., लहरीज 22 कि.मी., धमरा स्लूट धाम-सहगांव में 0.88 कि.मी. अनुमोदित

घास-पौधों 85 कि.मी. एवं शैल स्टेशन मिलते 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राजमार्ग 1,24 कि.मी. दूर है। पीछा गला 82 मीटर एवं चौड़ाई 1 कि.मी. है।

5. **परिस्थितिकीय/जीववैविध्यता सर्वेदनशील क्षेत्र** -परिचालन उपकरणों द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में जलसंचयीय सौर, राष्ट्रीय उद्यान, उन्मूलन, वन्योप वृक्ष निरक्षण क्षेत्र द्वारा संरक्षित डिस्टिक्टो पील्मुटेड क्षेत्र, परिस्थितिकीय सर्वेदनशील क्षेत्र का घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
6. **सीज का विवरण** - सीज क्षेत्र गैरवाणिज्यिक क्षेत्रों के नाम पर है। सीज क्षेत्र 20 वर्षों के लिए 06/12/1991 से 06/12/2021 तक की अवधि हेतु किया गया है। सीज क्षेत्र दिनांक 06/12/2001 से 06/12/2021 तथा दिनांक 06/12/2021 से 06/12/2031 तक की अवधि हेतु सौंपी है।
7. **कार्यालय कार्यालय (स्थानिक शाखा) जिला-दुर्ग के जमान दिनांक 18/01/1982 द्वारा उन्मूलन कार्य हेतु सू-उपेक्षा की अनुमति जमान की गई थी। उन्मूलन कार्य दिनांक 01/04/1982 को प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में उन्मूलन कार्य पूरा 2012 से क्षेत्र होगा प्रतिबंधित किया है।**
8. **कार्यालय कनेक्टर (स्थानिक शाखा) जिला-दुर्ग के जमान दिनांक 10/12, दिनांक 24/10/2018 द्वारा उन्मूलन कार्य करने की तिथि से वर्षवार उन्मूलन तिथि में घोषित स्थानिक की मात्रा की घोषित जानकारी प्रस्तुत की गई है।**
9. **कार्यालय कर्मचारी/कार्यकर्ता, दुर्ग कनेक्टर, जिला-दुर्ग के जमान दिनांक 02/08, दिनांक 20/08/2018 अनुसार निकटवर्ती वन क्षेत्र गिरिणी-मुंदरी से जमान की दूरी लगभग 3 कि.मी. पर स्थित है। वन क्षेत्र की बरतवृद्धि से सीज क्षेत्र की दूरी लगभग 8 कि.मी. दूर है।**
10. **जियोमॉर्फिकल निर्यात 12,10,000 टन एवं माईनेरल निर्यात 2,10,000 टन है। सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (2.5 फीट) सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया है। जमान अवधि से गैरवाणिज्यिक विधि से उन्मूलन किया जाता है। उन्मूलन की गतिमान एवं जमीन गहराई 22 मीटर है। जमीन गतिमान में खनन साइट क्षेत्र में किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। छपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। डिजिटल हेतु जैक ईयर द्वारा का उपयोग किया जाता है। स्थापित किया जाता है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 5 किलोमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। जल का स्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाता है। सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सुरक्षा क्षेत्र में पूंजीकरण किया जाएगा। निर्यात वर्षों के उन्मूलन का विवरण निम्नानुसार है-**

उन्मूलन की योजना

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उन्मूलन (टन)
1994-1995	4,401
1995-1996	68,872
1996-1997	8,711

1997-1998	1,360
1998-1999	1,710
1999-2000	1,360
2000-2001	820
2001-2002	1,320
2002-2003	8,316
2003-2004	14,770
2004-2005	5,319
2005-2006	5,015
2006-2007	6,955
2007-2008	7,750
2008-2009	4,650
2009-2010	2,451
2010-2011	1,688
2011-2012	10,880
2012-2013	6,370
2013-2014	12,250
2014-2015	3,050
2015-2016	482
2016-2017	1,750
2017-2018	280
2018-2019	शून्य

उत्खनन की कार्यवाही प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन खर्चा (₹ करोड़)
2017-18	10,330
2018-19	13,250
2019-20	15,100
2020-21	16,700
2021-22	16,700
कुल	72,012

नोट: सड़कियों में उत्खनन की बाढ़ के अंशों का राजस्वहीन विषय नहीं है।

11. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.टी.सी. एनटीएसए के द्वारा दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना क्र. 24, 2020 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्टीग्रेटेड इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्टीग्रेटेड मॉनिटरिंग प्लान आदि विचार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित की गई

1।(ए) का सीमेंटार्ड टीओडान (लोक सुनवाई स्थित) नोन कोल म्यूनििसिपल प्रोपेक्ट हेतु टीओडान जारी किया गया।

एन.ई.आई.ए.ए. जलसम्पद के प्रथम दिनांक 18/02/2018 द्वारा परिशोधन प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार विधानिक कार्यवाही करने एवं त्यागना सम्पत्ति / संपालन सम्पत्ति जारी नहीं किया जाने हेतु जलसम्पद पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. जल एवं वायु अदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - सीमेंटरिड कार्य अक्टूबर 2018 से विभागर 2018 के बीच किया गया है। 50 किलोमीटर के अंदरगत 19 किलोमीटर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मध्यम, 11 किलोमीटर पर सु-जल गुणवत्ता मध्यम, 19 किलोमीटर पर जलिया साह मध्यम, 8 किलोमीटर पर सली जल गुणवत्ता तथा 3 किलोमीटर पर धिपटी को नगरी एकांकित कर विश्लेषण किया गया है।

2. सीमेंटरिड स्थितियों के अनुसार पी.एन.₂₅ 24.8 से 42.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एन.₁₀ 83 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर एसओ₂ 8.0 से 13.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 18.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर आई गई है। परिवेशीय स्थल से आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि साह (Day time) 21.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं रात (Night time) 20.4 डीबीए से 42.1 डीबीए गया गया।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्वहण किया गया था-

1. माध्यम सारकण न्यायिकरण, रण और जलवायु परिवर्तन संचालन नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Comprehensive Environmental Response) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परिवेशीय प्रस्तावक को अगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समझौता सुनिश्चित जानकारी / वसूलावेत (अवधान फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण विवेक करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

साधनानुसार सीमेंटरिड प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी. जलसम्पद के प्रथम दिनांक 24/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी नोन साह, अधिकाृत प्रतिनिधि एवं प्रोपेक्ट सहायकार को रूप में नोन इन विरुद्ध प्रस्तावक कोपर, नोन कोल सी और सी भी विवरण साह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी से मार्च 2018 तक 300 टन, वर्ष 2018-19 में 1,130 टन एवं वर्ष 2019-20 में 250 टन उत्खनन किया गया है। उत्खनन में खदान बंद है।
2. लीड श्रेण की घाटी और 7.5 मीटर श्रेण में गुरु श्रेण में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्ताव ई.आई.ए. में खनि के प्रकार का आकलन तथा खनि वर्गीकरण (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
4. नॉन-टीम परियोजना के अनुसार परियोजना समु में पी.एच. 8.9 से 112.7 पाईरोक्लाम/धस्लीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित स्तर से अधिक है।
5. उत्खनन अर्थात् में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दूषण/बदल नहीं होने, सूखी की बरखाई नहीं किए जाने अर्थात् में खदान से आसपास/दस्तावेज प्रस्ताव नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्वस्थ का पत्र पत्र एवं कार्यवाही एवं का विवरण) प्रस्ताव नहीं किया गया है।
7. बलरुत हेतु सीमांक इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटेशन प्रस्ताव प्रस्ताव नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की जरूरत निर्माण में स्थायी संचालन से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेक्टर संयुक्त बॉटल अर्थात् में ही द्वारा अनुमति प्रस्ताव प्रस्ताव नहीं किया गया है।
9. इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की अनुमति प्रस्ताव नहीं की गई है।
10. लोक सुनवाई दिनांक 08/10/2018 पर 1200 बजे स्थान शासकीय सचिव मुख्य की सुझान की खाने घाट-मैडेसठ तटबंदी-सम्बा जिला-दुर्ग में आयोजित हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सार्वजनिक, प्राधिकरण संचालन संयुक्त में, तथा सार्वजनिक जल नगर, जिला-संयुक्त के एक दिनांक 26/11/2018 द्वारा प्रेषित किया गया है।
11. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्ताव किये गये हैं—
 1. उक्त श्रेण की खानों सार्वजनिक अर्थात् में से सीमांक हीमल टीक जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गड्ढियां बनी है, जो स्थिति ठीक नहीं है तथा बड़के आकार के कार्य हो चुकी है। इन कार्य का डी.एम.एच. से संचालन कार्यवाही जारी। डी.एम.एच. से बड़े विचार नहीं हुआ है।
 2. निश्चित समय पर पर्यावरण हीमल अर्थात् में, सभी खदानों में एक समय पर पर्यावरण हीमल अर्थात् में, जिससे सभी सुनिश्चित हीमल खदान एवं बलरुत हीमल हीमल उसमें आसन का निश्चय लागू हीमल। बलरुत सार्वजनिक निगरानी कारण द्वारा किया जाए। बलरुत को पूर्णतः बन्द हीमल जल हीमल की उपस्था हीमल अर्थात् में, खदानों से निकलने वाली पानी को मुक्त में बलरुत की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
 3. सार्वजनिकता के अलावा का संचालित कामों के लोगों को ही संचालन हीमल जाना अर्थात् में।
 4. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का निरोधन हीमल अर्थात् में। पर्यावरण के निर्धारित सार्वजनिक के अनुसूचित खदानों का संचालन हीमल अर्थात् में।

- घ. छदानों में कोई की सुसरोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 पीट से की गहरी छदानें हैं, जिससे जमी उखरता नहीं है। जिसकी कुंजी धुनि प्रभावित हो जाती है। घानों में कोई विजात कर्म नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु सुसरोपण नहीं किया गया है। बरफियाँ से बहुत आघात आती है। अधिकाधिक लव से उत्खनन भी किया जा रहा है।
- ङ. मिट्टी की परिष्करण हेतु बड़ी-बड़ी गहने चलती हैं, उससे बहुत धूपेटन होती है। इनके नीचे में रोक लगाई जाए। रोड का भी सुधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये कमे विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिशोधन प्रस्तावक की ओर से उपस्थित इतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- 1. डी.एन.एच की लकी या रोडवली की लकी से जिला प्रशासन के माध्यम से विचारण का मार्ग किया जाएगा।
- 2. बहुधन निधानण हेतु जल विद्युतमय एवं सुसरोपण की व्यवस्था की जाएगी।
- 3. विविध डेलेगेशनों को योग्यता के आधार पर अत्यन्त लोको को आवाकलनानुसार रोडमय हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व से ही सुदानों में कार्यरत अधिकारियों को भी रोडमय प्रदान किया जाएगा।
- 4. जल गल 30 पीटर नीचे है। कलम से उत्खनन की अधिकतम गहराई 20 पीटर से कम रखी जाएगी।
- 5. जो छदानें बंद पड़ी हैं, उनमें पानी का पानी सम्भरित है। उनमें जल का संक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से निचमनुसार/अवसामकानामुखर घुसकों को भी दिया जाएगा।
- 6. सभी छदानें अपनी लीज क्षेत्र में सम्भरित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

- 1. लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 पीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। जोत उखा डखानिया क्षेत्र का विधान, लम्बाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर कोमान से भंदा (निसरिज) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / अंधकारावन की मात्रा की जासकाली प्रस्तुत की जाए। साथ ही ईस्टीमेशन (Estimation) स्तान प्रस्तुत किया जाए।
- 2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान कल्पनित अपनी मिट्टी (टीम सीईड) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 पीटर क्षेत्र में विखनी नाल में जलशोष किया जाएगा एवं क्षेत्र अपनी मिट्टी को अधिक रक-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग जल प्रस्तुत किया जाए।
- 3. जली टी.ओ.आर. में दिशे कमे गरी कन्सक 25 एवं अधिरिक्त टी.ओ.आर. की बिन्दुओं का पालन प्रतिबन्धन प्रस्तुत किया जाए।
- 4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिलिखित धुनि स्तान से उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न धुनि को सम्मिलित करती दूने प्रन्दा का आकलन तथा धुनि प्रतिशयण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। जोत माल्या का आकलनी प्रस्तुत किया जाए।

6. पर्यावरणीय वायु में से एन₂ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। जब तक की क्षरण को स्पष्ट किया जाए तथा उपायी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. पर्यावरण वॉटर टेबल में घटत की गहनता का मापन की आधार संबंधी प्रभावित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. जलसंचयन आदि से जलसंचयन कार्य किए जाने से पर्यावरणीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में सुधु विपरीत प्रभाव का अतिक्रमण का, तदनुसार अभ्यर्थन कर सांख्यिक निवेदन पत्रान तथा गैरसुख एवं समुदायी अनुसंधान पत्रान, इन्वीयन्टरी, इन्वीयन्टरी रिपोर्ट, इन्वीयन्टरी मनेजमेंट पत्रान प्रस्तुत की जाए।
9. पर्यावरण आदि में पर्यावरण कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, पानी की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/समाचार प्रस्तुत किया जाए।
10. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Co-ordinate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्थल / स्थल का नाम, जल एवं पर्यावरण सहित कार्यवाही का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
11. जलसंचयन हेतु कीमती इन्फ्रास्ट्रक्चर पत्रान प्रस्तुत किया जाए। जलसंचयन में प्रमुख निवेशन हेतु विभिन्न विभिन्न कार्य (जैसे जलसंचयन के सहायी/एकीकृत चक्र का पर्यावरण एवं संचयन, पर्यावरण की वीक्षण सहायी/एकीकृत चक्र से पर्यावरण गुण उत्पन्न का नियंत्रण, जल विद्युत सहायी/एकीकृत चक्र के विचारों तथा जलसंचयन में पर्यावरण सहायी सुविधा में सुधारण, बाइन दुर्घटना का संकलन का प्रभाव आदि) का विवरण एवं जलसंचयन में निर्धारित प्रत्येक नीतिनामक का सुधारण प्रमुख नियंत्रण की कार्य के विचारण हेतु निर्धारित उपायकारण का विवरण प्रस्तुत करें।
12. पर्यावरण हेतु आवाहन जल की आपूर्ति पर्यावरण में स्थिति वीक्षण से किए जाने हेतु संचयन पर्यावरण वॉटर इन्वीयन्टरी से प्रभाव जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
13. इन्वीयन्टरी मनेजमेंट पत्रान की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

पर्यावरण प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

14. गैरसी सीसी गैरसी गैरसी (बीरसी संप्रदाई, धाम-बीरसी, तहसील-गंगारोड, जिला-धमरौ, अहोला सीसायटी, संप्रदाई-2, संप्रदाई तहसील व जिला-संप्रदाई (सिवालय की गैरसी इन्वीयन्टरी 1000)

अनुसंधान आवेदन - प्रस्तावक नाम - संप्रदाई/ सीसी/ संप्रदाई/ 120221/2019, दिनांक 19/12/2019।

प्रस्तावक का विवरण - यह पूर्व में संकलित रेल संचयन (बीरसी संचयन) है। यह संचयन धाम-बीरसी, तहसील-गंगारोड, जिला-धमरौ स्थित गैरसी सीसायटी इन्वीयन्टरी 01, कुल सीसायटी 4.05 इन्वीयन्टरी है। संचयन संचयन से किया जाता है। संचयन की अनुसंधान संचयन-88.000 धमरौ संचयन है।

कार्य का विवरण -

(अ) समिति की 2020वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सत्यापन कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 किन्टनों का चिह्न बनाकर, आसपसून में रेल लाइन की लंबाई Level: लेवल चिह्न रेल में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। जहाँ लेवल Level: हेतु कम से कम 2 टेम्पलेटी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें, टेम्पलेटी बेंच मार्क (TBM) में ऑरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न रेल में टेम्पलेटी बेंच मार्क (TBM) को भी प्रदर्शित करने खनिज विभाग से प्रस्तावीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स खनिज जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर परिसर में उपलब्ध रेल की चौड़ाई जलने की लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मड़ड़ा (मड़) खोदकर जहाँ वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गहराई हेतु बरखापट्टी भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खान बेंच की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक माप की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन: मंत्रालय, नई दिल्ली की ओरएल दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परिवोधना प्रस्तावक को सूचना में रेल की लंबाई Level: लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जलानी मज की आयोजित बैठक में उपरोक्त सम्बन्ध सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अथवा फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तावीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सामुदायिक खनि निरीक्षक एवं परिवोधना प्रस्तावक को एसईएसी, उन्नीसवाड़ को इन्फो दिनांक 21/01/2020 द्वारा अनुमोदना हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 2020वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की प्रयोग चिह्न, अधिकृत प्रतिनिधि एवं की निरक्षण कुलार्ड, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा गयी प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष आई गई:-

1. ग्राम बंधायत का अनुपस्थित प्रमाण पत्र – रेल उत्खनन की लंबाई में ग्राम बंधायत बोली का दिनांक 18/02/2018 का अनगणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाविका/सीन्दाविका – सरासरी कर्मचार, खनिज दस्ता से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खान विन्दाविका/सीन्दाविका कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, चिह्न-प्रमाण-कन्ट्रोल कार्पोर के इन्फो क्रमांक 783/खनिज/दस्तावेज/अनु/रि/2018-20 कार्पोर, दिनांक 17/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक शाखा), जिला-बंगलौर के द्वारा क्रमांक 1294/स्थानिक/रेत खदान/2019 बंगलौर, दिनांक 13/12/2019 के अनुसार आवंटित खदान की 500 मीटर की सीमा अवशिष्ट अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सौरखाना - कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक शाखा) जिला-बंगलौर के द्वारा क्रमांक 1292/स्थानिक/रेत खदान/2019 बंगलौर, दिनांक 13/12/2019 के अनुसार जारी खदान पर अनुमान लगा खदान की 200 मीटर की परिधि में गडिरे, नलगाट, असखाल, मसुल, पुल बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य जम्बूती अर्द्ध प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई का विवरण - एल.ओ.आई कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक शाखा), जिला-बंगलौर के द्वारा क्रमांक 1217/स्थानिक/निष्का/ 2019 बंगलौर, दिनांक 08/12/2019 द्वारा जारी की गई खिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु रेट है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, कार्यालय, नया और जलदायु परिवर्तन मंत्रालय, गई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29/07/2018 द्वारा विहित काल में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घाट-बंगलौर 1.5 कि.मी., मसुल घाट-बंगलौर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 64 कि. मी. एवं राजमार्ग 28 कि.मी. दूर है। अस्पष्टता में एनीकट 1.30 कि.मी. एवं कारखाना में कीट 832 मीटर दूर है।
9. परिसिद्धिहीन/अपरिसिद्धिगत संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजान, आवाकरणा, सन्दीप अनुमान निर्धारण क्षेत्र द्वारा घोषित विविधता संवेदनशील एनीकट, परिसिद्धिहीन संवेदनशील क्षेत्र का घोषित अपरिसिद्धिगत क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबन्धित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के पार की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवंटन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पार की चौड़ाई - 373 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 187 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 80 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवंटन अनुसार खनन पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। आवंटन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा - 88,200 घनमीटर है। रेत खननन हेतु प्रस्तावित खनन पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सार्व की मोटाई जानने के लिए, प्रति संवत्स में कम से कम एक मसुल (एम) खोदकर खननी प्राथमिक गहराई का मापन कर स्थानिक विभाग से प्रमाणित प्रमाणित प्रमाण की गई है। जिसके अनुसार रेत खननन हेतु प्रस्तावित खनन पर 3 मसुल (एम) खोदकर उसमें रेत सार्व की गहराई मापने के आधार पर खनन में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर से अधिक है। रेत की प्राथमिक गहराई हेतु पंचनामा की प्रस्तुत किया गया है।

Handwritten signature

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण--

1. पूर्व में बालास, काम संस्थागत कारखाने के नाम से रेल संयोजन संयोजन संयोजन 01, बीकानेर 4.95 हेक्टेयर, अक्षात - 18,000 एनमीटर प्रतिबंध हेतु विला सार्वजनिक पर्यावरण संस्थागत निर्धारित प्राधिकरण, विला-बालास द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त अक्षात 729, दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक के 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के मातल में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अव्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
3. सुधारण नही किया गया है।
13. सुधारण क्षेत्र में रेल सार्वजनिक के संयोजन - रेल संयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 01 हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का रिडि अक्षात वर्तमान में पोस्ट-मास्कोन (Post-Monsoon) द्वारा दिनांक 17/12/2018 को रेल सार्वजनिक के संयोजन (Lease) लेकर उन्हें अक्षिज विद्या से पर्यावरणीय पर्यावरण फोटोडॉकमेंट सहित जानकारी/संस्थागत प्रस्तुत किया गया है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संयोजन, नई दिल्ली के सी.एच. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु वर्गिणी के द्वारा विवरण से जारी प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Bansi	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.15
			Plantation work	Rs. 0.25
			Total	Rs. 0.80

समिति द्वारा परीक्षणना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक मास में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेल संयोजन नियुक्त विधि से एवं सार्वजनिक का सार्वजनिक द्वारा सार्वजनिक जाना प्रस्तावित है।
16. परीक्षणना प्रस्तावक द्वारा 2 पोस्ट की महसूद तक संयोजन की अनुमति बाकी है। अनुमोदित संयोजन योजना में संयोजन किन्तु जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेल पुनर्जनन संबंधी अव्ययन सार्वजनिक एवं संयोजन अव्ययन का संयोजन नहीं किया

18. मेसर्स बी.एल. रामानी लार्डन स्ट्रीट गाईड, राम-नदनी-खुदनी, पहासील-धम्मा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 542)

बीएलस्ट्रीट आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एमआईए / सीजी / एमआईएन / 81454 / 2018, दिनांक 31 / 12 / 2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। बीएल ने प्रयोजन नम्बर - एमआईए / सीजी / एमआईएन / 48863 / 2018, दिनांक 18 / 12 / 2018 द्वारा पर्यावरणीय जांच हेतु आवेदन किया था।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित खुद नगर खदान (मुम्बा सचिवालय) है। खदान खदान में 420, 421, 422, 428, 429, 440, 441 एवं 458, राम-नदनी-खुदनी, पहासील-धम्मा, जिला-दुर्ग, कुल क्षेत्र क्षेत्र 3.325 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित क्षमता 0.300 एम प्रतिदिन है। इस प्रस्ताव में समिति की 24वीं बैठक दिनांक 25 / 11 / 2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रस्ताव के लक्ष्य निम्नानुसार हैं-

1. राम नदिया का अनधिकृत प्रभाव पत्र - राम नदिया नदनी-खुदनी द्वारा अनधिकृत प्रभाव पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में जीरोजना प्रस्तावक द्वारा गौरी कलावा द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परस्पर सौजन्य - पॉलिफिलेन और माइनिंग प्लान एंड ऑपरेशन मानक को लागू करना प्रस्तुत किया गया है, जो इस खान नियंत्रक एन अर्धी अधिकाड़ी, भारतीय खान ब्यूरो, राजपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग / पुर / खपा-288 / खम / 2018 / 30-राजपुर दिनांक 10 / 08 / 2018 (तारीख 2018-17 से 2018-19 तक लागू) द्वारा अनुमोदित है।
3. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - भारतीय कलेक्टर (सचिवालय), जिला-दुर्ग से पत्र क्रमांक 588 दिनांक 27 / 08 / 2017 द्वारा जारी प्रभाव पत्र अनुमान आवेदित खदान से 300 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें तथा 83.81 हेक्टेयर क्षेत्र / विस्तार है।
4. बहुआयुर्वर्धन संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवेदी राम-नदिया 0.68 किमी, एवं खदान एवं खदान राम-नदनी-खुदनी में स्थित है। लक्ष्यार्थी 1.5 किमी, दूर है। विस्तार नदी 1 किमी दूर है।
5. पारिस्थितिकीय/जीववैज्ञानिक संवेदनशील क्षेत्र - जीरोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अन्वयण, केन्द्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविधता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैज्ञानिक क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
6. सीमा का विवरण - सीमा क्षेत्र की बी.एल. रामानी के नाम पर है। सीमा क्षेत्र 20 वर्षी अर्थात् 27 / 08 / 1994 से 28 / 08 / 2014 तक की अवधि हेतु थी। भारतीय कलेक्टर (सचिवालय), जिला-दुर्ग से पत्र क्रमांक 1383 / सचिवालय / 2013 दुर्ग, दिनांक 05 / 10 / 2013 द्वारा सचिवालय अर्धी पुरि वाक्यू जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

से उत्खनन किया जाता है। घु-भाग की 17,200 वर्गमीटर क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। उत्खनन की गहराई 12 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। खदान की संभावित आयु 40 वर्ष है। उत्खनन मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। अवशेष युनिट 2,350 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थित है। उत्खनन एवं अवशेष गणों पर क्वार्टर स्थापित हेतु खतर स्वी किया जाता है। क्षेत्र की ऊंचाई एवं नीचाई 3 मीटर है। 10 किलोमीटर प्रतिदिन जल की खपत होती है। जल की आयुही दुरुलभ है की जाती है। डिपिंग हेतु जेक डीपर ट्रेल का उपयोग किया जाता है। स्लिटिंग किया जाता है। खदान में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिपोजन किया जाता है। लीज क्षेत्र की घाटी की 7.5 मीटर क्षेत्र में पुनरोपम किया जायेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नांकित है:-

उत्खनन की योजना

वित्तीय वर्ष	वार्षिक उत्खनन (टन)
2006-2006	1,362
2006-2007	94
2007-2008	600
2008-2009	900
2009-2010	280
2010-2011	370
2011-2012	200
2012-2013	260
2013-2014	14,180
2014-2015	11,864
2015-2016	निरंक
2016-2017	निरंक
2017-2018	निरंक
2018-2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2014-2015		वार्षिक		11,864
2015-2016		वार्षिक		निरंक
2016-2017	1,200	3.0	3,600	8,000
2017-2018	1,200	3.0	3,600	8,000
2018-2019	1,200	3.0	3,600	8,000

- अ. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एआईएसी, छत्तीसगढ़ के जलन दिनांक 22/01/2018 द्वारा प्रकल्प सी-1 कोटेवरी का होने से कारण नारायण राजवट, पर्यावरण, मन और जलवायु परिचालन संसदलय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड एम्बेड्रीड ऑफ रिपोर्ट (टीओआर) और ईआईए/ईएम,सी, रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एम्बेड्रीड रिपोर्टिंग इन्फार्मेशन सीरीजमेंस अफर ईआईए, नॉटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेवी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (जोकि सुनवाई सहित) नीचे प्रवेश न्यूनिम प्रोजेक्ट हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष पाई गई-

1. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - सीनेटरीन कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के राज्य किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतराल 19 स्थानों पर परियोजना वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन 19 स्थानों पर ध्वनि मापन एवं 8 स्थानों पर नली जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. सीनेटरीन परिणामों के अनुसार पी.एम₁₀ 24.8 से 80.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम_{2.5} 8.3 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एआर_{वा} 8.9 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एआर_{वा} 14.2 से 19.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल नलीयों की गुणवत्ता मासिक मानक की अनुसर है। परियोजना ध्वनि माप (Day time) 35.1 डीबीए से 58.6 डीबीए एवं ध्वनि माप (Evening time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तालमब शर्षात्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. नारायण राजवट, पर्यावरण, मन और जलवायु परिचालन संसदलय नई दिल्ली के ओ.एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु अन्ततः प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रशासक को अपनी मात की अज्ञातित बैठक में अपनीका प्रस्ताव सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेडान्स) सहित प्रस्तुतीकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार परियोजना प्रशासक को एआईएसी, छत्तीसगढ़ के जलन दिनांक 01/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की बी.एन. रावानी, कोन्सल्टंट एवं प्रोजेक्ट संलक्षकार की लव से मेसर्स इन सिट्टु इन्फार्मरी सेंटर, भोपाल की ओर से भी विज्ञाप साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष पाई गई-

1. परियोजना प्रशासक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018-19 से आरम्भन रूंद है।

2. लीव्ड क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में खुद क्षेत्र में जलकलन किया गया है।
3. प्रस्तुत ईआईए ने ध्वनि को प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिक्रिया (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
4. रीजिस्ट्रिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम₁₀ का सी 112.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. परिधीयता प्रभावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रभाव (प्रभावित मनुष्य / स्थल का नाम, पता एवं कार्यकार व्यवसाय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. प्रस्ताव हेतु जीवन-अनुयायनोपयोग प्रदान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. परिधीयता हेतु आवश्यक जल की अनुपूर्ति संयोजन में स्थापित बोर्डिंग से किया जाया बताया गया है। प्रस्ताव हेतु सेक्टर प्रारम्भ होने अवधि में ही जल आपूर्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. इन्वीयन्मेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2018 को 1200 बजे स्थल द्वारा स्थानीय स्थित मनुष्य की दुष्वास के सामने राम-मंडिराज तहसील-धरम, जिला-दुर्ग में प्रदान हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज तदनुसार सचिव, जिला-महानगर प्रशासन संस्थान, नया बस्तर अटल नगर, जिला-रायपुर को सब दिनांक 28/11/2018 द्वारा प्रेषित किया गया है।

10. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- a. इस क्षेत्र की जनता सम्बन्ध अधिकतर से नीचे क्षेत्रों की जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी खदिया चलती है, जो किसी ठीक नहीं है तथा सड़कें अप्रति उपर ही खुली है। इन सभी को डी.एम.एच. से वास्तव्य रहित से संभाल करवाया जाने। डी.एम.एच. से कोई विकास नहीं हुआ है।
- b. निश्चित समय पर धाराएं होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर धाराएं होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं जल जो प्राप्त होगा उसमें साफने का नियम लागू होना। इसकी सार्व निष्पत्ती साफने द्वारा किया जाए। काल के पूर्णतः सड़कें हीकर जल सिंचन की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुक्त में बसालों की सिंचन हेतु प्रदान किया जाए।
- c. प्रदूषण को प्रदान पर संबंधित सभी को जोगी को ही संभाल दित जाना चाहिए।
- d. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मानकों के अनुसार खदानों का संभाल होना चाहिए।
- e. खदानों में कोई भी सुधारण नहीं किया गया है। लगभग 200 बीट से की गहरी खदान है, जिससे पानी रहता नहीं है। जिससे कभी भूमि अभावित हो रही है। सभी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु सुधारण नहीं किया गया है। प्रदूषण से बहुत अप्रति जाती है। प्रदूषण रूप से प्रदूषण भी किया जा रहा है।

अ. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी खदने मशीनें हैं, जिनसे बहुत दूरी तक खोली है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोक का भी संयोजन किया जाना चाहिए।

लोक सुलभता के दौरान उठाने गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का क्या निम्नानुसार है-

1. जी.एम.एम. की शक्ति का सीमाती की शक्ति से जितना अंतरांतर में पाठन से कितना का कार्य किया जाएगा।
2. प्रमुख नियंत्रण हेतु जल नियंत्रण एवं सुशोध्यता की आवश्यकता की जाएगी।
3. विभिन्न परियोजनाओं की योजनाओं के अन्तर्गत पर आर्थिक लोगों को आवश्यकता-नुसार संयोजन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी संयोजन प्रदान किया जाएगा।
4. जल स्तर 20 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 20 मीटर से कम रखी जाएगी।
5. जो खदानें बंद पड़ी हैं, उनमें पानी का पानी सम्भारित है। उनमें जल का संकलन किया जाएगा। पानी का पानी जितना अंतरांतर की अनुमति के नियमानुसार/आवश्यकता-नुसार सुबकी को भी दिया जाएगा।
6. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में सम्भारित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श अंतर्गत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः अतः उत्खनित क्षेत्र का विस्तार, लंबाई, गहराई सहित नए में प्रदर्शित कर वर्तमान में सहाय (विकसित) हेतु प्रमुख मिट्टी / अंतरांतरों में लीज की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन क्रिया के दौरान उत्खनित उपरी मिट्टी (टीम सीटिंग) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपरोक्त किया जाएगा एवं क्षेत्र ऊपरी मिट्टी के लक्षित रख-रखाव के अन्तर्गत लक्षित शोषित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. पानी टी.ओ.एम. में दिये गये उर्ध्व क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.एम. के सिन्ड्रेटों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन क्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुए अन्तर्गत का अंतरांतर तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः नए का नए-नए प्रस्तुत किया जाए।
5. परिवेशीय वायु में पी.एम₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः वायु के कारण को रोक दिया जाए तथा अन्तर्गत निर्णय (Mitigation measures) सभी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्ताव सीटिंग क्षेत्र में जल की गहराई का स्तर को अन्तर्गत संशोध्यता-संशोध्यता जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित संयंत्र / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित) कार्यवाही काद का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
8. क्लस्टर हेतु जीवन इन्शुरेन्समेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न विभिन्न कार्य (जथा क्लस्टर को सड़कों/एड्रीव रोड का क्लीनकरण एवं संभारण, परिसरों के रोडन सड़कों/एड्रीव रोड से परस्पर कूल अलार्जिन का नियंत्रण जल विद्यमान जलसंधि, सड़कों/एड्रीव रोड के किनारे तथा क्लस्टर में पंचालक खुली भूमि में प्लासींग, पार्किंग दुर्घटना का रोकडाउन का प्रभाव, अदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक सीपलायस का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण की कार्य की निश्चयन हेतु निर्धारित क्लस्टरप्रॉप्लेन का विवरण प्रस्तुत करें।
9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति कोसल में स्थापित कोसल से किए जाने हेतु रोडन बालनग नोटर अथॉरिटी से प्राप्त अनुमति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
10. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनेजमेंट गॉडिनी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
परियोजना प्रस्तावक की तदनुसार स्वीकृत किया जाए।

14. मेवाड़ की मगतवय बाहु (मवनी-खुवनी लाईन स्टोन गाईन), धाम-मंदनी-खुवनी, तासील-धमध, जिला-दुर्ग (अधिकार का नसी अनांक 538)

सीनलाईन आवेदन - पूर्व में जयोवय नमर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 81378 / 2018, दिनांक 28/12/2018 द्वारा सी.ई.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में जयोवय नमर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 82877 / 2018, दिनांक 18/12/2018 द्वारा सर्वेयरलीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित प्लान पथर खदान (मुख्य कनिज) है। खदान कलर में 1882, 1883 एवं 1884, धाम-मंदनी-खुवनी, तासील-धमध, जिला-दुर्ग, कुल तीस रोड 1388 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित क्लस्टरन अंश - 2100 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में सुमिति की 345वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें तीसोवय जारी करने का निर्णय किया गया था। प्रकरण के लया निम्नानुसार है-

1. धाम पंचायत का अनुमति प्रस्ताव पत्र - धाम पंचायत मंदनी-खुवनी का दिनांक 28/10/2014 को जारी अनुमति प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावक कीजना - गाईनिंग प्लान कोसीध खान नियंत्रण, कालीध खान ब्यूरी, मानपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/ एलएसी/ एमएनएल-431 / मानपुर, दिनांक 18/08/1888 के द्वारा 2.70 एकड़ हेतु अनुमोदित है। तीसोवयकोसल इन गाईनिंग प्लान एड्रीवरोड कोसलिक सड़क कोसल प्लान कोसीध खान नियंत्रण, कालीध खान ब्यूरी, मानपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/ एलएसी/ एमएनएल-431 / एमजीपी-2018 दिनांक 23/03/2018 (एन 2018-18 से 28/10/2018 तक की अवधि हेतु उपर तीस रोड में कनी अंश 238 एकड़ (8388 हेक्टेयर) हेतु अनुमोदित है।

3. 800 मीटर की परिसि में स्थित खदान – काशीबाग कलेक्टर (समिज बाबा), जिला-दुर्ग की पत्र क्रमांक 1909 दिनांक 30/12/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदन खदान से 800 मीटर परिसि में कुल 08 खदानें जम्मा 3075 हेक्टर पर खोद/विद्यमान हैं।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी-

1. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता सर्वेक्षणशील क्षेत्र – निकटतम अमराठी घास-तटती-सुदानी 0.88 कि.मी. सुदत बाग-तटती-सुदानी 1.3 कि.मी. अल्पजल बाग-तटती-नगर 3 कि.मी. एच मटिर बेटला 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है।
2. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता सर्वेक्षणशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की परिसि में अंतर्राज्यीय सीमा राष्ट्रीय उद्यान अमरकान्तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
3. सीज का विवरण – सीज क्षेत्र की गणना जम बाहू की गणना पर है। सीज क्षेत्र 28 वर्षों अर्थात् 30/10/1998 से 29/10/2018 तक की अवधि हेतु है।
4. जियोभॉजिकल रिजर्व 1.76,428 टन एवं माईनेबल रिजर्व 18,838 टन है। सीज क्षेत्र के गहरे और 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। जंगल कास्ट डिस्टेंस रखना अनिवार्य किया जाता है। आवेदन अनुसार परतलन की अधिकतम गहराई 15 मीटर होनी। वेग की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर होनी। ऊपरी मिट्टी की गहराई 1.2 मीटर एवं अनुमानित मात्रा 888.81 टनमीटर है। नू-मान को 6,100 टनमीटर क्षेत्र में रखना अनिवार्य किया गया है। डिजिटल हेतु प्रैक डेपथ ड्रिल का उपयोग किया जाता है। स्थापित किया जाता है। जल की मात्रा 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्लेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, फ्लोइंग 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं धरंतु उपरोक्त हेतु 1.5 किलोलीटर प्रतिदिन) है, जिसका लक्ष्य संशोधन है। परतलन ड्रिल का निर्माण किया जावेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विश्लेषण किया जाता है। कृषकरोपण किया गया है। निगर वर्षों के उपखनन का विवरण निम्नानुसार है-

उपखनन की योजना

वित्तीय वर्ष	उपखनन क्षमता (टन)
1999	1,040
2000	660
2001	1,210
2002	280
2003	शून्य
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	

2010	
2011	
2012	
2013	6,100
2014	700
2015	निराक
2016	2,840
2017	840
2018	निराक
कुल	13,440

उत्खनन की वर्षवार इजाजत योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2015-2016	406.03	2.0	812	2,030
2016-2017	406.34	2.0	812	2,031
2017-2018	406.80	2.0	813	2,043
2018-2019	419.12	2.0	838	2,095
कुल	—	—	3,280	8,200

नोट: एअरिजल में उत्खनन की मात्रा को अंशों का अनुमोदित किया गया है।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय प्रतिक्रिया संबंधी विवरण:- पूर्व में पर्यावरणीय प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है।

एसईए/सी, कालीसगढ़ के सामान दिनांक 22/01/2018 द्वारा प्रकरण सी-1 कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टू. 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड एम्स जोफ रिफरेंस (टीओआर) और ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इम्प्लीमेंटेशन अण्ड ईआईए गोटिफिकेशन, 2008 में उल्लिखित सभी एंटी स्टैण्डर्ड टीओआर (जोफ सुगर्ह सहित) कोन कोल नॉटिफिकेशन हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा नली, बरतुल जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण:-

1. जल एवं वायु आदि मुद्दोंका संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतराल पर स्थलों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थलों पर धूल-जल गुणवत्ता मापन, 14 स्थलों पर ध्वनि माप मापन, 8 स्थलों पर सराई जल गुणवत्ता तथा 8 जलनी पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

8. सीमेंटरिया परिवारों के अनुसार पी.एच., 24.8 से 48.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एच., 83 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एनडी, 8.0 से 13.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनडी, 14.2 से 18.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवर्धना काल के अन्तर्गत जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवर्धना काल रात (Day time) 35.1 डीसीए से 59.3 डीसीए एवं रात (Night time) 28.4 डीसीए से 42.3 डीसीए पाया गया।

समिति द्वारा वास्तविक जाँचसन्वधि से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. नया संस्कार, मासिकता, कम और अलगाव परिवर्धन मजाल, नई दिग्गो के जी.एच. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परिवर्धना प्रस्तावक को आगामी मास की अर्थात् वेतक में उपरोक्त समस्त सुझाव जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन पर्यवेक्षण) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपानुगत परिवर्धना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. परीक्षण के आगत दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की गुणवत्ता, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सल्लक्षण के रूप में निर्णय इन किन्तु इन्वॉयेरी कंस्ट्र. सोपल की ओर से की किया साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली प्रस्तुत जानकारी पर अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2018 तक 2,510 टन एवं वर्ष 2018-17 में 840 टन उत्सर्जन किया गया है। तदनुसार से अद्यतन कर है।
2. जी.ए. के गार्ड और 7.8 मीटर डेज में कुछ बोर में उत्सर्जन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के अन्तर्गत आवाज का अन्वेषण तथा ध्वनि प्रतिक्षण (Noise Modeling) नहीं किया गया है।
4. सीमेंटरिया परिवारों के अनुसार परिवर्धना साहू से पी.एच., 83 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. उत्सर्जन अर्थात् में उत्सर्जन काई किए जाने से निटरी की गुणवत्ता में परिवर्धन / दुष्प्रभाव नहीं होने, कुली की कटाई नहीं किए जाने अर्थात् की संख्या में अन्वेषण/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का किन्तु प्रस्ताव (प्रस्तावित काल / स्थल का नाम, जवा एवं उत्सर्जन का का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. अन्वेषण हेतु क्वीनल इन्वॉयेरीमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परिवर्धना हेतु आवाज का अन्वेषण काल की अर्थात् परीक्षण में स्थापित सोपल से किया जाना बताया गया है। जवा हेतु सेन्टल आवाज वेतक अर्थात् वेतक से अन्वेषण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इन्डोमैग्नेट रेडियमेट प्रॉडिक्ट की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2018 को 12:00 बजे स्थान स्तम्भवीय जिला मुख्यालय के सामने बस-स्टैंड पर सार्वजनिक-समाज, जिला-दुर्ग में आयोजित हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सदस्य सहित सार्वजनिक प्रदर्शन संस्था में, लोक सुनवाई अलग नगर जिला-सम्भुत के 11 दिनांक 28/11/2018 को आयोजित किया गया है।

11. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विषय प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. इस क्षेत्र की जनता सार्वजनिक अधिकार से वंचित होकर बस-स्टैंड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गड्ढियाँ खोली है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें जलवायु बर्षों हो चुकी हैं। इन सड़कों का डी.एम.एच. से संभलवा राशि से संभलवा करवाया जाये। डी.एम.एच. से कोई विकास नहीं हुआ है।
2. विविध समस्य पर क्वार्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समस्य पर क्वार्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुखित होने सार्वजनिक एवं सार्वजनिक जो सड़कें होना उसमें सार्वजनिक का निम्न होना होगा। सार्वजनिक सार्वजनिक सार्वजनिक द्वारा किया जाए। जल को पूर्णतः क्वार्टिंग होकर जल सार्वजनिक की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुक्त में खदानों की सार्वजनिक हेतु प्रदान किया जाए।
3. प्रदूषण का जलवायु पर संभलवा सार्वजनिक को जलवायु को ही सार्वजनिक दिखाना चाहिए।
4. खदान में जल को जल प्रदूषण का निम्न होना चाहिए। सार्वजनिक की सार्वजनिक सार्वजनिक के अनुसार खदानों का सार्वजनिक होना चाहिए।
5. खदानों में कोई भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सार्वजनिक 300 मीटर से भी सार्वजनिक है, जिससे सभी सार्वजनिक नहीं है। जिससे सार्वजनिक सुनिश्चित हो रही है। सार्वजनिक में कोई विकास सार्वजनिक नहीं हुआ है। सार्वजनिक हेतु सार्वजनिक नहीं किया गया है। सार्वजनिक से बहुत सार्वजनिक आती है। सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक भी किया जा रहा है।
6. मिट्टी के सार्वजनिक हेतु बड़ी-बड़ी सार्वजनिक खोली है, जिससे बहुत सार्वजनिक खोली है। इनके सार्वजनिक में सार्वजनिक प्रदान। सार्वजनिक का भी सार्वजनिक प्रदान सार्वजनिक।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों को निराकरण की दिशा में परिशोधन प्रस्तावों की ओर से सार्वजनिक प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का सार्वजनिक निम्नानुसार है:-

1. डी.एम.एच. की सार्वजनिक का सार्वजनिक की सार्वजनिक से जिला सार्वजनिक के सार्वजनिक से सार्वजनिक का सार्वजनिक प्रदान।
2. प्रदूषण सार्वजनिक हेतु जल सार्वजनिक एवं सार्वजनिक की सार्वजनिक की सार्वजनिक।
3. सार्वजनिक सार्वजनिक को सार्वजनिक के सार्वजनिक पर सार्वजनिक सार्वजनिक को सार्वजनिक सार्वजनिक सार्वजनिक हेतु सार्वजनिक से सार्वजनिक। सार्वजनिक से ही सार्वजनिक में सार्वजनिक सार्वजनिक को भी सार्वजनिक प्रदान किया जाएगा।
4. जल सार्वजनिक 30 मीटर नीचे है। सार्वजनिक की सार्वजनिक सार्वजनिक सार्वजनिक 30 मीटर से कम सार्वजनिक।

२. जो अद्यतन बना नहीं है, उनमें वर्षों का पानी संग्रहीत है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षों का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार / सामंजस्यानुसार कुचकों को भी दिया जाएगा।

३. सभी छोटों अथवा लीज क्षेत्र में तयारित है। लीज क्षेत्र में बड़े उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विक्टर विक्टो जयराठ सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. पूर्व में समिति की 28वीं बैठक दिनांक 18/01/2018 को प्रस्तुतीकरण को दौरान का बहस का माह था कि उत्खनन कार्य अप्रैल 2018 से बंद है। वर्तमान में अप्रैल 2018 से मार्च 2018 तक 2.510 टन एच एच एच 2018-17 में 880 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में विवेक स्पष्ट की जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित पत्रों में प्रस्तुत कर वर्तमान में पत्र (विपक्षित) हेतु प्रस्तुत मिट्टी / ऑक्साइडन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही देशीकरण (Desertification) मान प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन प्रक्रिया को दौरान उत्खनित जमीन मिट्टी (टॉप सॉइल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में विद्यमान मात्र में संयोजित किया जाएगा एवं उक्त जमीन मिट्टी को उचित रख-रखाव के प्रभाव सहित संरक्षित प्राकृतिक स्थान प्रस्तुत किया जाए।
4. जमीन टी.ओ.आर. में दिने नये कार्य क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के विन्दुओं का पालन प्रतिबन्धन प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुए प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिस्तरण (Noise Modeling) नहीं किया गया है। अतः यचना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त की कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. वायुमंडल सौंटर टेबल में जल की गहराई का मानन को अक्षर संबंधी समझौता जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. उत्खनन कार्य में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर तदनुसार अद्यतन कर संशोधित रैफ़रेंसल स्थान तथा नैसर्गिक एवं समुदायी आनुवंशिक प्रजात, इन्वैरिअमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वैरिअमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।
9. उत्खनन कार्य में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, पानी की कटाई नहीं किए जाने अदि के संबंध में जानकारी/पत्राचार प्रस्तुत किया जाए।
10. परिवेशीय प्रभावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्थान / क्षेत्र का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवाही तथा का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

11. कलक्टर हेतु वरिष्ठ इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए। कलक्टर में प्रयुक्त विपणन हेतु विभिन्न विभिन्न कार्टी (जिस कलक्टर के सदस्यों/पुणेव रोज का एक्सीक्यूटिव एवं संभाल, परिचालन के दौरान सदस्यों/पुणेव रोज से उत्पन्न हुए बलाजेशन का निराकरण, जल सिंचनायक कालांतर, सदस्यों/पुणेव रोज के विचारों तथा कलक्टर में प्रयुक्त खुली बुकिंग में इन्फ्रास्ट्रक्चर, कलक्टर दुर्घटना का रोकथाम का उपचार, आदि) का निराकरण एवं कलक्टर में सम्मिलित प्रत्येक स्टीकहोल्डर का सम्बन्धित प्रयुक्त निराकरण के कार्टी को निषादन हेतु निर्धारित अन्तरराष्ट्रीय का विवरण प्रस्तुत करें।

12. परियोजना हेतु अन्तःस्थापक जल की आपूर्ति कोषागार में स्थापित बोरोवेल से लिए जाने हेतु सेन्ट्रल कालांतर बोर्ड अर्बोरेटी से प्राप्त अनुमति प्राप्त प्रस्तुत किया जाए।

13. इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसवॉलेंट पोलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

17. मेसर्स की अन्तिम तिथारी (इंत रीचर्ड मईन्, धाम-ईन्, तहसील व जिला-राजनांदगांव), धाम-सोमनी, तहसील व जिला-राजनांदगांव (समिवालय का नक्शे क्रमांक 1030)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीपी/ एमआईएन/ 127065/2019, दिनांक 29/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने से धामन दिनांक 08/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बरिष्ठ जानकारी दिनांक 18/12/2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (बीस अन्तिम) है। यह खदान धाम-ईन्, तहसील व जिला-राजनांदगांव जिला पारटी ऑफ खसरा क्रमांक 888, कुल क्षेत्र क्षेत्र 2.85 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदानन विवरण नक्शे से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदन खदानन क्षमता-1,00,000 क्वन्टीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्शे एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, कलक्टर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. रेत खदानन हेतु प्रस्तावित खसरा का प्रती हेक्टेयर 4 विन्दुओं का रिचर्ड प्रस्ताव, वर्तमान में रेत खसरा के अन्तर्गत Levels लेवल रिचर्ड में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाये। उक्त लेवलन Levels हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट रेत नार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेट रेत नार्क (TBM) में खारदान, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। रिचर्ड में टेम्पलेट रेत नार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें अन्तिम विवरण से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।

2. रेत खदानन हेतु प्रस्तावित खसरा का परीक्षण में प्रयुक्त था की सोटाई लगने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मट्टक (मिट्टी) कोषक नक्शे अन्तर्गत

सड़कों का रखरखाव कर, खनिज विभाग से इजाजत जमानकारी प्रस्तुत की जाए।
ऐस की वार्षिक सड़कें हेतु बजटगत भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से दूरी की चौड़ाई की जमानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित खनन एवं खनन हेतु खनन क्षेत्र पर्यावरण अभावगत निर्धारण अधिनियम (एअईआईएए), प्रकीर्णन अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण-समायाग निर्माण अधिनियम (सीईआईएए), प्रकीर्णन द्वारा पर्यावरणीय नुक़ुति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय नुक़ुति की प्रति एवं आवेदित खनन के खनन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटाप्रमुख सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अभावगत स्थिति की जमानकारी कोटाप्रमुख सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संश्लेषित है, तो विगत वर्षों में किए गए संश्लेषण की वार्षिक खनन की जमानकारी खनिज विभाग से इजाजत कट कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संश्लेषण, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि-निरीक्षण एवं परियोजना अभावगत को खदान में वेत की संख्या (Levels) देने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी सड़ की आवेदित वेतक में उभारित-समायाग सुसंगत जमानकारी / वसूलेज (अखनन कोटाप्रमुख) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षण एवं परियोजना अभावगत को एअईएसी, प्रकीर्णन के खनन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ख) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अधिनियम विधायी कोषसहित उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जमानकारी का अभावगत एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पर्यायत कर जमानचित इमान चक्र - ऐस संश्लेषण की अंश में ग्राम पर्यायत इंस का दिनांक 04/04/2014 का जमानचित इमान चक्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्तकित/सीमाकित - कार्यलय कलेक्टर, खनिज शाखा से जगत जमान चक्र अनुमान यह खदान चिन्तकित/सीमाकित कर पोषित है।
3. प्रखनन सौखन्य - माहूनिंग जगत प्रस्तुत किया गया है, जो का संश्लेषण (स.प.) संश्लेषणगत सीमाकित तथा खनिदान, प्रकीर्णन के जमान अंशक 3028/खनिज/वेत(खदान)/न.क 302/2019 तथा राजपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा अनुमोचित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजन्धराग के जमान अंशक 2107/खनिज/2019-राजन्धराग, दिनांक 19/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर की मील उपस्थित अन्य वेत खदानों की संख्या कितन है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजन्धराग के जमान अंशक 2108/खनिज/2019

राजनादगाव, दिनांक 18/08/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जल संचयन से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, आस्पताल, मक़ान, पुस्तकालय, स्कूल, कालेज, हॉटेल, एंटीकॉस्ट एवं अन्य अस्पृश्य जल प्रतिक्रिया क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.सी.आर. का विवरण - एल.सी.आर. कार्यालय कलेक्टर (अग्नि संचयन), जिला-राजनादगाव के प्रमाण प्रमाण 2453/स.सि.08/2018 राजनादगाव, दिनांक 03/10/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28/07/2018 द्वारा विहित जल में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी इलाका-ईप 0.3 कि.मी., आस्पताल सेमली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावित इलाका 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षणीय सीमा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रकृत्य निपटण कौशल द्वारा परिष्कृत क्रिस्टलीय पॉल्फुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का प्राथमिक जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र निर्मित नहीं होने प्रतिक्रिया किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खनन की गहरी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - औसत 180 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 118 मीटर दर्शाई गई है। खनन की नदी तट से दूरी 15 मीटर है।
11. खनन स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खनन में सड़कियत रेत की मात्रा - 1,00,000 घनमीटर है। रेत खनन/उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में प्रस्तावित रेत संचयन की मोटाई खनन के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी जलविक्रय गहराई का मापन कर, स्वयंसेवा विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा 150 आयताक जलन का आयताक गड्ढा की गहराई मापन के आधार पर, वर्तमान में रेत की प्रस्तावित मोटाई 1.5 मीटर से 2 मीटर है। रेत की प्रस्तावित गहराई हेतु संयोजना भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जमा नहीं की गई है।
13. सीपीएन पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 किन्तु का विश्व बंधनवत् दायित्व में पोस्ट-खनन (Post-Monition) कार्य दिनांक 08/12/2018 को रेत संचयन के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दाखिल प्रस्तुत किया गया है। वर्ष रिपोर्ट में उपयुक्त टैगली वेब सर्कल का प्रयोजन नहीं किया गया है तथा किन्तुओं को विश्व क्षेत्र में प्रदर्शित की नहीं किया गया है। वर्तमान वर्तमान टैगली वेब सर्कल का सर्कल एवं अन्य कारकों से परिष्कृत होकर सम्पन्न है। अतः विचारों पुनः रेत संचयन का लेवल्स (Levels) विश्व जमा किया जायित नहीं होगा है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भूमा सरकार, मन्सिरा, कोन जिला प्रशासन परियोजना मन्सिरा, नई जिला के जे.एम. दिनांक 01/02/2020 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समस्त विस्तार के सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 22.85	2%	Rs. 0.45	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Era	
			Water Harvesting System	Rs. 0.45
			Total	Rs. 0.45

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तार प्रस्ताव एक भाग में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकलकर कुल, काठ, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की पूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत संग्रहण हेतु प्रस्तावित स्थल पर डीपी डेक्टोर 4 सिस्टमों का गिट्ट बंधाकर कॉन्क्रीट में रेत सात के लेवेल (Level) लेकर गिट्ट रेत में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। जल लेवेल (Level) हेतु कट से कम 2 टेम्पलेट रेत मार्क (Controlled TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेट रेत मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। गिट्ट रेत में टेम्पलेट रेत मार्क (TBM) को भी उपरोक्त सभी अनिवार्य विवरण से पर्याप्तकरण उपरोक्त फोटोसाप्लेन स्थिति जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अंदाज फोटोसाप्लेन) प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त निर्णय स्वीकृत किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-3

अपराध महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

अपराध महोदय की अनुमति से 21:30 घंटा दिनांक 07/02/2020 के एजेन्डा विन्दु क्रमांक-3 में "दिनांक 01/01/2020 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय किया गया" एक दिनांक 04/02/2020 तक प्राप्त नवीन आवेदनों पर आज की बैठक में चर्चा किया जाने का निर्णय किया गया।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को जे.एन. दिनांक 01/09/2018 को अनुसार सीईआर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. छानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को बदामन में रेत के लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी माह की आवेदिता बैठक में एम्बेडेड समेत सुगन्ध जानकारी / दस्तावेज (सम्बन्धित फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- छानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को बदामुखन सुविधित किया जाए।

2. मेरास की विभिन्न रिडि पहिलर (टिकनपाल रोन्ड राईन, धाम-टिकनपाल, लहसील व जिला-बस्तार) राजेन्द्र नगर जगदलपुर, लहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तार (सविवालय का नस्ती इन्नांक 1109)

डीनसाईन आवेदन – एम्बेडेड क्लग – एम्बेडेड / सीडी / एम्बेडेड / 130361 / 2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान धाम-टिकनपाल, लहसील व जिला-बस्तार स्थित खदान कमांक 01, कुल मीन क्षेत्र 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदानन मानकपन्दी नदी के किन्या खाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित खदानन कमांक-42.0103 कन्मीटर अधीन है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 30वरी बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रस्तुत की गली एत प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विधन विधरत खण्डन करीबामन्दी से निम्नानुसार निर्माव किया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निखटाम सुन, बंध, एम्बेडेड एत खन जानकारी खोत की दूरी माका जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत खदानन हेतु प्रस्तावित स्थल एत प्रस्तावित स्थल को अवस्टीन तथा डावलास्टीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 किन्तुकी का डिङ मन्ताकर, परीमान में रेत खदान को लेवलिंग (Levels) खान पिङ मेष में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाए। खन लेवलिंग (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पले बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्मावित किया जाए। टेम्पले बेंच मार्क (TBM) में खरएत, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) कनिव किया जाए। डिङ मेष में टेम्पले बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, खनी कनित विभाव से प्रमानीकरण खपन्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत खदानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खानन में प्रस्तावित रेत की मोटाई जानने को डिङ, खति हेक्टेयर में कम से कम एक गद्दा (पिङ) खोदकर खनी कनितिक गहवाई का मापन कर, कनित विभाव से खनित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की कनितिक गहवाई हेतु खपन्त की प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित खानन क्षेत्र की लंबाई एत चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर जनसंख्या हेतु सड़क का पर्यावरण सामाजिक निर्देशन कार्यक्रम (एन.ई.आई.ए.ए.), भारतीयक कक्षा विद्यालयीय पर्यावरण सम्मेलन निर्देशन कार्यक्रम (सी.ई.आई.ए.ए.) भारतीयक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को प्रति एवं अधिसूचित नहीं के परामर्श में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोप्राप्त सक्षिप्त प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रारंभिक की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोप्राप्त सक्षिप्त प्रस्तुत की जाए।
6. यदि अद्यतन पूर्व से अधिसूचित है तो विवाद नहीं में किन्तु यह अद्यतन की अद्यतनिक जानकारी की जानकारी अधिसूचित विभाग को प्रस्तुत तथा तब प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के अधिसूचित दिनांक 04/05/2018 के अनुसार सी.ई.आई. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु अद्यतन प्रस्तुत किया जाए।
8. यदि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को अद्यतन में वेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ जानकारी तथा जो अधिसूचित वेतक में अद्यतनिक सम्मेलन सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोप्राप्त) सक्षिप्त प्रस्तुत/अद्यतन दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अभि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को अद्यतनिक सुनिश्चित किया जाए।

3. मैसर्स श्री एच एच एच एच (विभागीय सीन्ड साईन, धाम-बगदर, तहसील-करावला, जिला-कोरबा), सरनबुधिया, तहसील-करावला, जिला-कोरबा (सर्विस्वालय का नशी प्रमांक 1109)

अभि साईन आवेदन - अधिसूचित नम्बर - एन.ई.आई. / सी.ई. / एन.ई.आई. / 125784 / 2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेत अद्यतन (पीएल अधिसूचित) है। यह अद्यतन धाम-बगदर, तहसील-करावला, जिला-कोरबा जिला जलवायु अधिसूचित 402, कुल लीज क्षेत्र 4.75 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। अद्यतन एच.एच.एच. नदी से किन्तु जाना प्रस्तावित है। अद्यतन की आवेदित अद्यतन अक्षा-83.400 अक्षिण है।

वेतक का विवरण -

(क) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा अद्यतन की नशी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अद्यतन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकलता कुल, बंध, एपीकट एवं अन्य आवेदित स्वीत की पूरी जानकारी अद्यतनिक प्रस्तुत की जाए।
2. वेत अद्यतन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अद्यतनिक तथा अद्यतनिक में 100 मीटर की दूरी का प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का विश्व अद्यतन, अद्यतन में वेत अद्यतन के लेवल्स (Levels) लेने वाले वेतक में अधिसूचित कर प्रस्तुत किया जाए। अद्यतन लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेमापली वेत नशी (Consolidated TBM structure) निर्देशित किया जाए। टेमापली वेत नशी (TBM) में अद्यतन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अधिसूचित किया जाए। विश्व वेत नशी

टेम्पलेट वेब पोर्टल (TSM) को भी जांचकर कुम्हें खनिज विभाग से प्रभावीकरण उपरोक्त कोटीकरण सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. इस अनुदान हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र की सीमाईं जानने के लिए प्रति हेक्टर में कम से कम एक गड्ढा (मि) खोकर उसकी जानकारी बरसाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। यह की वास्तविक गड्ढाई हेतु योजना की प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की बरसाई एवं खोखाई तथा नदी की घाट की सीमाईं की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विभाग, जयपुर (एन.ई.आई.ए.ए.), जलोत्सव संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण विभाग, जयपुर (एन.ई.आई.ए.ए.), जलोत्सव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनः पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्ष में किए गए अनुदान की वास्तविक राशि की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. मांछा संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के को.एम. दिनांक 01/03/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षण एवं भविष्यका प्रस्तावक को खदान में रेट की लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी मही की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटीकरण) सहित उपरोक्तकरण विधि जानने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

खनि निरीक्षण एवं भविष्यका प्रस्तावक को उपरोक्त सूचित किया जाए।

4. मेसर्स टिकनीटी विलेजकीन प्राइवेट लिमिटेड(PT), ग्राम-बदुलवाहार, तहसील-प्रखलगांव, जिला-जयपुर (सचिवालय का नसी क्रमांक 1110)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नंबर - एनआईए/ सीजी/ एनआईए/ 135708 / 2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पट्टा (गैंग खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बदुलवाहार, तहसील-प्रखलगांव, जिला-जयपुर जिला सरकार क्रमांक 1026/2, 1026/3, 1026/4 एवं 1027, कुल क्षेत्रफल - 0.563 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित अनुदान राशि - 29,032.82 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/03/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का अधीक्षण तथा विचार विमर्श अद्यतित कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया-

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित सर्ती के माफ़न में की गई सर्वेकारी की जानकारी कोटीयात्मक सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्धारण की आवश्यक स्थिति की जानकारी कोटीयात्मक सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिकि मात्र की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में प्रमाणित मात्र कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिन. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सीई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु अंशगत प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी मात्र की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अख्यान कोटीयात्मक) सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपर्युक्त सूचित किया जाए।

5. मैतरी की इलेन्ड सिंह मदीरिया (कोल्हाल कान्हायल सेन्ड नईन, ग्राम-कोल्हाल कान्हायल, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर), समिती, सन्दीखर अजाय कार्ड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (सचिवालय का नसती अन्नांक 1112)

अीनलाईन आवेदन - एकेजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 125810/2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीन वारिज) है। यह खदान ग्राम-कोल्हाल कान्हायल, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर विगत चार्ट अीन अलरा अन्नांक 172 एवं डा. कुल लीज क्षेत्र 2 अेक्टोर में अवस्थित है। खदान कुन्दापरी नदी से किये जाने प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन अन्नांक-80,000 घन्मीटर अीनार्थ है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिती की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिती द्वारा प्रकरण की नसती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवर दिवस अंशगत कार्यसम्पती से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकलता पुन, बंध, एन्कट एन जल आपूर्ति स्थित की दूरी बाध् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अन्स्टीन तथा अन्नायटीन में 100 मीटर की दूरी पर प्रति अेक्टोर 4 किन्ड्री का डिब्ब बनाकर, अन्नायन में रेत साह के अेक्लत Levels अेक्ल डिब्ब रैप में प्रथीत कर प्रस्तुत किये जावे। अन्नाय अेक्लत Levels हेतु कम से कम 2 अेक्लरी रैप मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जावे। अेक्लरी रैप मार्क (TBM) में अन्नायन, को-अीनैट्स (Co-ordinates) अंशित किये जावे। डिब्ब रैप में अेक्लरी रैप मार्क (TBM) को भी अंशिकर, उन्हें अन्नाय अेक्लत में प्रथीयन्त अेक्लत कोटीयात्मक सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।

3. सेल आवरणन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध जल की गीटाई जाचने के लिए जल हेस्टोएट में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर जलकी वास्तविक गहराई का मापन कर, सुनिश्चित किया हो प्रस्तावित जालकवारी प्रस्तुत की जाए। जल की वास्तविक गहराई हेतु भवनगाह भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के किनारे की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिनियम (एन.ई.आई.ए.ए.), जलसंग्रह अधिनियम द्वारा जारी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियम (एन.ई.आई.ए.ए.), जलसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जली पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिविहित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी जोड़ना तथा सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनःपर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोवास्त सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व में संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए खनन की वास्तविक माप का जानकारी सहित विगत से प्रस्तावित कस का प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/09/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Management System/सी.ई.एम.एस.) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में जल की लेवल्स (Levels) होने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जालक वारु की उपयुक्त बैठक में उपस्थित तथाका पुसगत जानकारी / पर्यावरण (अद्यतन फोटोवास्त) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तथानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री मिटलहरी प्रसाद एंड (इजस सेन्ड हाईंग, राम-इजस, लक्ष्मील-कीटा, जिला-सुकमा), पुरानी बसठी कीटा, लक्ष्मील-कीटा, जिला-सुकमा (अधिवास का नसटी क्रमांक 1113)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - एसआईए /सीपी /एनआईएन / 138029 / 2020, दिनांक-08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित जल खदान (भीम खनिज) है। यह खदान राम-इजस, लक्ष्मील-कीटा, जिला-सुकमा विभाग द्वारा क्रमांक 174, कुल लीम क्षेत्र 8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपखनन सखी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उपखनन क्षमता-142,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 2020वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसटी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उपरोक्त कलेक्टर (परिचय साक्षात्) द्वारा उभय खदान की 200 मीटर की परिधि में भट्टि, मल्लाह, अमरावत, स्वयं, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने उपरान्त न होने

बाबर जलकारी प्रस्तुत की जाए। राज्य ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम गुरु भोग, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दृष्टि बाबर जलकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेल जलखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अवसूत्रीय तथा इंटरनेटिंग में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 किन्टनो का विंड ब्रेककरण, वर्तमान में रेल राइल के लेवल (Levels) सेवन विंड में इंटीग्रेट कर प्रस्तुत किये जाये। तथा लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में ऑपरेशन, को-ऑर्डिनेशन (Co-ordination) अधिन किये जाये। विंड ब्रेक में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी बाबर, एवं खनिज विभाग से उपायीकरण उपयुक्त कोटेशन सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. रेल जलखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपयुक्त रेल की मोटाई जालने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मट्टा (PM) बाबर उपयुक्त बाबरिक गहराई का नालन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की बाबरिक गहराई हेतु पंचायत में प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के बाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में अधिदित स्थल पर खनन हेतु राज्य एवं पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) पर्यावरण अध्ययन रिपोर्ट अतीव पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रतिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) अतीवमहद एवं पर्यावरणीय स्वीकृति को गढ़े की को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिदित मार्ग के धनन में की गढ़े पर्यावरणी की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। एवं ही पर्यावरण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से अधिदित है, तो विगत वर्ष में किए गए खनन की बाबरिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निहित प्रत्येक में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
9. खनिज विभाग एवं पर्यावरण सभागत को खदान में रेल की लेवल (Levels) सेवन मार्क सर्वेयर (Surveyor) की साथ जानकारी सहित की अधिदित विभाग में उपायीकरण सहित सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशन) सहित उपायीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

खनिज विभाग एवं पर्यावरण सभागत की उपानुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. वेसर्न गुजरात स्टोन क्वारी (पी - श्री रिकटेयर एवं), धान-गुजरात, ताहनील-कन्नूर जिला-बीजापुर (सविधान्य का नसी कर्मांक 1115)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एचआईए /सीडी /एमआईएम /
130038/2020 दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सामाजिक मंथन (गैंग वॉर्किंग) क्लब है। क्लब का
ग्राम-सुनपुर, तहसील-बनारस, जिला-बनारस जिला पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 324,
ब्लॉक सीक्रेटरी-1 इस्टेट में प्रस्तावित है। क्लब की आवेदित वार्षिक राशि -
₹1,00,000 रूप में निर्धारित है।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की समीक्षा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण क्लब विभाग विभाग
उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. यदि क्लब का पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो उसे
पर्यावरणीय स्वीकृति की जांच एवं अधिलेखित जारी के पालन में की गई जानकारी
की जानकारी पर्यावरण सही प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन
स्थिति की जानकारी कोटाभाषा सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि क्लब पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्ष में किए गए कार्यों की
वार्षिक-मात्र की जानकारी समित्त विभाग से प्रमाणित क्लब बन प्रस्तुत की
जाए।
3. डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. नया क्लब, तहसील, पंच और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का
आरएम दिनांक 01/06/2018 से अनुसंधान नीति,आर (Corporate Environment
Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरण प्रस्तावक को उपरोक्त शर्तों पूर्ण जानकारी / बताने (क्लब
कोटाभाषा) के साथ अगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु
निर्दिष्ट किया जाए।

पर्यावरण प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

- II. मेसर्स श्री आराम राम साहू (सुनपुर सीक्रेटरी, ग्राम-सुनपुर, तहसील-बनारस,
जिला-बनारस, खसराक्रमांक, जिला-बनारस (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1117)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एचआईए /सीडी /एमआईएम /
130038/2020 दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित क्लब क्लब (गैंग वॉर्किंग) है। यह क्लब का
ग्राम-सुनपुर, तहसील-बनारस, जिला-बनारस जिला पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1083,
ब्लॉक सीक्रेटरी-3 इस्टेट में प्रस्तावित है। क्लब की आवेदित वार्षिक राशि -
₹1,00,000 रूप में निर्धारित है। क्लब की आवेदित वार्षिक राशि-1,00,000 रूप में निर्धारित है।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की समीक्षा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण क्लब विभाग विभाग
उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित खात से निकटतम पूरा, कम, एकीकृत एत जल आपूर्ति खाते की दूरी समझ जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत अनुमान हेतु प्रस्तावित खात एवं प्रस्तावित खात के अंतर्द्वेषित खात काउन्सिलिंग में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टर पर 4 बिन्दुओं का विश्व मन्वयन, वर्तमान में वेत खात के लेवलस (Levels) जिनके विश्व मन्वयन में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। साथ लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेत मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी वेत मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) दर्जित किये जायें। विश्व मन्वयन में टेम्परी वेत मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण खाते की फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. वेत अनुमान हेतु प्रस्तावित खात पर वर्तमान में चलकर वेत की सीमाई जानने के लिए, प्रति हेक्टर पर कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर प्रस्तावित प्रस्तावित खात का मन्वयन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की कारखाने गड्ढा हेतु मन्वयन भी प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित खात वेत की सीमाई एवं सीमाई तथा नदी के पास की सीमाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित खात पर खात हेतु राज्य का मन्वयन समाप्त निर्धारण अधिकरण (एम.ई.आई.ए.ए.) जलसंग्रह अथवा जिला स्तरीय मन्वयन समाप्त निर्धारण अधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) जलसंग्रह द्वारा मन्वयन स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी मन्वयन स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित जारी की मन्वयन में की गई स्वीकृति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही मन्वयन की अंतिम स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खात पूर्व से समाप्त है, तो विगत वर्षों में किए गए अनुमान की कारखाने खात की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. जीव खात से निकटतम वेत वेत की कारखाने दूरी संबंधी जानकारी हेतु वेत विभाग से जारी समाप्त अनुमान पर (अनुमान) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार अधिनियम, 1986 और जलसंग्रह अधिनियम संसद में मंजूरी की ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्देशक एवं अधिरोपित प्रस्तावक को खात में वेत के लेवलस (Levels) जिनके वेत सर्वेयर (Surveyor) के साथ अपनी खात की आवेदित वेत के मन्वयन समाप्त सुलभ जानकारी / दस्तावेज (अंतिम फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

यदि निर्देशक एवं अधिरोपित प्रस्तावक को उपरोक्त सुचित किया जाए।

9. मेसर्स किन्टोन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (जो- श्री वीरेश्वर राव), काम-गुरुद्वारा, तहसील-उदुप, जिला-बीजपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1118)

ऑनलाईन आवेदन - प्रमाणिक नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएल / 130008 / 2020, दिनांक 09/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित अस्थायी नहर (सीम खनिज) खदान है। खदान घाम-बालूद, तहसील-दलीवाड़ा, जिला-बीजापुर स्थित प्लॉट क्रमांक 324, ब्लॉक सीकड - 1 इकोनॉम में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परावहन क्षमता - 32,500.25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/03/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श करवाते कार्यसमिति के निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. यदि खदान बड़े दूरी में पर्यावरणीय हानिकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय हानिकृति की प्रति एवं अधिनियम कर्ता के मानक में जो बड़े कारखानों की जानकारी फोटोप्रस्ताव सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अखण्ड स्थिति की जानकारी फोटोप्रस्ताव सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान दूरी से संघनित है, तो निम्न कर्ता में किए गए उखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी अतिरिक्त विभाग से प्रस्तुत कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की प्राथमिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी जनापति प्रमाण पत्र (विधवाण) प्रस्तुत किया जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. नया संस्करण सर्वेयर, वन और जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एन. दिनांक 01/06/2018 में अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को जमीन का समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्ताव फोटोप्रस्ताव) को हाल अगामी काल की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिशीलन प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

10. गैसरी की अहमद गजा (बालूद सीमा माईन घाम-बालूद तहसील-दलीवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दलीवाड़ा), घाम-बालूद, तहसील-दलीवाड़ा, जिला-ब.ज. दलीवाड़ा (सचिवालय का मसौदा क्रमांक 1113)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नाम - एमआईए / सीपी / एमआईएए / 12000 / 2020, दिनांक 09/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीम खनिज) है। यह खदान घाम-बालूद, तहसील-दलीवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दलीवाड़ा स्थित खदान क्रमांक 31, ब्लॉक सीकड क्षेत्र 4.8 इकोनॉम में प्रस्तावित है। उखनन अंकी नदी से किया जाने प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परावहन क्षमता-36,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/03/2020

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का समीक्षण तथा विश्लेषण विनाई वापसत कार्यसम्पत्ति से निम्नांकित निर्णय किया गया—

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर दिशाओं में स्थित की दूरी संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत पर्यवेक्षण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल को अवलोकित तथा डाटाग्राफीस में 100 सीटर की दूरी पर प्रति एकडेकर 4 मिन्ट्यूओ का चित्र बनाकर, वर्तमान में वेत सतह को लेवलस (Levels) लेकर चित्र सैम में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। प्लान लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्पलेट वेत मार्क (Controlled TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेट वेत मार्क (TBM) में जॉइन्ट, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) दर्शाए किये जायें। चित्र सैम में टेम्पलेट वेत मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें समिच विधान से प्रत्येकवेक वापसत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. वेत पर्यवेक्षण हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में स्थापित वेत की मोटाई जायने को चित्र, प्रति एकडेकर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर, समिच विधान से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक मोटाई हेतु संशोधन भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा गड्ढे की गहराई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में अर्थात् स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्रक्रिया (एच.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसंगत अथवा विश्व स्तरीय पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्रक्रिया (डी.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसंगत द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अर्थात् स्थल की गहराई में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुधारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से अर्थात् स्थल से, तो निम्न वर्ग में किए गए पर्यवेक्षण की वास्तविक मार्क की जानकारी समिच विधान से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. सीधे सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अर्थात् प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. पश्चिम सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संसाधन, नई दिल्ली को को.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. पश्चिम सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संसाधन, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट आदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
10. समिच निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक को खदान में वेत की लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेक्षण (Surveyor) की साथ जानकारी साथ ही अर्थात् स्थल में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समिच निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक को तदनुसार सुधित किया जाए।

11. मेसर्स श्री विजय सुन्दर गुप्ता (स्टील भाईज प्रिवेट लिमिटेड), ग्राम-बोकी, तहसील-जयपुर नगर, जिला-जयपुर (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1121)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीपी / एचआईएल / 136125 / 2020, दिनांक 10 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संशोधित साखण्ड नम्बर (पीएल एनिका) खदान है। खदान ग्राम-बोकी, तहसील-जयपुर नगर, जिला-जयपुर विद्युत खसरा क्रमांक 1 एवं 102, कुल क्षेत्रफल - 2.76 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता - 1,08,200 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण विभागात्मक कार्यालयों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. विवरण एवं में किन्हीं गैर उल्लेखनीय की वास्तविकता तथा की जानकारी एनिका विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. नया संसाधन पर्यावरण एवं और स्वास्थ्य परियोजना मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 04 / 05 / 2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) की साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री इलीक सिड मैदान (माइक्रोडिस्ट रीजिड भाईज, ग्राम-माइक्रोडिस्ट, तहसील-कुसर, जिला-बनारसी), ग्राम-महागांव, जिला-राजमहाराजगंज (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1123)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीपी / एचआईएल / 136357 / 2020, दिनांक 11 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित खेद खदान (पीएल एनिका) है। यह खदान ग्राम-माइक्रोडिस्ट, तहसील-कुसर, जिला-बनारसी विद्युत खसरा क्रमांक 2081, कुल क्षेत्रफल 4.96 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्पादन मशीनरी से विवरण आभार प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-68,800 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण विभागात्मक कार्यालयों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित खदान से निकलने वाले कुल, बंध, एनिका एवं कुल आयुर्विज्ञान से की दृष्टि बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के उपरतीन तथा आउटलाइन में 300 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 मिन्सुली का रिज लगाकर वर्कआन में रेल श्रावक को लेवल्स (Levels) जैसा रिज रेल में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलरी बेंग मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलरी बेंग मार्क (TBM) में आउटलाइन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। रिज रेल में टेम्पलरी बेंग मार्क (TBM) को भी टर्नआउट एवं अग्रिम विभाग से इन्फार्मेशन उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की गोरार्ड जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गार्ड (R/S) स्टीलकर वृक्षारी अन्तर्गत गोरार्ड का मापन कर अग्रिम विभाग से इन्फार्मेशन जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गोरार्ड हेतु उपरोक्त में प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित स्थल रेल की गोरार्ड एवं सीडार्ड तथा नदी से पार की गोरार्ड की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु लार्ज स्काइ मायिंग तथा सहायक निर्माण प्रविधियां (P/S, ड्राई, ए.ए. आदि) द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रविधियां (पी.ई.आई.ए.ए.) पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के अन्तर्गत में ही गार्ड गोरार्डों की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। उक्त ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व में आवंटित है, तो रिजल गार्ड में किये गए उखनन की वास्तविक माप की जानकारी अग्रिम विभाग से इन्फार्मेशन कर कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. यदि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेल की लेवल्स (Levels) होने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जानकारी गार्ड की आवंटित स्थल में उपरोक्त समस्त सुसभ्य जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जायें।

अनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

13. मैसर्स भारतीय साईन स्टोन साईन (प्री.- श्री नरेश ज्ञान रावरेडार), वान-बोली, राहसील व जिला-राजनांदराव (अधिसालय का नस्ती अन्वक 964)
 ऑनलाइन आवेदन - आवेदन नम्बर - एम/आईए / सी/सी / एम/आईए / 42805/2018, दिनांक 30/09/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अतिरिक्त होने से कारण दिनांक 14/10/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अग्रिम जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संश्लेषित चुनौतियाँ (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान धाम-घरेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खाना क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल - 0.807 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,022.81 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श समस्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्बंध किया गया-

1. विचार सभी वें किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी संबंधित विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. माया सरकार, पर्यावरण एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान परीक्षणोपपत्र) को प्राप्त आगामी मास की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. मसौदा घरेली लाईन स्टोन क्वारी (जे- श्री चेतना साह चकरेजा), धाम-घरेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव (परिचालक को मसौदा क्रमांक 063ए)

जीनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए / सीडी / एनआईएन / 12445 / 2019, दिनांक 29/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन में कमीती होने से कारण दिनांक 11/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को जीनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चुनौतियाँ (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान धाम-घरेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खाना क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल - 0.807 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 7,179.81 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श समस्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्बंध किया गया-

1. विचार सभी वें किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी संबंधित विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / ब्यौतावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स चवेली लाईन स्टील माईन (प्री- बी लिमिटेड एलएलएल) ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्का क्रमांक 303)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एस्आईए / सीपी / एम्आईएन / 42408 / 2018, दिनांक 20/08/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण दिनांक 14/10/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम जानकारी दिनांक 11/01/2020 की ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित भूमा पत्थर (भीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव किला जवाहर अन्वय 282(पार्ट), 283, 284 एवं 285(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 1,381 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परावणन क्षमता - 82,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा खदान की नक्का एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति के निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. जिला पदा के लिए भए परावणन की वास्तविक माह की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / ब्यौतावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स किन्गी सोईल ऑडिटरी वले चवेली (प्री- बी नरेस लाल एलएलएल), ग्राम-किन्गी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्का क्रमांक 303बी)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एस्आईए / सीपी / एम्आईएन / 42408 / 2018, दिनांक 20/08/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

अवेदन में समिती होने से जामन दिनांक 11/10/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्पित जानकारी दिनांक 11/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट से संबंधित मिट्टी काखनन (सीमा समिति) खदान है। खदान धाम-किरनी, लखीस-डींगरगांव, जिला-राजमहाराज स्थित खनन क्रमांक 32, कुल क्षेत्रफल - 1.417 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित मिट्टी काखनन (सीमा समिति) क्षमता-2.750.78 टन प्रतिवर्ष है।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्लॉट प्लॉट से लिए गए काखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी समिति विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, राष्ट्रीयता, कानून और न्यायपरु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से सी.एम. दिनांक 01/05/2018 से अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को अगामी चरण की आवश्यक बैंक में उपरोक्त बाण्ड सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अखनन प्रयोगावली) सहित प्रस्तुत करने दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुविधा किया जाए।

17. **बैठक की प्रतीक सिंह मेखम (परखंडा रोड मईन, धाम-परखंडा, लखीस-कुलद, जिला-धमारी), नवाबगढ़, जिला-राजमहाराज (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1122)**

ऑनलाईन अवेदन - प्रयोजन नम्बर - एलआईए / सीपी / एचआईए / 130386/2020, दिनांक 11/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीमा समिति) है। यह खदान धाम-परखंडा, लखीस-कुलद, जिला-धमारी स्थित खनन क्रमांक 3280, कुल सीमा क्षेत्र 4.29 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खनन महामती से किया जाता प्रस्तावित है। खदान की आवंटित खनन क्षमता-28,200 टन प्रतिवर्ष है।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकलाने हुए, बांध, एरीकट एवं अन्य आपूर्ति नली की दूरी बाण्ड जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 सिन्धुओं का विश्व बनाकर,

पर्यटन में रेल सड़क के लेवलस (Levels) लेकर डिजाइन में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्पलेरी वेथ वाड (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेरी वेथ वाड (TBM) में आर.एस. जी-ओब्लिग्रेस (G-obligates) अंकित किये जायें। डिजाइन में 3 टेम्पलेरी वेथ वाड (TBM) को भी दर्शाकर उन्हे खनिज विभाग से प्रामाणीकरण प्रक्रिया कोटेशनस सहित जलवाही / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेल पर्यटन हेतु प्रस्तावित स्थल पर पर्यटन में आवश्यक रेल की चौड़ाई जानने के लिए प्रति सेक्शन में कम से कम एक गड्ढा (पिट) कोटेशनस सहित वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित अथवा नए खनन हेतु राखे गए पर्यावरण सम्बन्धी निर्धारित आवेदन (एच.ई.आई.ए.ए.) पर्यावरण अथवा विद्या सार्विक पर्यावरण सम्बन्धी निर्धारित प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के तहत में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पंचनामा की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए अध्ययन की वास्तविक गहराई की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेल की लेवलस (Levels) देने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी चक्र की आवेदित वेदना में पर्यावरण समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान कोटेशनस) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

18. नैसर्ग की हरीशंका राहु (खदाना क्षेत्र नईन, धाम-धरमा, तहसील व जिला-कांकेर), बैकुंठ नगर मिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1128) अंतर्गत आवेदन - पर्यावरण नंबर - एच.आई.ए.ए. / सी.ई.आई.ए.ए. / 138364/2018, दिनांक 12/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (पीथ खनिज) है। यह खदान धाम-धरमा, तहसील व जिला-कांकेर जिला काठस क्रमांक 131, कुल क्षेत्र क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। अध्ययन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन गहराई-1.18.750 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) सचिवालय की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की गहरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण निर्धारण के दौरान सर्वसम्पत्ति से किमाननुसार निर्धेय किया गया-

1. प्रस्तावित स्तर से निकटतम गुरु, बच्च, एरोप्लेट एवं जल आपूर्ति नदीय की दूरी संबंध जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल प्रखण्डन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित स्तर से अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, तीन सेक्टरों में 4 बिन्दुओं का विश्व अन्वेषण-सर्वेक्षण से रेल स्तर से लेवलिंग (Levels) लेना विश्व क्षेत्र में प्रदर्शित करा प्रस्तुत किया जाये। जहाँ लेवलिंग (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परारी रेल पुल (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी रेल पुल (TBM) में आर.एच. जो-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। विश्व क्षेत्र में टेम्परारी रेल पुल (TBM) को भी प्रदर्शित करने सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित स्तर पर फोटोग्राफ सही जानकारी/सम्बन्धित प्रस्तुत किये जाये।
3. रेल प्रखण्डन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण से उपलब्ध रेल की चौड़ाई जानने के लिए, प्रति सेक्टर में कम से कम एक गड्ढा (गड्ढा) खोदकर उसकी प्राथमिक गहराई का मापन कर, सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की प्राथमिक गहराई हेतु परमाप्त की प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित स्तर से रेल की चौड़ाई एवं चौड़ाई तथा नदी के वाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आर्गेडिड स्थल पर स्तर हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्बन्धित निर्देशन प्राधिकरण (एन.ई.आर.ए.) पर्यावरण अभ्यास विभाग स्वीकृत पर्यावरण सम्बन्धित निर्देशन प्राधिकरण (एन.ई.आर.ए.) पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आर्गेडिड स्तरों के मापन से की गई गहराई की जानकारी फोटोग्राफ सही प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अन्वेषण स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सही प्रस्तुत की जाए।
6. यदि स्तर पूर्व से सम्बन्धित है, तो विभाग स्तरों में किए गए मापन की प्राथमिक मात्रा एवं जानकारी सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित स्तर पर प्रस्तुत की जाए।
7. नीचे दी गई से निकटतम वन क्षेत्र की प्राथमिक दूरी संबंध जानकारी हेतु वन विभाग से जहाँ सम्बन्धित प्रमाण पत्र (अवतार) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण वन क्षेत्र स्तर हेतु पर्यावरण पर्यावरण, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्देशक एवं पर्यावरण प्रसाधक को स्तर में रेल के लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ जानकारी मात्र की आर्गेडिड स्तर में पर्यावरण सम्बन्धित सम्बन्धित जानकारी / सम्बन्धित (अवतार फोटोग्राफ) सही प्रस्तावित स्तर दिव जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति निर्देशक एवं पर्यावरण प्रसाधक को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मैसूरु की जी. सी.टी.पु. सुनार (अंतराष्ट्रीय लेवल गाईड, काम-अंतराष्ट्रीय, लक्ष्मील-अंतराष्ट्रीय, जिला-कावेरि), सति कनर, जिला-दुर्ग (सविभाग का नस्ती क्रमांक 128) ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एम्पाईए / सीजी / एम्पाईएन / 136579/2020 दिनांक 12/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (ग्रीन खनिज) है। यह खदान काम-अंतराष्ट्रीय, लक्ष्मील-अंतराष्ट्रीय जिला-कावेरि विभाग कलसा क्रमांक 128, कुल लीज क्षेत्र 8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान जोनी पारतु नदी से किछा जल प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,18,750 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा खदान की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विभाग विभागीय स्तरों पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित खदान से निकटतम पुद, बंग, एनीकट एवं जल आपूर्ति संकेत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, जहाँ हेक्टेयर 4 विन्दुओं का चित्र बनाकर, खोपान में रेल सतह की स्तरता (Levels) संबंध चित्र में दर्शाया जा प्रस्तुत किया जाये। प्रस्तावित स्तरता (Levels) हेतु कम से कम 2 टैम्परी डेप चार्ज (Consolidated TBM structure) निर्धारित किया जाये। टैम्परी रेल चार्ज (TBM) में आर.एल. से-ऑर्डिनेट (Dis-ordinates) दर्शाया किया जाये। चित्र में टैम्परी रेल चार्ज (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रस्तावित खदान संबंधित फोटोग्राफ संवेत जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाये।
3. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर पर्याप्त में उपलब्ध रेल की चौड़ाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मटरा (एच) खोदकर उसकी वास्तविक चौड़ाई का मापन कर खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक चौड़ाई हेतु पर्याप्त में प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खदान हेतु राज्य स्तर पर्याप्त स्तर स्तरागत निर्धारण प्रतीक्षण (एम.ई.आई.ए.ए.) लक्ष्मील अंतराष्ट्रीय विभाग लक्ष्मील पर्याप्त स्तर स्तरागत निर्धारण प्रतीक्षण (एम.ई.आई.ए.ए.) लक्ष्मील अंतराष्ट्रीय द्वारा पर्याप्त स्तर स्तरागत प्रतीक्षण की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्याप्त स्तर स्तरागत प्रतीक्षण की प्रति एवं आवेदित स्तर स्तरागत में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ संवेत प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित खदान विभाग की जानकारी फोटोग्राफ संवेत प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व में संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक माप की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित करा जा प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम जल क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु उप विभाग से जारी प्रस्तावित प्रस्ताव 59 (अखतल) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की जाए।
10. क्षति निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक की खदान में रेल के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जगानी बाक की अव्यक्तित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरक्षित जानकारी / प्रस्तावित (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिने करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

क्षति निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक की सहमति से सुचित किया जाए।

20. मेरठ नगरीय विकास अर्ध क्वार्टी एच विकास विनयी क्रिक प्लॉट (प्रो.- बी टि.क.एम.एम. साहू, ग्राम-नकना, तहसील-रामानुजपुर, जिला-सुरजपुर (सविधान्य का नक्का क्रमांक 1130)

ऑनसाईट आवेदन - एप्लिकेशन नम्बर - एल.आई.ए. / सी.टी. / एल.आई.ए. / 138777/2020 दिनांक 14/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट से संबंधित मिट्टी उत्खनन (सीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नकना, तहसील-रामानुजपुर, जिला-सुरजपुर स्थित खदान क्रमांक 82, 83, 84 एवं 85, कुल क्षेत्रफल 1.4 हेक्टेयर में है। खदान की अव्यक्तित मिट्टी उत्खनन (सीन खनिज) क्षमता-1,744.65 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 300वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण विनयी जांचत कार्यसम्पत्ती से निम्नानुसार निर्देश किया गया-

1. प्लॉट में जारी गार्डरिलीय सीमांकित की प्रती एवं अधिसूचित नक्की के मातन में की गई अव्यक्तित की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही नृक्षारोपण की अद्यतन स्थिती की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विनयी प्लॉट में किए गए उत्खनन की प्राथमिक बाक की जानकारी सहित विवरण से प्रभावित तथा बल प्रस्तुत की जाए।
3. सीन सीमा के निकटतम वन क्षेत्र की प्राथमिक दृष्टि संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अपासित प्रस्ताव पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परिशोधना प्रस्तावक को आगामी मही की आवेदित वेतक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / समझौता (अद्यतन कोटीघास) सहित प्रस्तुत/करना दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

परिशोधना प्रस्तावक को अदानुसार सूचित किया जाय।

21. मेसर्स श्री मीनराम दिग्दर्शक (प्रायतः श्रीमद मईनर, ग्राम-पौषड, तहसील-गुजर, जिला-बालोद), ग्राम-मोथली, तहसील व जिला-बालोद (सविधानिक का नसीब क्रमांक 1132)

डीनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एमआईए / टीजी / एमआईएन / 136549/2020, दिनांक 14/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोल खनिज) है। यह खदान ग्राम-पौषड, तहसील-गुजर, जिला-बालोद जिला नर्स ऑफ खण्ड क्रमांक 132 कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपर्युक्त सहाय्यी से किया जाया प्रस्तावित है। खदान की आवेदित जाखाना क्षमता-1,00,000 मन्मीटर प्रतिवर्ष है।

वेतक का विवरण -

(अ) समिति की अग्रणी वेतक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण निम्न उपरोक्त सर्वमान्यता से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम कुल, बंध, एनीकट एवं चाल अस्तुती कच्चा की दूरी बाका जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत खदान में प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की जगहों तथा खानास्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 विन्दुओं का डिग बनाकर, वर्तमान में रेत खदान की लेवलिंग Levels, टीका निच में दर्शाते कर प्रस्तुत किये जायें। एक लेवलिंग Levels हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेत मार्क (Concrete TBM structure) निर्देशित किये जायें। टेम्परी वेत मार्क (TBM) में डारएल, को-अर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। डिग के 2 टेम्परी वेत मार्क (TBM) को दो कन्क्रिट बन्दे अंकित कियाय की प्रस्तावित खदान उपरोक्त कोटीघास सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत खदान हेतु प्रस्तावित खाना पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की सीमाई जानने की लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नदर (नर्स) कोटीकर जगहों वास्तविक नदरों का मापन कर, अंकित कियाय से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक नदरों हेतु खाना की प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित खाना क्षेत्र की सीमाई एवं सीमाई तथा नदी की घाट की सीमाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खाना हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सहायता निरीक्षण परियोजना (एसईआईएन) अतीर्यक अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निरीक्षण परियोजना (डीईआईएन), उपरोक्त प्रस्ताव सहाय्यीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के खाना में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटीघास सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुसंगतता की अद्यतन निधति की जानकारी कोटीघास सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि सचन पूर्व से संघात्मक है, तो विगत वर्षों में किए गए सचन की वार्षिक मात्र की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, जन और जनसामु परिवारों में सचन, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार कीई-आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. यदि निदेशक एवं परिशोधन प्रस्तावक को सचन में रंग के लेवल (Levels) जैसे वाले सर्वेयर (Surveyor) से सचन जागगी सच की जागीरित रीटक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (सचन कीटीआरएस) कीटी प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

यदि निदेशक एवं परिशोधन प्रस्तावक को उपरानुसार सुचित किया जाए।

22. **बैरली काका शर्टईट बले क्वारी (पे.- की चंदुमाल नाई), सच-सच, तखनील-डोंगरसद, जिला-राजनांदगाव (सचिवालय का नसी क्रमांक 255)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रकीरत नम्बर - एसआईए / सीडी / एम्प्लॉय / 42429/2018 दिनांक 30/08/2018। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में क्वारी बले से सचन दिनांक 14/10/2018 द्वारा जागगीर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा तथित जानकारी दिनांक 14/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघात्मक शर्टईट बले (पीएल सचिवालय) सचन है। सचन सच-सच, तखनील-डोंगरसद, जिला-राजनांदगाव जिला सचन क्रमांक 128/1, कुल सचन - 1,427 हेक्टर में है। सचन की आवेदित सचन क्रमांक-2,850 बननीएर प्रकीरत है।

बैरक का विवरण -

(अ) सचिवालय की 309वीं बैरक दिनांक 04/02/2020:

सचिवालय द्वारा प्रकरण की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का सर्वेक्षण तथा विवरण विवरण सचन सर्वेसचिवालय से निम्नानुसार विवरण किया गया-

1. पूर्व में जारी सर्वेसचिवालय सूचीकृति की प्रति एवं अधिसूचित सचिवालय के सचन में की गई सचिवालय की जानकारी कीटीआरएस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुसंगत की सचन सचिवालय की जानकारी कीटीआरएस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए सचन की वार्षिक मात्र की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey सचन) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, जन और जनसामु परिवारों में सचन, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार कीई-आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परिशोधन प्रस्तावक को जागगी सच की जागीरित रीटक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (सचन कीटीआरएस) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिभाषित प्रस्तावकों को तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

23. मेसर्स श्री विद्यान अग्रवाल (गोरिवाटोली रोड भाईन, धाम-गोरिवाटोली, टहसील-मनोर, जिला-जलपुर), टहसील-बसना, जिला-बक्सर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1/23)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एमआईए /बीडी /एमआईएन / 12821 /2020, दिनांक 18/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीम खनिज) है। यह खदान धाम-गोरिवाटोली, टहसील-मनोर, जिला-जलपुर स्थित प्लॉट बीएम डबल क्रमांक 402/1, कूल एरिया क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन जमा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-29.787 क्यूमीटर प्रतिवर्ष है।

रैटक का विवरण -

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्सा एवं प्रस्तावित खानखोली का सर्वेक्षण तथा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित खान से निकटवर्ती युवा धर्म, एनोका एवं जल आपूर्ति नदी की दूरी बढ़ाने जाणकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान की अगस्टीम एवं कार्बलस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 किन्टुओं का गिड बनाकर, सर्वेक्षण से रेत खान के लेवलिंग Levels लेवल गिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। उक्त लेवलिंग Levels हेतु कम से कम 3 टेन्सरी बेंच मार्क (Conventional TBM structure) निर्धारित किए जाएं। टेन्सरी बेंच मार्क (TBM) में आरएन, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। गिड गैंग में टेन्सरी बेंच मार्क (TBM) को 5 टर्नोवर सभी खनिज विभाग से प्रभावीकरण करवाते फोटोग्राफ सहित जाणकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जाएं।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत की खोज करने की लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोकर उसकी वास्तविक गड्ढाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित खानखोली प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गड्ढाई हेतु नक्सा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से गैर क्षेत्र चौड़ाई की जाणकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि युवा में आवेदित खान पर नक्सा हेतु राज्य राज. पर्यावरण संरक्षण निरीक्षण अधिकरण (एनईआईएए), क. प्रस्तावित खान, खनिज विभाग संरक्षण समारंभ करवाते द्वारा पर्यावरणीय नुकुति की प्रति एवं आवेदित खान की खान में की गई कार्रवाही की जाणकारी प्रस्तावित खान की अंदाजित क्षमता की जाणकारी प्रस्तावित खान की विवरण एवं निर्धारण करवाते कर प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से राष्ट्रीय सड़क विभाग से प्रस्तावित खान कर प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल (Levels) होने वाले खोदें (Excavation) के साथ आगली मंड की आवधिक वेतक में उपरोक्त समस्त सुरंगगत जानकारी / दस्तावेज (अथवा फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

24. मेसर्स श्री विवेक राजनी (ई-1 बड़े तुम्हार संघ भईन, डाम-बड़े तुम्हार तहसील-गीरन, जिला-डोवाडा), मेसर्स तहसील-नेरुमगु, जिला-बीजापुर (सफिचलय का नसी अर्थात् 1088)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - एमआईए /सीजी /एनआईए / 121646/2018 दिनांक 18/12/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से आपन दिनांक 02/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पंक्ति जानकारी दिनांक 15/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीन खनिज) है। यह खदान डाम-बड़े तुम्हार, तहसील-गीरन, जिला-डोवाडा स्थित खदान अर्थात् 784, कुल सीन क्षेत्र 5 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन खनिज नहीं हो किया जाया प्रस्तावित है। खदान की आवधिक खदान अर्थात्-01.025-पार्लेट अतिवर्त है।

वेतक का विवरण -

(अ) खनिज की 30वीं वेतक दिनांक 04/03/2020:

खनिज द्वारा उत्खनन की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श कथना सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित खदान की निकटस्थ पूरा, धीम, एनिकट एवं खतर आयुर्वि स्वतः की दृष्टि खतर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की अवस्थिति तथा आधुनिक में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टर 4 किन्तु का चिह्न बनाकर, वर्तमान में रेत खदान के लेवल (Levels) लेवल चिह्न में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। तथा लेवल (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परी वेत मार्क (Concealed TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी वेत मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) उचित किये जाये। चिह्न क्षेत्र में टेम्परी वेत मार्क (TBM) को भी उचित रूप से खनिज विभाग से प्रस्तुतीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत की खोलाई जानने के लिए, प्रति हेक्टर में कम से कम एक मंड (मि) खोदकर उसकी वार्षिक मंडाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वार्षिक खोलाई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

4. प्रस्तावित खानन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 5. यदि पूर्ण में आवेदित खानन पर खानन हेतु राज्य एवं पर्यावरण अनुसंधान विभाग प्रविष्टिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.) उत्तरीखण्ड जलवायु विभाग राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान विभागीय प्रविष्टिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) उत्तरीखण्ड द्वारा वर्षवार्षिक स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिविहित शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रोटोकॉल/सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रशासन की अंतिम स्थिति की जानकारी प्रोटोकॉल/सहित प्रस्तुत की जाए।
 6. यदि खानन पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए खानन की वार्षिक मात्रा की जानकारी वार्षिक विवरण से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
 7. जीव संरक्षण से निवारण एवं क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु एक विवरण से जारी अनुमति प्रमाण पत्र (अनुमति) प्रस्तुत किया जाए।
 8. जल संचार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के डी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
 9. जल संचार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण से डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
 10. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खानन में लेा के स्तर (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ खाननी पट की आवेदित बेटक से उपरोक्त अन्तत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अनुमति प्रोटोकॉल) सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- उपरोक्त निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को सन्तुष्ट कर सुविधा किया जाए।

25. मेसर्स श्री अमित अग्रवाल (मुलदुला रोड गाईन, ग्राम-दुलदुला, टहसील-दुलदुला, जिला-बाराणसी, तहसील-बाराणसी, जिला-बाराणसी (संविधान संख्या 1134)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन संख्या - एचआईए / सीजी / एचआईए / 138924/2019, दिनांक 15/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित क्षेत्र खानन (गोम खनिज) है। यह खानन ग्राम-दुलदुला, टहसील-दुलदुला, जिला-बाराणसी स्थित गाईन रोड अंक 308, कुल क्षेत्र 2.1 हेक्टर में प्रस्तावित है। खानन सिरी नदी से किया जाया प्रस्तावित है। खानन की आवेदित परमाणु संख्या-20,885 परमिटर अंतर्गत है।

बेटक का विवरण -

(अ) समिति की 308वीं बेटक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की माली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अंतर्गत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एसीकर एवं जल आपूर्ति स्केम की दूरी बांध जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रैट डेवलपमेंट हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की उपभूट्टिम तथा ड्राइंगप्लान में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टर पर 4 डिब्बुओं का सिरे बनाकर, पर्सियन में रैट गार्ड की लंबाई Levels लेकर डिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। उक्त लेवलस Levels हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट पैथ मॉडल (Concrete TBM structure) निर्माणा किये जाये। टेम्पलेट पैथ मॉडल (TBM) में ऊपर, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। डिड में 2 टेम्पलेट पैथ मॉडल (TBM) को भी दर्शाकर, सभी खनिज विभाग से प्रभावीकरण अर्पणत फोटोडापल सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. रैट डेवलपमेंट हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रैट की नौदड़ें जानने के लिए, प्रति हेक्टर में कम से कम एक नौदड़ (नमू) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रैट की वास्तविक गहराई हेतु जानकारी भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की लंबाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदिता स्थल पर खनन हेतु खनन स्तर पर्यावरण समायात निर्धारण प्रविधकन (एन.ई.आई.ए.) कर्तवीरगड अध्याय तिला राष्टीय पर्यावरण संरक्षण निर्वहण आरिक्शन (सी.ई.आई.ए.) कर्तवीरगड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्तित्त सार्ति सं पालन में की गई पर्यावाही की जानकारी फोटोडापल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुषावीरण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी फोटोडापल सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खनन पूर्व से संश्लित है, तो किना वहाँ में किए गए डेवलपमेंट की वास्तविक माड की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और प्रतापानु परिवर्तन संश्लय, नई दिल्ली के ओ.एन. विभाक 01/00/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. यदि निरीक्षक एवं परियाोजना प्रतापक को खनन में रैट के लेवलस Levels लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ आगली माह की आरंभित पैथ में उपलब्ध संश्लत सुसगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोडापल) सहित प्रस्तुतकरण दिये जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।

सुनि निरीक्षक एवं परियाोजना प्रतापक को तत्काल सुनि किना जाए।

28. मेसर्स की उत्कर्ष दृश्वी (अनिशगांव लेम्ड गाईन्, धाल-अनिशगांव, तहसील व जिला-कोम्हागांव), लिताई, जिला-दुर्ग (सविवालप का नसती क्रमांक 1135)

अनिताईन आवेदन - उत्कर्ष नम्बर - एन.आई.ए. / सी.ई.आई.ए. / एन.आई.ए. / 138787 / 2020, दिनांक 15 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रैट खनन (पीथ खनिज) है। यह खनन धाल-अनिशगांव, तहसील व जिला-कोम्हागांव सिरे उत्तर क्रमांक 524, कुल पीथ

की 1.4333 सेक्टर में प्रस्तावित है। जलजनन वाली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। जलदाय की आवेदित जलजनन क्षमता-29.780 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की नयी एवं अस्तित्व जानकारी का सर्वेक्षण तथा विमान विमल उपरोक्त सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकलता पुरा, पथ, एनिका एवं जल आपूर्ति नलके की पूर्ण समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत जलजनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से जलसूरीय जल आपूर्ति नली में 100 मीटर की दूरी पर की हेक्टोम 4 विन्दुओं का सिद्ध बनाकर, जलदाय में वेत सतह के लेवल (Levelling) लेवल सिद्ध रूप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाए। जल लेवल (Levelling) हेतु कम से कम 3 टेम्परी वेत मार्ग (Contracted TBM structure) निर्दिष्ट किया जाए। टेम्परी वेत मार्ग (TBM) में जल, पुरा, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाए। सिद्ध रूप से टेम्परी वेत मार्ग (TBM) को को प्रदर्शित एवं अनिज विभाग से प्रत्येक वर्ष समस्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / वस्तुसहित प्रस्तुत किया जाए।
3. वेत जलजनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध वेत की सीमाई जलन के सिद्ध प्रति हेक्टोम में कम से कम एक मयदा (मैट्र) खोदकर समस्त जानकारी सहित जानकारी का मानन कर, अनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की जानकारी सहित हेतु प्रस्तावित भी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल क्षेत्र की सीमाई एवं सीमाई तथा नदी के गहरे की सीमाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्ण में आवेदित स्थल पर जलन हेतु साथ साथ पर्यावरण संरक्षण निर्माण प्रतिकल्प (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीनगत जलदाय विमान सरीय पर्यावरण संरक्षण निर्माण प्रतिकल्प (एन.ई.आई.ए.ए.), प्रतीनगत जलदाय पर्यावरण संरक्षण प्रतिकल्प की गई हो, तो पूर्ण में जलन पर्यावरण संरक्षण की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के जलन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही मुआयना की जलदाय विमल की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि जलदाय पूर्ण से संघटित है, तो विमान जलन में सिद्ध एवं जलजनन की सार्वधिक मात्रा की जानकारी अनिज विभाग से प्रस्तावित मात्रा एवं प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलदाय प्रतिकल्प संरक्षण एवं दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/02/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. जल निर्दिष्ट एवं पर्यावरण प्रस्तावक को जलदाय में वेत के लेवल (Levelling) लेने वाले सर्वेक्षण (Surveyor) की साथ जानकारी गहरे की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त समस्त जानकारी / वस्तुसहित (जलदाय फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अनि निर्दिष्ट एवं पर्यावरण प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

27. वेस्टर्न सी डेवेलपमेंट फंड (असिस्टेड सेक्टर मॉडर्न, ग्राम-कस्बिया, तहसील-मन्दीरा, जिला-जशपुर), भागलपुर पीक, भागलपुर, तहसील व जिला-जशपुर (सर्विहालय का नक्का संख्या 1130)

ड्राइंग/ड्राइंग अप्रूव्ड - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीजी / एसआईए / एसआईए / 138838 / 2020, दिनांक 18 / 01 / 2020।

इसका यह विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीक खनिज) है। यह खदान ग्राम-कस्बिया, तहसील-मन्दीरा, जिला-जशपुर जिला नई सीक खदान बन्धक दर, कुल सीक क्षेत्र 4.5 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान का नदी से किंचित दूरी प्रस्तावित है। खदान की आवेदित खदान क्षमता-48,405 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 03 / 2020

समिति द्वारा खदान की नक्का एवं प्रस्तावित खानकारी का परीक्षण एवं विवरण दिनांक 04/03/2020 परियोजना के निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित खदान में निम्नलिखित कुल क्षेत्र, एकीकृत एवं खान क्षमता स्वीकृत की दूरी कायम खानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत खदान क्षेत्र प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की खानटीन तथा ड्राइंगस्टेशन में 100 मीटर की दूरी पर 30 मीटर डायमीटर 4 किन्टन का ड्रिफ्ट बनाकर, खानटीन में रेत खदान की लेवल्स (Levels) लेका ड्रिफ्ट में प्रवेशित कर प्रस्तुत किया जाये। खदान लेवल्स (Levels) क्षेत्र कम से कम 2 टेम्पलेट रेत मार्ग (Consolidated TBM structure) निर्मित किया जाये। टेम्पलेट रेत मार्ग (TBM) में खानटीन की-कोऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। ड्रिफ्ट में रेत मार्ग (TBM) को भी खानटीन, खानटीन खनिज विभाग से प्रमाणिकता उपरान्त फोटोडायग्नोसिस सहित खानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
3. रेत खदान क्षेत्र प्रस्तावित खदान पर खानटीन में खानटीन रेत की नोट्स खानटीन की दूरी, 30 मीटर डायमीटर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खानटीन खानटीन प्रमाणिकता गड्ढा का भागन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित खानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की खानटीन गड्ढा क्षेत्र प्रमाणिकता भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की नक्का एवं नक्का तथा नदी से दूरी की नक्का की खानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित खदान पर खानटीन क्षेत्र खानटीन प्रमाणिकता निर्माण प्रमाणिकता (एसआईए/एसआईए), प्रमाणिकता अथवा जिला स्तरीय प्रमाणिकता प्रमाणिकता निर्माण प्रमाणिकता (सी.डी.आई.ए.ए.) प्रमाणिकता द्वारा प्रमाणिकता स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी प्रमाणिकता स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित डेटा के माध्यम से की गई खानटीन की खानटीन फोटोडायग्नोसिस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रमाणिकता की खानटीन सिमिलिटी की खानटीन फोटोडायग्नोसिस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व में खानटीन है, तो खानटीन क्षेत्र में खानटीन प्रमाणिकता की खानटीन नक्का की खानटीन खानटीन खनिज विभाग से प्रमाणिकता कर प्रस्तुत की जाए।

- f. मातृक संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के अपीएन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- g. छानि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को बजट में गैर की संवर्द्धन (Leads) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) को साथ आयाती गैर की आयोजित बैठक में आयोजित सफल सुभाषण जानकारी / इलायज (अवगत कीर्तिवाचक) सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

छानि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

28. मेसर्स बी दीपक बुथा (बालपुरी रोड गाईन, धाम-बालपुरी, तहररील-बलारण, जिला-बलार, नालयार, ब्राम्हाण्यार, मोरार नयापार, जिला-बलपूर (सविवालय का नाली क्रमांक 1137)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोक्त नंबर - एनआईए / सीसी / एनआईए / 133328/2019, दिनांक 18/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित का बजट (मीर छानि) है। यह बजट धाम-बालपुरी, तहररील-बलारण जिला-बलार स्थित बजट क्रमांक 245, गुरू जीव रोड 3 हेक्टर में प्रस्तावित है। अवदान इन्द्राली नदी के किण्ड जाना प्रस्तावित है। बजट की आवेदित अवदान बलार-60,000 धनवेदा प्रतिवर्ष है।

बैठक का दिवस -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा अवदान की नाली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा दिवस सिवा संघगत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित बजट की निम्नलिखित बुन, बंध, एवीकर एवं जल बाली नाली की पूरि बाबा जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. का अवदान हेतु प्रस्तावित बजट एवं प्रस्तावित बजट की आवेदित तथा आवेदित में 100 मीटर की पूरि पर, प्रति हेक्टर 4 बिन्दुओं का डिग बनाकर, बलिबल में का बजट के संवर्द्धन Leads लेकर किण्ड नीव में प्रस्तावित का प्रस्तुत दिवे जाये। उक्त संवर्द्धन Leads हेतु बजट के बजट 2 हेक्टर बैन नाली (Detailed TBM structure) निर्वाहित दिवे जाये। हेक्टर बैन नाली (TBM) में अपएन, को-ऑर्डिनेशन (Co-ordination) अलिप्त दिवे जाये। किण्ड नीव में हेक्टर बैन नाली (TBM) को भी उचित, जन्व समिज विभाग से प्रस्तावित अवगत कीर्तिवाचक सहित जानकारी / इलायज प्रस्तुत दिवे जाये।
3. का अवदान हेतु प्रस्तावित बजट पर वर्तमान में अवदान का की मोटाई बनने की किण्ड, प्रति हेक्टर में बजट से का एक नाली (अ) संवर्द्धन करती संवर्द्धन नाली का मापन का, समिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। का की संवर्द्धन नाली हेतु संवर्द्धन की प्रस्तुत दिवे जाये।
4. प्रस्तावित बजट की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी की चर की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विभाग अधीनस्थ (एन.ई.आई.ए.ए.) अधीनस्थ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग अधीनस्थ (डी.ई.आई.ए.ए.) अधीनस्थ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिवेदित शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुरक्षात्मक की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व में संचालित है तो विनाय वर्षों में किए गए खनन की तकनीक संचालन की जानकारी खनिज विभाग से उपलब्ध तथा कर प्रस्तुत की जाए।

7. जीए सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की अनुचित दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनुरोध प्रत्यक्ष पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार पर्यावरण एवं जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एच. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. भारत सरकार पर्यावरण एवं जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिनियम दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित कार्य में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

10. खनिज निरीक्षण एवं परियोजना प्रभावक की अद्यतन में रीट के लेक्चर (Lectur) लेन वाले सॉफ्ट (Software) के साथ आवासीय ग्राह की अधिवेदित क्षेत्र में उपस्थित समस्त सुरागत खानखानी / टर्मलोज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

खनिज निरीक्षण एवं परियोजना प्रभावक की अद्यतनता सुनिश्चित किया जाए।

29. मेसर्स श्री एलवर्त एन्वॉनी (सीनाबाल रोन्ड माईन्, घास-सीनाबाल, तहसील व जिला-कोण्डागांव, मिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नशी क्रमांक 1138)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एन.आई.ए. / सी.ई. / एन.आई.ए. / 138340 / 2020, दिनांक 15/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (भौग खनिज) है। यह खदान घास-सीनाबाल, तहसील व जिला-कोण्डागांव जिला अन्तर्गत क्रमांक 38, कुल जीए सीमा 1.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित नदरी से किंचित उत्तर प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उपखनन क्षमता-43,800 टन/वीयर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नशी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श अद्यतन कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पूर, बांध, एल्यूमिन एवं जल आपूर्ति कनेक्ट की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से अग्रदृष्टि तथा अन्तर्दृष्टि में 100 मीटर की दूरी पर, जीए हेक्टेयर 4 विन्दुओं का विश्लेषण

संरचना में रेल साइट की संरचना Levels: लेवल चित्र में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त संरचना Levels: हेतु कम से कम 2 टेम्पली बेस मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पली बेस मार्क (TBM) में आर.एस. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उल्लिखित किये जायें। चित्र में 2 टेम्पली बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें उल्लिखित विभाग से प्रमाणिकरण प्राप्त कर लेना/प्राप्त रहित जानकारी / प्रस्तावक प्रस्तुत किये जायें।

3. रेल संरचना हेतु प्रस्तावित खदान पर अधिनियम से प्रस्तावक को भी गीटाई लगाने से किए प्रति हेम्टीयर में कम से कम एक मजदूर (मह) स्वीकार कर लेनी आवश्यकता है। रेल पर अधिनियम से उल्लिखित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की आवश्यकता गहराई हेतु प्रस्तावक को प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में अधिदित खदान पर खदान हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित समायोजित निर्माण अधिनियम (एन.ई.आई.ए.ए.) कार्यालयक अध्याय विगत स्वीकृत प्रस्तावक समायोजित निर्माण अधिनियम (सी.ई.आई.ए.ए.) कार्यालयक द्वारा प्रमाणिकरण स्वीकृती की गई हो, तो पूर्व में जारी प्रमाणिकरण स्वीकृती की प्रति एवं अधिदित रेलों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी कोटेशनक सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रमाणिकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशनक सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो दिशा नहीं में किए गए खदान की आवश्यकता की जानकारी उल्लिखित विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाए।
8. खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेल के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की राज्य सरकार से की अधिदित रेलों में उपरोक्त समस्त सुयोगत जानकारी / प्रस्तावक (खदान कोटेशनक) सहित प्रमाणिकरण किये जाने हेतु निर्देशित किये जाए।

खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किये जाए।

20. मेरास कोटित सुमान कुंजकर (कोलीपुर रोड मार्ग, धान-कोलीपुर, तहसील-कोली, जिला-सुरजपुर), अरीद, सादाबीद, जिला-बासीद (सर्विवालय का नसीब क्रमांक 1075)

ऑनलाइन आवेदन - प्रमाणिकरण - एम.आई.ए. / सी.ई.आई.ए. / एम.आई.ए. / 150904 / 2018, दिनांक 21/12/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कियी होने से आगम दिनांक 08/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लिखित जानकारी दिनांक 15/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का स्थान - यह प्रस्तावित रेल खदान (सी.ई.आई.ए.) है। यह खदान धान-कोलीपुर, तहसील-कोली, जिला-सुरजपुर जिला सरकार क्रमांक 107/304.

कुछ सीज बीच 3 हेक्टर में प्रत्यक्ष है। उत्खनन खेद नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन गहराई-47.500 सन्मीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 369वीं बैठक दिनांक 04/03/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श प्रस्ताव सर्वोत्तमता से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्यक्षेत्र सर्वोत्तम (अनिज क्षेत्र) द्वारा खदान खदान की 200 मीटर की परिधि में नदिर करण्ड उत्खनन, खुद, यदि प्रतिवर्षित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने मान्य जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पूर, क्षेत्र एकीकृत एवं जल आवृत्ति नदी की दूरी मान्य जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अन्तर्गत तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टर 4 डिग्री का डिग बनाकर, वर्तमान में का साइट की लेवल्स (Levels) लेवन डिग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Controlled TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एन. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किया जाये। डिग में 2 टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्में खनिज विभाग से प्रस्तावित सर्वेक्षण उपकरण कोटेशन सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
3. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध वेत की नोट्स/आपने के डिग प्रति हेक्टर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) कोटेशन द्वारा प्रस्तावित गड्ढाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की कार्यावधि गड्ढाई हेतु पत्राचार भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के चर की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूरे में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सहायता निर्देशन अधिकरण (एस.ई.आई.ए.) फसलीसंग्रह तथा/या जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्देशन अधिकरण (डी.ई.आई.ए.) फसलीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय सर्वेक्षण की गई हो, तो पूरे में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षण की प्रति एवं आवेदित सर्वेक्षण के खनन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्स्थापन की अवगत विधि की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूरे से सम्बन्धित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की कार्यावधि नोट्स की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित करें कम प्रस्तुत की जाए।
7. सीज सीज से निकटतम वन क्षेत्र की कार्यावधि दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अवगत) प्रस्तुत किया जाए।
8. पर्यावरण पर्यावरण, वन और उत्खनन विभागीय संचालक, नई दिल्ली के अधिन दिनांक 01/03/2018 से अनुसार सी.ई.आई.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. नहरा संचालन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधीक्षणना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

9. क्षति निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी महीने की आरंभित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

क्षति निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स जे.डी. गिगल्लस बनहण्डी लाईंग स्टोन क्वारी (पार्टनर- श्री राहुल गौतम), जाल-बनहण्डी, लहरील-झीरखण्ड, जिला-राजनांदगांव (सफियालय का नक्का प्रमाणक 880)

जीनलाईन आवेदन - प्रयोगक नाम - एसआईएम / सीडी / एमआईएम / 26750/2018, दिनांक 26/08/2018; परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने के कारण दिनांक 26/08/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिस्त जानकारी दिनांक 18/01/2020 को जीनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट से संबंधित कुना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान जाल-बनहण्डी, लहरील-झीरखण्ड, जिला-राजनांदगांव जिला अर्थात् प्रमाणक 880/2 एवं 887, कुल क्षेत्रफल - 0.708 हेक्टर है। खदान की आरंभित प्रारंभण अगता - 11.000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्का एवं प्रस्तुत जानकारी का अंतिम तथा विचार विमर्श करवाया जाईसमिति की निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्लॉट में जारी पर्यावरणीय क्षीयति की प्रति एवं अधिस्तित सर्वे के मासम में की गई सर्वेवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुसंगतपन की अद्यतन विमर्श की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्ष में किए गए रखरखण की कार्याविक मास की जानकारी अतिव विमर्श से प्रस्तुत करत कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. नहरा संचालन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधी. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ अगामी महीने की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

32. मैसर्स रामपुर लाईम स्टोन क्वारी (प्रा.) पी. एल. राम चंद्र राम चंद्र, राम-रामपुर, तहसील-डींगरगांव, जिला-राजमहेंद्रगांव (सचिवालय का नक्की क्रमांक 1002)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीसी / एनआईएन / 42362/2019, दिनांक 26/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से प्रथम दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा साक्षित जानकारी दिनांक 18/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित (नीच खनिज) खदान है। खदान राम-रामपुर, तहसील-डींगरगांव, जिला-राजमहेंद्रगांव स्थित खदान क्रमांक 78/2, कुल क्षेत्रफल - 0.81 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 4,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श परामर्श एवं समझौते से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. रिफा वर्क से किए गए उत्खनन की कालवित्त मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट वर्क रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली से आ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को अपेक्षा समता पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) से साथ आगामी सत्र की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिवे करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

33. मैसर्स हिरुपति विल्डर्वाइन प्राइवेट लिमिटेड(2), राम-बदुराबहार, तहसील-कंधलगांव, जिला-जशपुर (सचिवालय का नक्की क्रमांक 1073)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीसी / एनआईएन / 132814/2019, दिनांक 21/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से प्रथम दिनांक 08/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा साक्षित जानकारी दिनांक 18/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सहायक खान (नीच खनिज) खदान है। खदान राम-बदुराबहार, तहसील-कंधलगांव, जिला-जशपुर स्थित खदान क्रमांक 1030/2 एवं 1030/7, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 88,982.40 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो उसे पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के माध्यम में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विन्त वर्षों में किन्तु नए अद्यतन की पारंपरिक माफ की जानकारी व्यक्ति विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. माता परदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोकॉपी) की साथ आवसी बाहू की वेबसाई ने प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

24. केसी घोड़ा साईन फटोन क्वारी (पी- की निर्मल चंद जीन्), ग्राम-घोरदा, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (समिवालय का मसौदा क्रमांक 047)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एएआईए / सीटी / एनआईए / 4/2019, दिनांक 31/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में खसिया होने से ज्ञात दिनांक 25/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यक्ति जानकारी दिनांक 18/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित धूम प्रकल्प (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-घोरदा, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव सिद्धा खतरा क्रमांक 372/1, 372/2 एवं 373, कुल क्षेत्रफल - 1.5851 हेक्टेयर में अवस्थित है। खदान की आवेदित संलग्नता - 14.283 एन प्रतिघन है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो उसे पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के माध्यम में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विन्त वर्षों में किन्तु नए अद्यतन की पारंपरिक माफ की जानकारी व्यक्ति विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. सीज बीक की स्पष्ट/मासिक प्रति प्रस्तुत की जाए।
 4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
 5. मासिक सारसंग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नकारात्मक नई दिल्ली के सी.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यापत कोर्टोबाक्स) के साथ आसानी से एक ही बैचक में परामुकीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को तथानुसार सूचित किया जाए।

25. नैसर्ग भी रेवलाज वन सोखती लाईन स्टोन क्वारी, दाम-सोखती, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सुविद्यालय का नक्शे क्रमांक 943)

ऑनलाईन आवेदन – प्रयोजन नम्बर – एसआईए /सीसी /एनआईए /41323 /2019 दिनांक 31/03/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटिपूर्ण होने से त्वाभन दिनांक 25/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचित जानकारी दिनांक 18/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कृष पत्थर (गीम खनिज) खदान है। खदान दाम-सोखती, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव जिला क्षेत्र क्रमांक 28/3, 27 एवं 29, कूट क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित कुलजन्य क्षमता-2.285 टन प्रतिवर्ष है।

बैचक का विवरण –

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. यदि खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई तो तो पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियमित शर्तों के अन्तर्गत में की गई सर्वसम्मति की जानकारी कोर्टोबाक्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यापत निष्पत्ति की जानकारी कोर्टोबाक्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्ण में संघालित है, तो विमर्श पूर्ण में किए गए कुलजन्य की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सीज बीक की स्पष्ट/मासिक प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. मासिक सारसंग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नकारात्मक नई दिल्ली के सी.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

क. परिचोजना प्रस्तावक को इच्छोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रदान कीये/पाए) के साथ जगामी ग्राह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिचोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

36. मेसर्स सुजाता मिनरल्स रामपुर हाईन स्टोन क्वारी (प्रो- बीनटी सुजाता उद्योग), ग्राम-रामपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसी क्रमांक 1083)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एनआईए /सीजी /एमआईएन / 133031/2019 दिनांक 28/12/2019। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से आपन दिनांक 09/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा त्रुटिपूर्व जानकारी दिनांक 18/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रामपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव विभाग कक्षाक क्रमांक 100/1 एवं 101 कुल क्षेत्रफल - 0.442 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन गणना - 2,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की वसती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की सलाहिल ग्राह की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तिया क्ये कर प्रस्तुत की जाए।
2. विस्तृत सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार अधीनस्थ वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ओ एन दिनांक 01/05/2019 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रत्येक प्रस्तुत किया जाए।
4. परिचोजना प्रस्तावक को इच्छोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रदान कीये/पाए) के साथ जगामी ग्राह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिचोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

37. मेसर्स सिवा मिनरल्स काला इस्टोन हाईन (प्रो- बीनटी कुसुम्बेन प्रधहा), ग्राम-कामा, तहसील-धुरिया, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसी क्रमांक 1083बी)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एनआईए /सीजी /एमआईएन / 42396/2019 दिनांक 28/12/2019। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से आपन दिनांक 14/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अधिक जानकारी विनांक 18/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित आर्सेन (सींग खनिज) खदान है। खदान काम-असल, पारसी-सुरिया, जिला-राजनामगाव जिला कसरा जम्मांक 82, 84 एवं 85, कुल क्षेत्रफल — 4,587 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 20,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 309वीं बैठक विनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की पारंपरिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. मातृ संस्थाएं, एम्प्लॉय वन और जनजात परिवर्तन मंडल, नई दिल्ली से ओ.एन. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परिशोधन प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिशोधन प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

38. मेराई सुमरागाव जिला अर्ब अररी एम्ब जिला विन्गी मातृ (पी- बी परंजव 'आरसकाल), काम-सुमरागाव, एरसील व जिला-सुरजपुर (सिद्धिकाल व नसरी जम्मांक 1138)

ऑनलाईन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्बर — एलआईए / सीडी / एमआईए / 137612/2018 दिनांक 18/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (सींग खनिज) खदान है। खदान काम-सुमरागाव, पारसील व जिला-सुरजपुर जिला कसरा जम्मांक 267, 369, 390 एवं 391, कुल क्षेत्रफल 1,338 हेक्टर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (सींग खनिज) क्षमता-2,234.29 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 309वीं बैठक विनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय जांच/रिपोर्ट की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के अंतर्गत से की गई जानकारी की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुमारीगाव की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उद्योगों की वार्षिक भाव की जानकारी वार्षिक विवरण से उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत की जाए।
3. जीव सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक गूँठे संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र (अवधान) प्रस्तुत किया जाए।
4. वार्षिक सर्वे रिपोर्ट (Annual Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अवधान कोटेशन) के साथ स्वामी याद की बैठक में प्रस्तुत/समस्त दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

39. मेरठ की दीपक कुमार गर्मा (जी-2, बड़े सुनेली रोड भाईन्, राम-बड़े सुनेली, एलसीए-सीएन, जिला-दोषाबा, राजस्थान, राजस्थान, भागलपुर, जिला-दुर्ग (समिन्धलप का नसी क्रमांक 1084)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - राजस्थान / सीसी / एमआईएम / 134033/2019, दिनांक 28/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से ज्ञात दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 19/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोला खनिज) है। यह खदान राम-बड़े सुनेली, एलसीए-सीएन, जिला-दोषाबा स्थित खाना क्रमांक 442, कुल क्षेत्र क्षेत्र 1.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान जिनकी नदी से किनारा प्रस्तावित है। खदान की आवेदित खदान क्रमांक-08500 सम्पत्ति प्रमाण है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श जांचक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पूरा एवं एम्बेड्ड एवं वन अमूर्ति स्कोर की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत खदान हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपभूतियाँ तथा आवेदनपत्र में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाना, परीक्षण में रेत सतह को लेवल्स (Levels) लेकर गिड रेत में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। जल लेवल्स (Levels) हेतु वन से कम 2 टेम्परी रेत मार्क (Controlled TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी रेत मार्क (TBM) में आर.एन. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उचित किये जायें। गिड रेत में टेम्परी रेत मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें उचित विभाग से उम्मीदवार उपरोक्त कोटेशन सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेल अख्यान हेतु प्रस्तावित स्थल पर पर्याप्त नैसर्गिक वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़दा (पूज) खोदकर जमीनी वास्तविक गड़दाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वार्षिक गड़दाई हेतु पर्याप्त नैसर्गिक वन क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाए।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से दूरी की लंबाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण विभाग, परिसर (एन.ई.आई.ए.ए.), जलवायु अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निदेशक अधिकारी (सी.ई.आई.ए.ए.), जलवायु द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में आवेदित पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित शर्तों के पालन में दी गई कार्यवाही की जानकारी फोटोवास्तु सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अवलोकन स्थिति की जानकारी फोटोवास्तु सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खनन पूर्व से समाप्त हो, तो विगत वर्षों में किए गए खनन की वार्षिक मापन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित तथा कत प्रस्तुत की जाए।
7. सीमा सीमा से निकटवर्ती वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनुरोध प्रमाण पत्र (अपडेट) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार पर्यावरण, वन और कृषि विभाग, परिसर नयाय, नई दिल्ली के और.एन. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खनन में रेल की संरक्षण (Lease) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आवेदित मापन की आवेदित डेटा में त्रुटिपूर्ण समझ सुझाव जानकारी / वार्षिक (अपडेट फोटोवास्तु) सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

40. मेसर्स श्री दीपक कुमार इन्फ्रा (जी-1, बड़े सुटेकी रोड नाईन, राम-बड़े सुटेकी, तहसील-गीदम, जिला-दोहाड), एन.ई.सी.एल., मन्दिनापुर, जिला-दुर्ग (संविधान का नमूना क्रमांक 1088)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - एन.ई.आई.ए. / सी.ई.आई.ए. / एन.ई.आई.ए. / 134062 / 2018, दिनांक 20/12/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में अनिर्दिष्ट होने से खनन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांगित जानकारी दिनांक 19/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खनन (लीन खनिज) है। यह खनन राम-बड़े सुटेकी, तहसील-गीदम, जिला-दोहाड स्थित खनन क्रमांक 200, कुल सीमा क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खनन खनिजी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खनन की आवेदित खनन भण्डा-85,500 टन/मीटर प्रतिवर्ष है।

डेटा का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

संश्लेषित द्वारा प्रकरण की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श परंपरा कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्मित किया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकलता पृथ, चक्र, एनीकर एवं जल आपूर्ति नली की दूरी वास्तु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सेट आउटलिन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 विन्दुओं का डिग इन्फरर सर्वेक्षण से सेट आउट लेवलिंग (Levels) लेकर डिग रेग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलिंग (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में डार एन्ड को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। डिग रेग में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें क्षमिज विभाग से प्रस्तावीकरण परंपरा फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. सेट आउटलिन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध सेट की सीटार्ड जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, क्षमिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। सेट की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित स्थल क्षेत्र की सीटार्ड एवं सीटार्ड तथा गरी से पट की सीटार्ड की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में अधिदित स्थल पर काम हेतु राज्य सरकार पर्यवेक्षण समाजित निर्धारण प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) भारतीयगड्ढा अथवा जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समाजित निर्धारण प्रधिकरण (पी.ई.आई.ए.ए.) पर्यवेक्षण द्वारा पर्यावरणीय सीटार्डि टी नई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीटार्डि की प्रति एवं अधिनेपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। काम की कुसरोपण की अद्यतन विधि की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि अद्यतन पूर्व से संश्लेषित है, तो विगत वर्षों में किये गए अद्यतन की वास्तविक मात्र की जानकारी क्षमिज विभाग से प्रमाणित बना कर प्रस्तुत की जाए।
7. सीटार्ड क्षेत्र से निकलता पृथ क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु काम विभाग से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र (अथवा) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यवेक्षण एवं और अद्यतन पर्यवेक्षण समाजित, नई दिल्ली की कोरप्रे विनंश 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. क्षमि निर्देशक एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक को अद्यतन में सेट लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी मस की अधिदित क्षेत्र में उपरोक्त समाजित कुसरोपण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिठे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

क्षमि निर्देशक एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक को उपरोक्त सूचित किया जाए।

41. मेसर्स अर्जुनी फ्लेम स्टोन (प्री- सी इरिथर साहु), काम-अर्जुनी, तहसील-डीगराघ, जिला-राजसमंदरा (सविद्यालय का नक्शे क्रमांक 1017)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एएआईए / सीजी / एएआईएन / 43804/2018, दिनांक 13/11/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियाँ होने से ज्ञात दिनांक 30/11/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारी दिनांक 21/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित हूट वायर (पीएम खनिज) खदान है। खदान काम-अर्जुनी, तहसील-डीगराघ, जिला-राजसमंदरा स्थित खसरा क्रमांक 384/1 एम 385/3, कुल क्षेत्रफल - 0.889 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित जलयत्न क्षमता - 18,818.75 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. विचार कर्मी से किए गए उल्लंघन की काराधिक माध्य की जानकारी कथित विभाग से प्राप्त कर कर प्रस्तुत की जाए।
2. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/06/2018 की अनुसार सी.ई.आर. (Compliance Environmental Requirements) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त नक्की पूर्ण जानकारी / संचालित (खदान जोटनायक) से लाभ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण विधि जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

42. मेसर्स सुन्दरपुर सिपस अर्थ क्वारी (प्री- सी दिनेश कुमार सुधा), काम-सुन्दरपुर, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (सविद्यालय का नक्की क्रमांक 1540)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एएआईए / सीजी / एएआईएन / 137928/2020, दिनांक 21/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (पीएम खनिज) खदान है। खदान काम-सुन्दरपुर, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 249, 251 एवं 252/3, कुल क्षेत्रफल 0.888 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (पीएम खनिज) क्षमता-1.070 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. यदि अद्यतन पूर्व ही संचालित है, तो विगत वर्ष में किम् नए उद्योगों की सांख्यिक माह की योजनाएँ उचित विभाग से संचालित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. लीज बीमा से निकटवर्ती वन क्षेत्र की सांख्यिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जहाँ जमावर्तित प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के जो एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार गैर-आय (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोडॉक्यूमेंट) के साथ आगामी बजट की बैठक में प्रस्तुतिकाय दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

43. वेसर्स महावीर कोल वीसरीज प्राइवेट लिमिटेड, धान-कन्हाईबंद, तहसील व जिला-जालंधीर-बांधा (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1542)

ऑनलाईन आवेदन - प्रमाणिक नम्बर - एचआईए/ टीडी/ सीएनआईए/ 2020/ 2020, दिनांक 22/11/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा धान-कन्हाईबंद, तहसील व जिला-जालंधीर-बांधा स्थित खण्ड क्रमांक 58/1 क्षेत्रफल 6.98 हेक्टेयर (17.28 एकड़) में खोल खोली क्रमांक-2.98 मिलियन लव प्रॉडक्ट्स की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की प्रस्तावित लागत 25 करोड़ है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 30वाँ बैठक दिनांक 04/02/2020।

समिति द्वारा उद्योग की समीक्षा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण मिलते उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. अन्य वैकल्पिक सारों के अवन के साथ कोल वीसरी खण्ड हेतु प्रस्तावित खण्ड को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से अद्यतन विवेक जाने की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सर्वेक्षण से स्थापित इलाहबादे (एच। सी। टी।) हेतु खनीजगठ मखेवरण संरक्षण संकेत द्वारा जारी सम्मति सारों के बालन्दा की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. सुनिश्चित संबंधी प्रस्तावक प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तावक द्वारा विवरण व्यक्तकर्ता एवं वेग बाहर इन्वीस्टमेंट व्यवस्थाओं का विवरण (निर्भर एवं स्वतंत्र सारित) प्रस्तुत की जाए।
5. दृष्टि जल हेतु प्रस्तावित उपचार मासिक का पूर्ण विवरण, सम्मति सुचित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।

6. प्रायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पब्लिसिटी बिल्डिंग जलवायुन व्यवस्था, सी-बीएल, वायुमय बीएल, रिजिस्ट्रार बीएल की परिषदोंन कए एए परिषदोंन व्यवस्था (निकल / वेत नानी) का विवरण प्रस्तुत की जाए।
7. बीएल अर्थात् (रिजिस्ट्रार बीएल एवं बीएल एएए) की निष्पत्तन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. प्रस्तावित कएट सञ्चालन के कएटों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. जे-आयए नै प्रस्तावित कृषकालन को दारोते दूरे कृषकालन की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। कृषकालन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
10. सेंट्रल वायुमय बीएल अर्थात् (रिजिस्ट्रार बीएल एवं बीएल एएए) अनुसार परिषदोंनक सञ्चालन केने किटिकल अथवा किटिकल अथवा सेंक बीएल की अर्थात् आने कएक जानकारी प्रस्तुत की जाए। प्रस्तावित कएट सञ्चालन करने हेतु सेंट्रल वायुमय बीएल अर्थात् (रिजिस्ट्रार बीएल एवं बीएल एएए) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
11. प्रस्तावित कएट, कएट, एए और जलवायु परिवर्तन सञ्चालन, नई विधायी के बीएल दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
12. परिषदोंनक प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्ताव, बीएल-आयए) के साथ आगामी सत्र की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिषदोंनक प्रस्तावक को उपरोक्त सूचित किया जाए।

44. **कैलाश की चंदकांत बाहू (कुल्लानीकोट रोड नईन, धाम-कुल्लानीकोट, लहसील-मण्डलीक, जिला-धमतरी), किसान पंसा, गीबल नवाकर, सभिन, जिला-नरियांबंद (सर्विवालय का नसीली अर्थात् 1143)**

अर्जादाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एएआयए / सीबी / एएआयए / 128088 / 2020, दिनांक 23/01/2020

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेत कएट (सीन सभिन) है। यह कएट धाम-कुल्लानीकोट, लहसील-मण्डलीक, जिला-धमतरी स्थित सञ्चालन अर्थात् 718, कुल सीन क्षेत्र 4.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। सञ्चालन वेत नसीली के किण्व जाना प्रस्तावित है। कएट की आवेदित सञ्चालन अर्थात्-89,000 घनमीटर प्रतिघर है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसीली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण किनारी चपराट सर्वसाभ्यती के निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित कएट में निम्नलिखित कुल, कएट, एएआयए एवं जल आपूर्ति स्वीकृति की पूर्ण सभिन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत सञ्चालन हेतु प्रस्तावित कएट एवं प्रस्तावित सञ्चालन की अर्जादाईन ऊंचा अर्थात्-सीन में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 किन्तु की का डिंक सञ्चालन

वर्तमान में रेल सतह की लेवलिंग (Levels) लेवल विंड मेच में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उम्मा लेवलिंग (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्देशित किये जायें। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में ऊपर-एक, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। विंड मेच में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से उपरोक्त/उपरोक्त संश्लेषित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेल प्रत्यक्ष हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपरोक्त रेल की मोटाई जमाने की किण्व प्रति हेल्डिंग में कम से कम एक सड़क (एच) मोड़कर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाय। रेल की वास्तविक मोटाई हेतु बरन्दा भी प्रस्तुत किया जाय।
4. प्रस्तावित स्थल क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा गडो की पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाय।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर स्थान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाध्य निर्धारण प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीक्षा अवकाश किला स्वीकृत पर्यावरण सभाध्य निर्धारण प्रक्रिया (सी.ई.आई.ए.ए.) प्रतीक्षा द्वारा पर्यावरणीय स्थिति टी गडो की, टी पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिति की प्रति एवं अधिनियमित जारी के प्रमाण में की गडो कार्यवाही की जानकारी प्रतीक्षा संश्लेषित प्रस्तुत की जाय। साथ ही व्यापक की अवकाश स्थिति की जानकारी कोटा/प्रमाण संश्लेषित प्रस्तुत की जाय।
6. यदि अद्यतन पूर्व से संश्लेषित है, तो विगत वर्षों में किण्व गडु अवकाश की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत की जाय।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाय।
8. खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को अद्यतन में रेल की लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ जानकारी साथ की आवेदित डेटा में उपरोक्त सभ्यता सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटा/प्रमाण) संश्लेषित प्रस्तुतिकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

खनि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को तत्कालता सुनिश्चित किया जाय।

45. मेसर्स जालीखुटा जर्जिन स्टीम प्वालि (प्री- श्री हेमंत पीठरी), डाम-जालीखुटा, ताहरील-बीगलगांव, जिला-राजसंघना (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 999)

ऑनलाइन आवेदन - प्रमाणित नंबर - एचआईए / सीडी / एमआईए / 44000/2018, दिनांक 30/10/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमिटी होने के कारण दिनांक 21/11/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। 4- राज्य प्रस्तावक द्वारा अधिकतम जानकारी दिनांक 20/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रमाण का विवरण - यह पूर्व से संश्लेषित पूरा जमान (प्रीम अग्निज) अद्यतन है। अद्यतन डाम-जालीखुटा, ताहरील व जिला-राजसंघना स्थित अद्यतन क्रमांक

333/2A एवं 334/2A, कुल क्षेत्रफल - 8.483 हेक्टर में है। खदान की आवेदित क्षमता - 4,000 टन प्रतिदिन है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा खदान की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय शोषण की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोबाल्ड सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशलतापूर्वक की खदान स्थिति की जानकारी फोटोबाल्ड सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्ष में किए गए खदान की ताकदविक साध की जानकारी अधिलेख विभाग से प्रत्येकित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट नई रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. साथ साथसाथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु खदान प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोबाल्ड) के साथ अगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण विधि करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तामानुसार सूचित किया जाए।

48. **बैठक अर्जुनी एलेग स्टोन काईन (जे- श्री अमर जैन), राम-अर्जुनी, तहसील-डोंगशांव, जिला-राजसंदेशाव (सचिवलय का नक्की अंक 997)**

अंमलाईन आवेदन - एलेग स्टोन काईन - एलआईए / सीसी / एनआईए / 42876/2017, दिनांक 01/11/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अंमलाईन आवेदन में कमिटी होने से खदान दिनांक 21/11/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिलेख जानकारी दिनांक 24/01/2020 को अंमलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - 02 इलाकहित एलेग स्टोन (सीन खनिज) खदान है। खदान राम-अर्जुनी, तहसील-डोंगशांव, जिला-राजसंदेशाव स्थित खदान अंक 128/2, 3, 4 एवं 129, कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित क्षमता - 1,600 टन प्रतिदिन है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा खदान की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. यदि खदान की पूर्व में पर्यावरणीय शोषण जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय शोषण की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही

की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए खदानों की मासिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रदानित करना एक प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के को.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ जगहों पर भी वेबसाइट में प्रासंगिकता दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सत-नुसार सुविधा किया जाए।

47. मेसर्स श्री राकेश कुमार साहू (नगर पंचायत सुकना रोड नई, सुकना, खड़कीत व जिला-सुकमा), जहाँ नाम, जैन चौक, पथारपुर, जिला-दुर्ग (सर्विहालय का नसीब क्रमांक 1144)

ऑनसाईन आवेदन - प्रयोजन क्रमांक - एचआईए / सीपी / एमआईएन / 12553 / 2020, दिनांक 29/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोम खनिज) है। यह खदान सुकना, खड़कीत व जिला-सुकमा स्थित नई नगर कला क्रमांक 125- कुल क्षेत्र क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शक्ती नदी से किया जमा प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन प्रस्ताव-83,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. राम पंचायत द्वारा जहाँ अनापति प्रमाण पत्र (आयवाही बैचक सहित) की स्वयं/पानीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सुकमा द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की पानीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान से 250 मीटर की दूरी से नदिर, नाला, जलवायु स्थल, यदि प्रतीक्षित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाधक जानकारी की पानीय प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुन, बांध, एनिकाट एवं जल आपूर्ति नली की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अरस्टीय तथा जलमस्तीय से 100 मीटर की दूरी पर भी हेक्टेयर 4 विन्धुओं का विश्व क्लॉवर

पर्याप्त में वेब साइट की संरचना (Levels) लेकर वेब पेज में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। उक्त संरचना (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट वेब मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेट वेब मार्क (TBM) में कोऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) शामिल किये जायें। वेब पेज में टेम्पलेट वेब मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें समित्त विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त पोर्टोफोलो सहित जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किये जायें।

3. वेब प्रदर्शन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध वेब की पीछाई जानने के लिए प्रति डेवेलपर में कम से कम एक गजडा (Pb) खोजकर उसकी वास्तविक गजडाई का मापन कर समित्त विभाग से प्रामाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेब की वास्तविक गजडाई हेतु पर्याप्तता भी प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित खानन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्ण में आवेदित स्थल पर खानन हेतु राज्य सरकार अधीनस्थ समाप्त निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीकगत अथवा जिला स्तरीय प्राधिकरण समाप्त निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) प्रतीकगत द्वारा पर्यावरणीय सर्वेक्षण भी हुई हो, तो पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षण की प्रति एवं आवेदित जमीन के घातन में की गई कार्यवाही की जानकारी पोर्टोफोलो सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षापेक्षा की अद्यतन स्थिति की जानकारी पोर्टोफोलो सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्ण से संबंधित है, तो जिला जमीन में किए गए खदान की वास्तविक मापन की जानकारी समित्त विभाग से प्रामाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीक सीमा से निकटतम उन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु जमीन विभाग से जारी अभामति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किये जाए।
8. भारत सरकार अधीनस्थ, उन और प्रस्तावक परिचालन संस्थान, गई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाए।
9. समित्त निर्देशक एवं पर्यावरण प्रस्तावक को खदान में वेब की संरचना (Levels) देने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ अपनी माह की आवेदित वेब पेज में उपरोक्त समाप्त सुरक्षित जानकारी / प्रस्तावक (अद्यतन पोर्टोफोलो) सहित प्रामाणिकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समित्त निर्देशक एवं पर्यावरण प्रस्तावक को कठानुसार सुमित्त किया जाए।

48. मेसर्स श्री सुलेख दुबे (सी-1, हरदी सेफ्ट माईन्स, धाम-हरदी, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-नाटापारा), धाम-बिटाभीपानी, तहसील-बबना, जिला-नाटारगुड (राजिस्ट्रार का नक्सा क्रमांक 1146)

डीनआईन आवेदन - प्रस्तावक नंबर - एसआईए / सीजी / एम्आईएन / 130844/2020, दिनांक 28/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेब खदान (लीक खनिज) है। यह खदान धाम-हरदी, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-नाटापारा जिला खनन क्रमांक 1425, कूल लीक क्षेत्र 4.587 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रदर्शन महापदी से

विद्यमान प्रस्तावित है। वायुमय की अपेक्षित परतलन क्रमांक-87,489 परमैटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

एम्सु समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की गती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण विभिन्न उपरोक्त सर्वोच्चमिति से विन्यासुद्धर निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित स्थल से निकलना पुन, बांध, एरीकट एवं जल संचयनी कक्षा की दूरी समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल जलचक्रन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से अन्तर्देशीय तथा बाह्यदेशीय में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टर पर 4 दिग्दर्शकों का डिजाइन कराकर, वर्तमान में रेल स्टाफ को लेवलर Levels लेकर डिजाइन में परीक्षण कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलर Levels हेतु कम से कम 3 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आय.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। डिजाइन में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) की भी उपायकर, उन्हें अंकित विभाग से प्रमाणिकता प्रदर्शित कोटेशनस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. रेल जलचक्रन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपस्थित रेल की गोटार्ड जगहों के लिए, प्रति हेक्टर पर कम से कम एक गोटार्ड (गुट) खोदकर उसकी कार्यात्मक गहराई का मापन कर, अंकित विभाग से प्रमाणिकता जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की कार्यात्मक गहराई हेतु योजनाओं की प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित स्थल क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के जल की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्ण में अपेक्षित स्थल पर वायुमय हेतु कक्षा एवं पर्यावरण प्रभावगत निर्धारण प्रतिक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण प्रभाव गिला राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभावगत निर्धारण प्रतिक्रिया (पी.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण प्रभाव गिला राष्ट्रीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्ण में उक्त पर्यावरण स्वीकृति की प्रति एवं अपेक्षित रजिस्ट्रार के पास में की गई अपेक्षाओं की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रमाणिकता की अपेक्षाओं की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि वायुमय पूर्ण से सम्बन्धित हो, तो विभाग पूर्ण में डिजाइन एवं जलचक्रन की कार्यात्मक गहराई की जानकारी अंकित विभाग से प्रमाणिकता कक्षा कम प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल संचयन पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल संचयन पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
9. यदि निर्धारण एवं पर्यावरण प्रभावगत को वायुमय में रेल को लेवलर (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जानकारी प्राप्त की अपेक्षित बैठक में

अपरोक्ष समस्त सुसंगत जानकारी / वस्तुवैज (अथवा फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुत/कलम दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सभी निर्देशक एवं परिकल्पना समन्वयक को उपरानुसार सूचित किया जाए।

48. नेहरू की मुहैया दुबे (सी-2, हररी रोड हाईवे, ग्राम-हररी, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-भावापार), ग्राम-डिटांगीपासी, तहसील-बसना, जिला-महासमुद्र (एडिवालय का नक्शे क्रमांक 1147)

ऑनलाईन आवेदन - एप्लोड नम्बर - एचआईए /सीजी /एचआईएन / 138975/2020, दिनांक 28/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (लीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-हररी, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-महासमुद्र स्थित समस्त क्रमांक 1438, कुल लीन क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदानन खानदी में किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित खदानन क्षमता-1,21,418 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की नक्शे एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसूची के गिन्गानुसार निर्यय किया गया-

1. प्रस्तावित खान में निकटतम कुल, बांध, एनकॉट एवं जल आवृत्ति स्रोत की पूर्ण समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल खदानन हेतु प्रस्तावित समस्त एवं प्रस्तावित समस्त को खानदीन तथा खानदीन में 105 मीटर की दूरी का प्रति हेक्टेयर 4 किन्टुआ का विद्युत संचालन कार्ययान में रेल लाइन को लेवलिंग Levels) लेकर विद्युत मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। प्रत्येक लेवलिंग Levels हेतु कम से कम 2 टैम्परी वेथ मार्क (Concreted IBS structure) निर्धारित किये जाये। टैम्परी वेथ मार्क (TBM) में आयतन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। विद्युत मैप में टैम्परी वेथ मार्क (TBM) को भी दर्शाकर सभी खनिज विभाग से प्रणालीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/वस्तुवैज प्रस्तुत किये जाये।
3. रेल खदानन हेतु प्रस्तावित समस्त पर खानदीन में उपरोक्त रेल की सीटों खानदीन को लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मटर (मि) खोदकर समस्त वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गहराई हेतु पर्यवेक्ष भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खानन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित समस्त पर खानन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सम्पदात निर्धारण प्राधिकरण (एचईआईए.ए), उत्तरीरमण्ड अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पदात निर्धारण प्राधिकरण (सीईआईए.ए), उत्तरीरमण्ड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोधित सभी को मापन

में की गई सर्वेदाही की जानकारी कोटेशनम्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृत्तांतिका की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशनम्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संघारित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अतिरिक्त विवरण से प्रस्तुत बना कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार पी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
7. सभी निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में लेा के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अगामी चंद्र की अर्थात् रिक्त क्षेत्र में एम्बेडेड समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशनम्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सभी निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

50. मेसर्स इन्डियन ट्रेड लिमिटेड, राम-रामबोड, तारसील-पधरिया, जिला-बुंगेली (सचिवालय की पत्ती क्रमांक 778)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में उपरोक्त नम्बर - एसआईए/ सीसी/ आईएमसी/ 32029/ 2018 दिनांक 27/02/2018 द्वारा पी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। परीक्षण में उपरोक्त नम्बर - एसआईए/ सीसी/ आईएमसी/ 50201/ 2018 दिनांक 28/01/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावित कार्यक्षेत्र की सतह राम-रामबोड, तारसील-पधरिया, जिला-बुंगेली जिला जमरा क्रमांक 525/अपी, 502/3 एवं 503/3 कुल क्षेत्रफल - 11.542 हेक्टेयर में बीआरआई जिला (संगत आयतन इन्वॉल्यू) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 88,000 टन प्रतिवर्ष, कन्स्यूएबल, सी. अर्थात् रिक्त क्षेत्र फ्लॉट क्षमता - 2.8 मेगावॉट से 8 मेगावॉट, एम्बेडेड अर्थात् रिक्त क्षेत्र फ्लॉट क्षमता - 4.8 मेगावॉट से 8 मेगावॉट, होट वायरिंग क्षेत्र फ्लॉट (शुद्ध प्रवृत्तान कर्नेल एवं रीतिंग मिल) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से 80,000 टन प्रतिवर्ष, कोल मैनीफैक्चर (ग्रेड्युएस मिल) क्षमता - 1,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा से 4,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा, प्रस्तावित न्यू वायर हाइड्रिंग मिल 80,000 टन प्रतिवर्ष, हाइड्रिंग वायर मिल 30,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्षेत्र हेतु परियोजना का विधिवत रूप 48 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी. प्रतीकम्पन की द्वारा दिनांक 06/08/2018 द्वारा प्रकल्प पी-1 मेंटोन्टी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पीएर ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट की पर्यावरण/एम्प्टीरिटीय निरूपणित इन्फार्मेटिव क्वीरिऑस अम्बेड ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2009 में वर्णित सभी एंटी क्वीरिऑस वायर

प्रस्ताव एवं कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यक (कैरल एवं नॉन-कैरल) का सौंपकर
टीएचएम (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की नतीजा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श
जारात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कॉम्प्लेक्स में स्थापित इकाईयों हेतु जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण क़ानून द्वारा जारी
सम्मति शर्तों के तालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की
जाए।
2. जारी किये गये शर्तों और कंडीशंस का तालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में
सहायक एवं सुदृढी के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना
प्रस्तुत की जाए।
3. माला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की ओर
एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment
Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परिशिष्टित प्रस्तावक को कंडीशंस समाप्त पूर्ण जानकारी / पर्यावरण (अद्यतन
पोर्टोफोल्डो) के साथ ज़रूरी रूप की बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु
निर्दिष्ट किया जाए।

परिशिष्टित प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

51. कैरल की सुवेस डूबे (प्रमलवीहा सोम्ब मईन, राम-अमलवीहा,
राहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-माडगाओ, राज-बिटांगीपाटी,
राहसील-बसगा, जिला-महासमुद्र (सुविद्यालय का नतीजा इनांक 1148)

ऑनलाईन आवेदन - प्रवेसक नम्बर - एरमाईए / सीबी / एम्पाईएल /
128879/2020, दिनांक 28/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (लीग सहित) है। यह खदान
राम-अमलवीहा, राहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-माडगाओ जिला पार
और खदान जमांक 223, कुल लीग क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उल्लेखित
महानदी से निकल जल प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उल्लेखित समाप्त-80,000
क्यूमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020।

समिति द्वारा प्रकरण की नतीजा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श
जारात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खदान में निकल जल, राम, एनीकट एवं जल जम्पुटी स्तरीय की दूरी
बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उल्लेखित हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के अन्तर्गत तथा
कन्वन्शन्स में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का रिड कन्वन्स,

अंशगत में डेल साइट की लेवल्स (Levels) विवर रिपोर्ट में दर्शाया जान प्रस्तुत किया जाये। बाका लेवल्स (Levels) हेतु काम से काम 2 टेम्पलेरी वेब माडल (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेरी वेब माडल (TBM) में अलएल, को-ऑरिनेटस (Co-ordinates) उचित किया जाये। रिपोर्ट में टेम्पलेरी वेब माडल (TBM) की भी दर्शाकर उन्हें उचित विभाग से प्रमाणित/अनुमोदित/सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।

2. जो उपरोक्त हेतु प्रस्तावित खड्ड पर पॉन्चन में उपलब्ध डेट की खोज/अन्वेषण के लिए उचित इंस्ट्रुमेंट में काम से काम एक गड्डा (GAD) खोदकर प्रस्तावित प्रस्तावित खड्डों का मापन कर उचित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। डेट की आवश्यक गड्डा/हेतु संयोजन में प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खड्ड डेट की खोज/अन्वेषण के लिए खड्डों के पास की खोज/अन्वेषण की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में उचित स्थान पर खड्ड हेतु खड्ड का प्रस्तावित अनुमान निर्धारित प्रमाणित (एनईआईए) भारतीय अथवा विगत राष्ट्रीय प्रमाणित अनुमान निर्धारित प्रमाणित (ईईआईए) भारतीय अथवा प्रमाणित स्वीकृति की गई हो तो पूर्व में जारी प्रमाणित स्वीकृति की प्रति एवं उचित विभाग से प्राप्त में की गई जानकारी की जानकारी खोदकर/अनुमोदित/सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रमाणित की उचित स्थिति की जानकारी खोदकर/अनुमोदित/सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खड्ड पूर्व से संबंधित है तो विगत वर्षों में किए गए खड्डन की प्रमाणित मापन की जानकारी उचित विभाग से प्रमाणित बना कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के एनईएम, दिनांक 01/05/2012 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाणित प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
9. यदि निर्देशक एवं परिभाषित प्रस्तावक जो खड्डन में डेट के लेवल्स (Levels) देने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अपनी मापन की उचित विभाग से प्रमाणित/अनुमोदित/सहित जानकारी/दस्तावेज (अनुमान खोदकर/अनुमोदित/सहित) प्रमाणित/अनुमोदित/सहित किया जाये।

अनि निर्देशक एवं परिभाषित प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

52. केसरल भी कन्हा कुमार (विमानुड संघ माईन, ग्राम-विमानुड, तहसील-कसाडोल, जिला-बल्लार-मारापार), बल्लार, तहसील- विमानुड, जिला-बल्लार (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1151)

ऑनलाईन आवेदन - प्रमाणित नम्बर - एनआईए / सीई / एनआईए / 138/18/2020, दिनांक 28/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डेट खड्डन (पीप उचित) है। यह खड्डन ग्राम-विमानुड, तहसील-कसाडोल, जिला-बल्लार-मारापार स्थित गाँव अंत

खण्ड क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपखनन गडानगी में किया जाना प्रस्तावित है। खण्डन की अपेक्षित खननन क्षमता-1,24,950 टन/वीर प्रतिवर्ष है।

शेडक का विवरण -

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2023

समिति द्वारा उपखनन की मस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विवरण निर्धारण अगला सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्योन्मुख सर्वेक्टर (खनिज खण्ड) जिला-कानीयाबाजार-भाटाखण्ड द्वारा आवेदित खण्डन से 500 मीटर के भीतर अपरिचित अन्य खण्डों संबंधी खननकारी की वस्तुओं प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्योन्मुख सर्वेक्टर (खनिज खण्ड) द्वारा प्रस्तुत खण्डन के 200 मीटर की परिधि में भूदिए, मलबे, अमगार, मल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी की वस्तुओं प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित खण्डन से निकलता कुल, गंध, पानीकाट एवं जल आधुनिक रसोई की पूरी कार्य जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. वेत उपखनन हेतु प्रस्तावित खण्डन एवं प्रस्तावित खण्डन के उपखनन तथा खण्डन-मस्ती में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का विश्व अन्वेषण, वर्गीकरण से वेत खण्डन के लेवेल (Levels) लेवेल विश्व वेत में उपरिचित कर प्रस्तुत किया जाये। उपरि लेवेल (Levels) हेतु कम से कम 3 टैम्परी वेत मार्ग (Controlled TBM structure) निर्धारित किया जाये। टैम्परी वेत मार्ग (TBM) में आयतन, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। विश्व वेत में टैम्परी वेत मार्ग (TBM) की भी वर्गीकरण, वन-खनिज विभाग से उपखनन-खण्डन संबंधी फोटोग्राफ सहित जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
4. वेत उपखनन हेतु प्रस्तावित खण्डन पर वर्गीकरण में उपखनन वेत की सीमाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गडगा (गड) खण्डन इसकी मानकीकृत गडगाई का मापन एवं खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की मानकीकृत गडगाई हेतु संबंधी भी प्रस्तुत किया जाये।
5. प्रस्तावित खण्डन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. यदि पूर्व में आवेदित खण्डन पर खण्डन हेतु खण्डन खण्डन पर्याप्त समाधान निर्धारण पर्याप्तता (ए.आई.आई.ए.ए.) कालीगण्ड तथा जिला अखण्ड पर्याप्तता समाधान निर्धारण पर्याप्तता (सी.ई.आई.ए.ए.) कालीगण्ड द्वारा पर्याप्तता स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्याप्तता स्वीकृति की प्रति एवं अपरिचित मार्ग के खण्डन में की गई खण्डन की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्याप्तता की खण्डन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खण्डन पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए खण्डन की आवेदित खण्डन की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर कर प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एन. दिनांक 01/02/2018 के अनुसार ग्री.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. छानि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान से रेल के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की सहायता से गहरी गड्ढा की व्यवस्था बैठक में उपरोक्त समस्त सुझावों को ध्यान में रखकर (अर्थात् खोदवायव्य) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

छानि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को उपर्युक्त सुचित किया जाए।

- 5.1. मेराली की खानवास महंत (मोहान रोड माईन, राम-मोहान, तहसील-पलारी, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा), सिवाजी नगर, खोदवादी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नसीब इन्फोक 1149)

ऑनलाईन आवेदन - एप्लीकेशन नम्बर - एचआरईए / सीसी / एमआईएन / 138338/2020, दिनांक 28/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (लीन खनिज) है। यह खदान राम-मोहान, तहसील-पलारी, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा जिले पट्टे की संख्या 283, कुल लीज क्षेत्र 49 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। इस खदान स्थानों से निकल जाने प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 82,000 मन्मीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की माली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श जांचाई सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्यालय बल्लेवादी (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा द्वारा आवेदित खदान से 300 मीटर की गहराई पर अधिकांश अन्य सख्तों संबंधी जानकारी को सटीक तरीके प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय बल्लेवादी (खनिज सख्त) द्वारा उक्त खदान से 200 मीटर की परिसर में नदी, नहर, अस्पताल, स्कूल, आदि अवस्थित क्षेत्र निर्मित होने कारण न होने बाबत जानकारी को सटीक प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटवर्ती पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति स्कीम की पूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से आसटीन तथा सातनास्टीन में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 सिन्धुओं का ग्रीड रखकर, परिसर में रेल साइड के लेवलस (Levels) लेकर ग्रीड को प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आरएन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) प्रदर्शित किये जायें। ग्रीड रेल से टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रस्तुतीकरण समस्त खोदवायव्य सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

(Handwritten signature)

4. वेतन वारंवारता हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्गानुक्रम में उपलब्ध वेतन की शीटवाई प्रकल्पने की लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मद्युदा (अंश) खोदकर उसकी वास्तविक वास्तुई का मापन कर खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेतन की वास्तविक वस्तुई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
 5. एल.जे.आई. सर्वेही वस्तुवैज प्रस्तुत किया जाए।
 6. प्रस्तावित खानन क्षेत्र की शीटवाई एवं शीटवाई तथा नदी के घाट की शीटवाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 7. यदि पूर्व में अधिदित स्थान पर खानन हेतु राज्य स्तर पर पर्यावरण सम्पत्ताक निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीप्रदेश अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पत्ताक निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरीप्रदेश द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिदित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्रामा सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य ही कुशलताक की अधिदित शर्तों की जानकारी फोटोप्रामा सहित प्रस्तुत की जाए।
 8. यदि खानन पूर्व से अधिदित है, तो विगत वर्ष में किए गए खननन की वास्तविक माक की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर कर प्रस्तुत की जाए।
 9. मन्दा सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली के को.एन. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 10. खनि निरीक्षक एवं परिसीजन्य अन्तःक्षक को खदान में वेतन की लेवलता (Level) लेने वाले सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ जागरी माक की अधिदित डेटाक में उपरोक्ता मन्दा कुशलताक जानकारी / वस्तुवैज (अधिदित फोटोप्रामा) सहित अन्तःक्षकरण दिने जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।
- खनि निरीक्षक एवं परिसीजन्य अन्तःक्षक को तदानुसार सुचित किया जाए।

84. मेसर्स श्री गुजरात गोमल (पहंदा लेखक शीट, धाम-पहंदा, पहरीत-कसडीत, जिला-बलीदाबादा-भाटापारा), मन्डू लोक, टिकन्दाकर, जिला-बिलाचपुर (सविधानन का नसती अन्तःक्षक 1100)

खीनलाईन अधिदितन - प्रसीजनन नम्बर - एस.आई.ए. / सी.ई. / ए.आई.ए. / 1204-10 / 2020, दिनांक 28 / 01 / 2020।

अन्तःक्षक का विवरण - यह अधिदित वेतन खदान (लोक खनिज) है। यह खदान धाम-पहंदा, पहरीत-कसडीत, जिला-बलीदाबादा-भाटापारा स्थित घाट जीक खनन अन्तःक्षक 01, कुल लोक क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में अधिदित है। खननन महासदी से किया जाता अधिदित है। खदान की अधिदित खननन क्षमता-1,24,250 धनगीकर प्रतिवर्ष है।

वेतन का विवरण -

(अ) समिति की 2020 की वेतन दिनांक 04 / 02 / 2020

समिति द्वारा पर्यावरण की नसती एवं अन्तःक्षक जानकारी का अधिदित तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित स्तर से निकटतम पूर्ण, बंध, एकीकृत एवं जल अणुओं प्रयोग की दूरी सबसे जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. यह उत्तरनाम हेतु प्रस्तावित स्तर एवं प्रस्तावित स्तर के अन्तरहीन तथा आन्तरहीन में अद्य स्तर की दूरी पर, प्रति इन्स्टेयर 4 बिन्दुओं का चिह्न व्यवहार वर्तमान में यह स्तर की लेवलस (Levels) लेका चिह्न में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। प्रत्येक लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Controlled BIM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में डायरेक्ट, को-ऑर्डिनेटर (Co-ordinates) शामिल किये जाये। चिह्न में 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें समिज विभाग से प्रमाणीकरण प्राप्त कोटोप्राप्ति सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. यह उत्तरनाम हेतु प्रस्तावित स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध देश की योजनाएं बनाने की लिए, प्रति इन्स्टेयर में कम से कम एक सड़क (मि) सर्वेकर उसकी वास्तविक सड़क का स्थान कर, समिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। देश की वास्तविक सड़क हेतु योजना में प्रस्तुत किये जाये।
4. प्रस्तावित खण्ड क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के स्तर की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आंगणिक स्तर पर समान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण तथा प्राण निर्धारण परियोजना (एन.ई.आई.ए.), पर्यावरण अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण निरीक्षण परियोजना (सी.ई.आई.ए.), पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्थिति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिति की प्रति एवं अतिरिक्त स्तर के पत्रान में ही नई कार्यवाही की जानकारी कोटोप्राप्ति सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटोप्राप्ति सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि स्तरान पूर्व से संबंधित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्तरनाम की वास्तविक सजा की जानकारी समिज विभाग से प्रमाणित स्तर पर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किये जाये।
8. यदि निर्धारक एवं निर्माता प्रस्तावक को स्तरान में देश की लेवलस (Levels) को लेके सर्वेयर (Surveyor) से प्राप्त अगामी स्तर की अद्यतन स्तरान में पर्यावरण समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोप्राप्ति) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाये हेतु निर्दिष्ट किये जाये।

यदि निर्धारक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुनिश्चित किये जाये।

55. केसरी मुरादीया आर्किटेक्चर स्टोन क्वारी (प्री- श्री रामकरण सिंह), धाम-मुरादीया, तहसील व जिला-मुकमा (सविभाग का नशी क्रमांक 1152)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोग नम्बर - एन.आई.ए. / सी.ई. / एन.आई.ए. / 13053/2020, दिनांक 29/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित स्तरान पर्यटन (ग्रीन एरिज) स्तरान है। स्तरान धाम-मुरादीया तहसील व जिला-मुकमा किला जिला जिला क्रमांक 01/04/20) एवं 05

(मार्च), कुल क्षेत्रफल 0.62 हेक्टर में अस्थापित है। अद्यतन की आवेदित प्रस्तावना क्रमांक-7.378 एवं परिचय है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा अद्यतन की लसी चूट प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श जागतिक सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. यदि अद्यतन की चूट में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो उसके पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित जारी की जाने में की गई कार्यवाही की जानकारी भौतिकीकरण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृषि/पर्यावरण परीक्षण प्रति अद्यतन विधि की जानकारी भौतिकीकरण सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि अद्यतन चूट ही संश्लेषित है, तो विचार जारी में किए गए अद्यतन की कार्यात्मक भाग की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित प्राप्त एवं प्रस्तुत की जाए।
3. जीव सीमा से विद्यमान जन क्षेत्र की वार्षिक चूट संबंधी जानकारी हेतु जन विभाग से नए अनुसंधान प्रस्ताव पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. राज्य सरकार, पर्यावरण एवं और अजगुण परिधान संवर्धन, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार कॉर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) हेतु अद्यतन प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण संरक्षित चूट जानकारी / अद्यतन (अद्यतन भौतिकीकरण) की साथ जागतिक माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को अद्यतन प्रस्तुत किया जाए।

88. मेसर्स सी.ई. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, धाम-किला, ताहसील-तिलवा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नसी क्रमांक 1433)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - ए0.347/ सी.ई. / आईएनटी / 0402 / 2020, दिनांक 28/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा धाम-किला, ताहसील-तिलवा, जिला-रायपुर स्थित खाना क्रमांक 247/1, 247/2, 247/11, 247/12, 247/13, 247/14, 247/15 एवं 247/17, क्षेत्रफल 5.362 हेक्टर में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी (3 गुणा 20 एन) (एन.एन. किल्ला/सी.ई. इन्फ्रा) क्षमता-3.30,000 एन प्रतिघंटा एवं सी.ई. मिल (3 गुणा 325 एन प्रतिघंटा) (सी.ई.टी. सी.ई./सी.ई./सी.ई. एवं अन्य निर्यात प्रस्ताव) क्षमता-1.21,750 एन प्रतिघंटा तथा बोल मैशीनरीय क्षमता-3 गुणा 6,400 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। अस्थापित कार्यक्षमता हेतु परियोजना का निर्धारण वर्ष 31.5 करोड़ होगा।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की नसती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श करवाए सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. आंगण में स्थापित कुआड़ों (भदि हो लीं) हेतु जलतीरुणद पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति लवी के मालन में की गई कार्यवाही की विन्दुता जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आगटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. आंगण में स्थापित इन्डस्ट्रियल कर्नल की संख्या, क्षमता, इरामें प्रस्तावित प्रदूषण निरोधक व्यवस्था एवं प्रस्तावित विन्नी की कुआड़ संबंधी जानकारी मागल सहित। प्रस्तावित सेटिंग मिल में यदि से-ड्रीटिंग कर्नल की स्थापना किया जाए प्रस्तावित से से-ड्रीटिंग कर्नल की संख्या, क्षमता, ड्रिंग का प्रवाह एवं मात्रा, प्रदूषण ड्रिंग के आधार पर विन्नी की कुआड़ संख्या सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण निरोधक व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. सेन्ट्रल वाटरमंड वॉटर क्वॉलिटी द्वारा जारी राईडलाईन अनुसार परिशोधना स्थल सेगी क्लिटेकल अथवा क्लिटेकल अथवा सेध जोन के अंतर्गत जाने कायत जानकारी प्रस्तुत की जाए। वाटरमंड वॉटर क्वॉलिटी कल्पे हेतु सेटिंग कर्नल कटर क्वॉलिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. प्रस्तावित वाटरमंड वॉटर विमर्श व्यवस्थाओं एवं सेर कटर हावेरिंटिंग व्यवस्थाओं का विवरण (निसल एवं राईड सहित) प्रस्तुत की जाए।
6. मागत सखार पर्यावरण कल जीव प्रकल्प पर्यावरण परियोजना नई दिल्ली के आरेख दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परिशोधना प्रस्तावना की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्ताव फोटोकॉपी) के साथ आगली मंड की वेबसाई में उपलब्धकरना दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिशोधना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

37. मेसर्स इंडिया हाईवे एन्ड कंवेर एलएलपी, इन्डस्ट्रीयल क्षेत्र बरहोरी, ग्राम-बरहोरी, तहसील-विन्दा, जिला-रायपुर (समिवालय का नसती क्रमांक 1081ए)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एलआर/ सीसी/ आइएनडी/ 43155/ 2019, दिनांक 09/12/2019। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से कारण दिनांक 16/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी दिनांक 30/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकालाव के लक्षण ग्राम-बरहोरी, तहसील-विन्दा, जिला-रायपुर स्थित खण्ड क्रमांक 37 से 43 एवं 82 से 88, क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर में स्थापित काइड सीमेंट पैन्थ ग्रीन कंवेर फुटरी क्षमता-36,000 टन प्रतिवर्ष के परिवार के अंतर्गत प्रस्तावित न्यू काइड सीमेंट क्षमता-36,000 टन प्रतिवर्ष की कार्यवन्वीध शोक्ति हेतु आवेदन किया गया है। परिशोधना का विनिर्देश रूप 12 क्रमांक होगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. प्रस्ताव में उल्लिखित इमारतों हेतु उपरोक्त पत्राचार संकेतन संकेतन संकेतन द्वारा जारी सम्पत्ति कार्या के फालन में ही नई कार्यवाही की विनियम जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सू-सामग्री संकेती जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. राज्य सरकार, पत्राचार, कम और प्रस्ताव निर्धारण संकेतन नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परिवहन प्रस्ताव की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (समान कोटीकरण) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिष्कार प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

58. मैसर्स श्री सुनील कुमार राहु (राहुनदिया सिंग राहुन, ग्राम-राहुनदिया, तहसील-कसबाई, जिला-बलीदासपुर-नाटापारा), धनीर, तहसील-पारंगर, जिला-बांशीर-बोध (सचिवालय का नशी क्रमांक 1154)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीडी / एसआईए / 139726/2020, दिनांक 30/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित एक खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-राहुनदिया, तहसील-कसबाई, जिला-बलीदासपुर-नाटापारा जिला बांशीर-पारंगर क्रमांक 01, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित खदानों से निष्कासित प्रस्तावित है। खदान की आवेदन प्रस्तावित क्रमांक-88,000 धनीर-पारंगर-बोध है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. एन.सी.आई. की परीक्षा की प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खदान से निष्कासित कुल, बोध, लीकट एवं वात प्रदूषण नियंत्रण की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. नैत प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की आवेदन प्रस्तावित खदान में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का डिजिटल बंधन, प्रस्तावित में एक सतह के लेवल Levelling लेवल डिजिट में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। एन.सी.आई. Levelling हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बंधन मार्क (Controlled TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेट बंधन मार्क (TBM) में

आरएन, को-ऑर्डिनेटर (Co-ordinator) अंकित किए जाए। यह भी में टेम्पलेट फॉर्म नंबर (TSM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रभावीकरण उपरांत भेदोपचार सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।

- 4. वेतन प्रबंधन हेतु प्रस्तावित व्यय पर खनिज में उपरोक्त वेतन की सीमाई बनाने के लिए, उनी हेतुवेतन में कम से कम एक गहरा (ग्रेड) जोड़कर उसकी वार्षिक गहराई का बचन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेतन की वार्षिक गहराई हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।
- 5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी की धार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- 6. खनि पूर्ण में आवेदित खनन पर खनन हेतु अन्य क्षेत्र पर्यावरण संसाधन निर्देशन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), अलीशानद अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन निर्देशन प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), अलीशानद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती एवं आवेदित क्षेत्रों के पारलन में की गई कार्यवाही की जानकारी भेदोपचार सहित प्रस्तुत की जाए। तथा ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी भेदोपचार सहित प्रस्तुत की जाए।
- 7. यदि खनन पूर्ण से सम्बन्धित है, तो विगत वर्षों में खनि कर प्रबंधन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- 8. खनन संचालन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संबन्धित, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- 9. खनि निर्देशक एवं पर्यावरण संसाधन को खनन में किस की स्तरीयता (Levels) होने वाले तरीक (Surveys) के साथ आयाची तरह की आर्थिक बेटक में उपरोक्त संस्था सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन भेदोपचार) सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निर्देशक एवं पर्यावरण संसाधन को सहानुभव सूचित किया जाए।

59. केसरी सुसंगत आवेदनी स्तरीय कपारी (जे.- की सम्बन्धन सिद्ध) धाम-सुसंगत, एडमिल व जिला-सुसंगत (संविधान का नली क्रमांक 1166)

आवेदनी आवेदन - आवेदन नंबर - एन.आई.ए. / सी.ई. / एन.आई.ए. / 138951 / 2020, दिनांक 30 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित खनन क्षेत्र (मीन खनिज) खनन है। खनन धाम-सुसंगत, एडमिल व जिला-सुसंगत सिद्ध धार और खनन क्रमांक 06 कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टर में प्रस्तावित है। खनन की आवेदित खनन क्षमता-7,850 टन प्रतिवर्ष है।

बेटक का विवरण -

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रबंधन की नली एवं प्रस्तुत जानकारी एवं परीक्षण तथा विवरण सिद्ध उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. यदि खदान को पूर्ण से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो सभी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें एवं अभिवर्तित शर्तों के अन्तर्गत ही खदान में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटीघाटस सहित अस्तुतः की जाए। साथ ही सूचारु रूप से अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटीघाटस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की सार्वजनिक भाग की जानकारी सुनिश्चित विधान से अपाठित करने का प्रस्ताव की जाए।
3. सीमा सीमा से निकटतम एक बेल की पर्याप्त दूरी वाली जानकारी हेतु उन विभाग से जारी अपाठित प्रमाण एक (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालक, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार की ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण प्रमाण पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटीघाटस) के साथ अगली माह की शुरुआत में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

60. मैदानी खदान सीकर एण्ड इस्पात लिमिटेड, राम-हाडालपुरी, राहसील- दुर्गकोटस, जिला-उत्तर बंगाल जॉर्ज (सुविधात्मक का नक्का क्रमांक 788)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्ण से पर्यावरण स्वीकृति - एमआईए / सीसी / एमआईएम / 33508 / 2018, दिनांक 29/03/2018 द्वारा टी.जी.आर. हेतु आवेदन किया गया था। खदान में पर्यावरण स्वीकृति - एमआईए / सीसी / एमआईएम / 33508 / 2018, दिनांक 30/01/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट अस्तुतः किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित आवरण और (सुदूर दक्षिण) खदान है। खदान राम-हाडालपुरी एवं बंगाल राहसील-दुर्गकोटस, जिला-उत्तर बंगाल जॉर्ज सहित वन वन जॉर्ज क्रमांक 541 एवं 542 कुल क्षेत्रफल - 79 हेक्टर में है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तार के तहत खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (1.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Above threshold value, +45% Fe) एवं 0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Below threshold value, -45% Fe which is part of overburden)) तथा आवरण और आवेदित का आवरण करने हेतु न्यू आवरण और बेनिफिशिएशन फास्ट (जलमयी ड्राई/वेट) क्षमता - 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष की लिए आवेदन किया गया है।

एमआईएसी, पर्यावरण के अधिनियम दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रस्ताव की-1 संदर्भों का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालक द्वारा वर्ष 2019 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड्स एंड ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और कोटीघाटस/एकीकृत रिपोर्टिंग इन्फार्मेटिव स्वीकृति प्रमाण ई.आई.ए. गैरिफिकेशन, 2008 में उचित श्रेणी (ए) एवं (बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माइनिंग प्रोसेसिंग एवं मिश्रण बेनिफिशिएशन हेतु जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. लोक शौच से निकटतम एवं क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु एक विचार से जारी अनारबिड प्रमाण पत्र (अवधान) प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी किये गये टर्नर ऑफ रेजनेंस का प्रारंभ प्रीवेडन एवं लोक सुखाई में छावने गये बुद्धों से निकटतम की दिशा में अनारबिड कार्टेजरी की बन्दे योजना प्रस्तुत की जाए।
3. भावा प्रस्ताव, सर्वोत्तर, एक और अज्ञात परिचालन मंडल, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अवधान सीटीआफएम) को साथ आगामी बहू की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरानुसार सूचित किया जाए।

61. मेसर्स विल फ्लाई ऐक विस्स (प्री- बी डिरेक्टर प्रसाद राठी), ग्राम-हरेडी, सहरील-रहित, जिला-आंधीर-बांग (सचिवालय का मसौदा क्रमांक 333)

ऑनलाईन आवेदन - प्रमाणिक नम्बर - एनआईए /सीटी /एनआईए / 43330/2018, दिनांक 21/09/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से कारण दिनांक 04/10/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माहिल जानकारी दिनांक 01/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-हरेडी, सहरील-रहित, जिला-आंधीर-बांग स्थित प्रस्ताव क्रमांक 21/2, 22/1, 23/1, 25/1, 26, 27, 28/1, 29/1, 28/2, 29/2, 28/3 एवं 29/3, कुल क्षेत्रफल 1.06 हेक्टेयर में अस्थापित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) क्षमता-1,200 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. यदि खदान को पूर्ण में सर्वोत्तम स्वीकृति जारी की गई तो ही जारी परियोजना स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित जारी के प्रारंभ में की गई कार्यावली की जानकारी सीटीआफएम सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सूचरोपण की उपरान्त स्थिति की जानकारी फोटोआफ सर्टिफ प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्ण से संघटित है, तो विगत वर्ष में विद् गद् परखनन की वार्षिकिक्त माता की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।
 3. मागत सरकार, पर्यावरण, वन और प्रजस्यतु परिषदीन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त मागत पूर्ण जानकारी / वसतयेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ अगामी माह की बैठाक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरानुसार सूचित किया जाए।

82. मेसर्स श्री मोडरन राख्यारी (बलदेवपुर आईन स्टोन कारी), ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-सीतागढ, जिला-राजमंडगान (समिखालय का नसती क्रमांक 874)

ऑनलाईन आवेदन - परीक्षण नम्बर - एचआईए / सीजी / एमआईएन / 43804/2018, दिनांक 15/10/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में अतिथी होने के कारण दिनांक 11/11/2018 एवं दिनांक 31/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट जानकारी दिनांक 31/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संघटित कुल क्षेत्र (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-सीतागढ, जिला-राजमंडगान स्थित खदान क्रमांक 888, डा. 874(पार्ट) एवं 877 कुल क्षेत्रफल 1.295 हेक्टर में है। खदान की आवेदित परखनन क्षमता-12.500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठाक का विवरण -

(अ) समिति की 308वीं बैठाक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नसती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त तारीखमती से निम्ननुसार निर्देश किया गया-

1. विगत वर्ष में विद् गद् परखनन की वार्षिकिक्त माता की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।
2. मागत सरकार, पर्यावरण, वन और प्रजस्यतु परिषदीन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. मागत सरकार, पर्यावरण, वन और प्रजस्यतु परिषदीन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त मागत पूर्ण जानकारी / वसतयेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ अगामी माह की बैठाक में प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरानुसार सूचित किया जाए।

63. मेसर्स श्री सुलभ अग्रवाल लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-भाटिक डिस्ट्रिक्ट, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नक्की क्रमांक 383)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एचआईए / सीजी / एचआईएन / 42488 / 2019, दिनांक 28/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कनिशी होने से कारण दिनांक 14/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम जानकारी दिनांक 17/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघर्षित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम-भाटिक डिस्ट्रिक्ट, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव जिला कार्यालय क्रमांक 345/2, 307/1, 308/1(पोर्ट), 308/2(पोर्ट), 308/3 एवं 301(पोर्ट), कुल क्षेत्रफल 1.92 हेक्टेयर में है। खदान की अपेक्षित उत्पादन क्षमता-15,000 टन प्रतिघर है।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार किया गया। सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विचार नहीं में किंतु यह परामर्श की कार्यायिक माफ की जानकारी समित्व विभाग से प्राप्तकर कर कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार गैर-आवर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (असल फोटोकॉपी) के साथ जानकारी यह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सुविधा किया जाए।

64. मेसर्स इवियन इन्स्ट्रुमेंट्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-कुटीरगावा एवं खपरी, तहसील व जिला-दुर्ग (सचिवालय का नक्की क्रमांक 309)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एचआईए / सीजी / एचआईएन / 38153 / 2019 दिनांक 24/08/2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर एचआईए / सीजी / एचआईएन / 38082 / 2019, दिनांक 03/02/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-कुटीरगावा एवं खपरी, तहसील व जिला-दुर्ग जिला ग्राम-कुटीरगावा का खसरा क्रमांक 1, 2, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 30, 31/2, 97, 98, 99, 100, 101, 106/2, 108/2, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 150 एवं ग्राम-खपरी का खसरा क्रमांक 178, 177, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 200 एवं 213 में संघर्षित कन्स्ट्रक्शन

Handwritten mark

लिफ्टिंग क्रोकेट का स्पॉट कोकल - 13,88,300 वर्गमीटर तथा लिफ्टिंग क्षेत्रफल - 1,38,280 वर्गमीटर के पर्वतशरीर स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का निविदांक नम्बर 1402 जारी होगा।

एन.ई.ए.सी., धारपीसमरा के द्वारा दिनांक 05/11/2018 द्वारा प्रकल्प सी-1 कोटेनरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टैम्पाई एन्सि ब्लॉक रिक्वेस्ट (टीओआर) नम्बर ई.आई.ए./ई.ए.पी. सिस्टम और प्रोजेक्ट/एन.ई.ए.सी.के. विभागाधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट अथॉरिटी अन्दा ए.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2008 में अधिनियम 5(वी) उपखण्ड तथा एन.ई.ए.सी.के. प्रोजेक्ट/एन.ई.ए.सी.के. स्टैम्पाई एन्सि ब्लॉक रिक्वेस्ट (टीओआर) हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारियों का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. जारी टीओआर एवं नॉटिफिकेशन टीओआर में उपरोक्तित धारपी के प्रकल्प में जो नई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.ए.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारियों / दस्तावेज (अद्यतन नोटिफिकेशन) के साथ जानकारी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सूचित किया जाए।

65. कार्यपालन अधिपति उत्तर संसदधन विभाग, धारपी-कोलबिरा, तहसील-मरावाही, जिला-बिलासपुर (संविधानिक का मसौदा नम्बर 1158)

ऑनलाइन आवेदन - प्रकल्प नम्बर - एन.ई.ए.सी.के. /सी.टी. /आर.आई.पी. /138729/2020, दिनांक 04/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित विचार पट्टी परियोजना है। परियोजना धारपी-कोलबिरा, तहसील-मरावाही, जिला-बिलासपुर स्थित प्रस्ताव नम्बर 345/2, 357/1, 358/1(पार्ट), 358/2(पार्ट), 358/3 एवं 361(पार्ट), कुल कम्पारिबल कमाण्ड एरिया (Comparable Command Area) - 8006 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। परियोजना की प्रस्तावित जल क्षमता - 8.23 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की मसौदा एवं प्रस्तुत जानकारियों का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. प्रस्तावित विद्युतकालिका में जलवायु में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें वन जल क्षेत्र की टोपीवाली या वन क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसे- सूखे, अवनति आदि के प्रतिकार कार्यक्रम की व्यवस्था तथा क्षेत्र की जीव एवं वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अवश्यामय कार्य वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित स्थान की विविध स्थलाकृति पर करने वाले/उत्पन्न होने वाले परिवर्तन एवं पर्यायों की व्याख्या को सुझाए संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. वन क्षेत्र में सूखे की वजह प्रथम श्रेणी में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परिवर्तन में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपरा में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. प्रस्तावित परिवर्तन में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजमार्ग, निजी स्वामित्व, चट्टान आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की जी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परिवर्तन प्रस्तावक को सुनवाई का समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अवश्यामय पर्यवेक्षण) के साथ आगामी चार से षट्क में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परिवर्तन प्रस्तावक को सवानुसार सूचित किया जाए।

ईसक संघर्षावद ज्ञानन की साथ संलग्न दुई:


(आनंद कुमार त्रिपाठी सचिवान)
 सचिव
 राज्य वन विशेषज्ञ अफेन समिति
 उत्तरप्रदेश


(आनंद कुमार)
 अध्यक्ष
 राज्य वन विशेषज्ञ अफेन समिति
 उत्तरप्रदेश

मेसर्स श्री हेमवी अडवाल्, टांगरगांव रोप्वे नाईन
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 828, कुल क्षेत्र क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम-टांगरगांव,
तहसील-कासारगंज, जिला-जशपुर (झ.ग.) में नैनी नदी के रेत उत्खनन क्षमता 80,000
घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गांव अध्ययन (डिलीटेशन स्टडी) रिपोर्ट - परिशिष्टगत प्रस्तावक रेत उत्खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गांव अध्ययन (Village Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कायम राही जासके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघर्ष, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की शुद्धता पर रेत उत्खनन की प्रभाव को सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गांव अध्ययन (डिलीटेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तत्पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि उत्खनन क्षमिता विभाग द्वारा अधिसूचित किसी तालाब में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल लम्बाई 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान के रेत का अधिकतम उत्खनन 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत पुनर्भरण की स्थिति को अधिकतम हेतु परिशिष्टगत प्रस्तावक द्वारा माह नई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित दिग्ग विन्दुओं तथा क्षेत्र के अल्टीमेट एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के स्तर (Levels) का मापन भी लिए जाएगा। इससे अलग खसरा क्षेत्र के बाह्य / नदी तट (टोपी) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के स्तर (Levels) का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर/ नवंबर दिग्ग विन्दुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आखिरी दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आखिरी अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अतिरिक्त माह से एराईआईएर, एरॉसिअर की प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिग्ग विन्दुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन को जिनके किसी जलकरण यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर क्षेत्र में भारी चलने का उद्देश्य प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्र क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई मशीनें (Excavator etc) के लीविंग चाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर टोपी द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल विभिन्न, सौभाग्य एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान तल स्तर की ऊपरी सतह, टोपी से से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। कुल 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तट (शार्प बैंक) को जल छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 25 मीटर की दूरी को बरक किया जाएगा। किसी भी खुसिया, स्ट्रायटोम, बंध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी तट का वेम, टर्बिडिटी एवं जल बहाव से स्वस्थ पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र किसी क्षेत्र में किया जाए जिसने लंबा भ्रान्ति आत-गाता के क्षेत्र का कोई भी बीच-जम्बू उत्खनन हेतु निर्धार न हो। कंधुओं के उत्खनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, जल इन क्षेत्रों के जल स्रोत रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन ट्रिप को सलाह ही किया जाए। यह कार्य रात्रि को करना नहीं किया जाए।
12. परिवहनका इस्तेमाल द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न इलाकों वहां लोडिंग / अनलोडिंग करि के उत्पन्न होने वाले क्वैरिस्टिब इस्ट कम्पाउंड के निषेध हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे जल स्प्रेयर अथवा अन्य उपयुक्त उपकरण की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण का और जल वायु परिवर्तन, संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित स्थलों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन ट्रायलिन अथवा अन्य उपयुक्त वाहन से इसे हुए वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बचन नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को टायर से अधिक नहीं गठे जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़ पीपल, नीम्, इस्प, नीचू आम, इलाही, पीपल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा पशुप मार्ग पर 500 नग पौधे पर किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे वॉलेंटियर टार की बड का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त प्लांटोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली के और एन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार गै.ई.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 87	2%	Rs. 1.74	Following activities at Nearby Government Primary School	

			Village-Tangaraon
			Rain Water Harvesting System
			Potable drinking water facility
			Running water Facility for Toilets
			Solar lighting system
			Plantation work
			Total
			Rs. 1.74

17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का कार्याचार विस्तृत स्तर पर एवं आर्गै विस्तृत एक माह में अधिभार रूप से प्रस्तुत किया जाय। सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अधिभार रूप से पूर्ण किया जाय।
18. परियोजना प्रस्तावक सम्बन्धित क्षेत्र / राज्य सरकार के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से ित सम्बन्धित कार्य करने से पूर्व आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर क्षेत्र / राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाय।
19. उत्तीर्ण ग्रीन अधिनियम, 2015, राज्य सरकार द्वारा रीत सम्बन्धित हेतु जारी अधिनियम दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं अनुसूचक जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित सम्बन्धित योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाय।
20. कार्य स्थल पर यदि अधिनियम अधिनियम शर्तों पर लागू शर्तों हैं तो इन शर्तों के आयास प्रथित आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक सम्बन्धित सम्बन्धी संरचनाओं के रूप में ही सम्बन्धी है, जिन परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. शर्तों के लिए पालन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिसारणीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. शर्तों का समय-समय पर सम्बन्धित मण्डल अधिनियम किया जाये।
23. पालन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित सम्बन्धित योजना के अनुसार अधिनियम योजना में निर्धारित प्रकार का अधिनियम एमईआरए, उत्तीर्ण / राज्य सरकार, पर्यावरण एवं और सम्बन्धित परियोजना संसाधन, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति से किया नहीं किया जाय।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अद्यय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्बन्धित पर अधिनियम शर्तों का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तान अधिनियम अधिनियम अधिनियमों से अधिनियम अथवा क्षेत्र / राज्य एवं सम्बन्धित अधिनियम / विधियों के सम्बन्धित हेतु अधिनियम करता है।
25. एमईआरए, उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण की सुविधा से परियोजना की सम्बन्धित से परियोजना अथवा अधिनियम शर्तों के सम्बन्धित रूप से पालन न करने की दृष्टि से

किसी भी शर्त में संशोधन/निष्ठा करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा हटाने /
मिथ्याता को साबित होने और सजा करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।

26. परियोजना प्रस्तावक खुदसाह इ स्थानीय समाजक पक्षों में, जो कि परियोजना क्षेत्र
के जन-जन आवाज जन से प्रभावित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7
दिनों के भीतर इस अज्ञान की सूचना प्रस्तुत करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय
स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति एवं की प्रतियाँ अधिष्ठाता,
उत्पीनसद पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका
संबंधित नगर सरकार, पर्यावरण, एवं और जलवायु परिशीलन मंडल, नई दिल्ली
की वेबसाइट www.mortor.nic.in एवं एनईआईएए, उत्पीनसद की वेबसाइट
www.enee.org.in पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दो नई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्थात्
आर्थिक रिपोर्ट उत्पीनसद पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल मन्द,
जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्पीनसद पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एन
ईआईएए, उत्पीनसद एवं क्षेत्रीय पर्यावरण परीक्षण, एवं एवं जलवायु परिशीलन
मंडल, भारत सरकार, नयापुर को उपलब्ध किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण,
एवं एवं जलवायु परिशीलन मंडल, भारत सरकार, नयापुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति
में प्रदान शर्तों के पालन की समीक्षा की जाएगी।
28. एनईआईएए, उत्पीनसद पर्यावरण एवं एवं जलवायु परिशीलन मंडल, भारत
सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, एवं एवं जलवायु परिशीलन मंडल, भारत
सरकार, नयापुर / संशोधन प्रकल्प निष्ठाता बोर्ड/उत्पीनसद पर्यावरण संरक्षण
मण्डल के पेशानियों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने
वाली भीतरिणी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक उत्पीनसद पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की
गई शर्तों का अधिचार्य जन से पालन करेगा। वे शर्तें जिन (प्रदूषण नियंत्रण तथा
नियंत्रण) अधिनियम, 1986 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986,
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विचार,
परिष्ठातमक अधिष्ठा (प्रकल्प कार्यालय एवं सीमाधार संरक्षण) नियम, 2008 (जिन
संबंधित) तथा और अधिनियम और अधिनियम, 1986 (जिन संबंधित) को अधिन
विधिबिध की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना की बारे में एनईआईएए, उत्पीनसद के प्रस्तुत विवरण में
कोई भी विषय अथवा अधिष्ठा होने की वला में एनईआईएए, उत्पीनसद की
दुन नवीन जनकरी सहित सूचित किया जाए, ताकि एनईआईएए, उत्पीनसद
इस पर विचार कर शर्तों की उपपुष्टता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने संबंध
निर्णय ले सके। अथवा में कोई भी विचार अथवा सम्पदन एनईआईएए,
उत्पीनसद / भारत सरकार पर्यावरण, एवं और जलवायु परिशीलन मंडल, नई
दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. भारतीय राज्य पत्रिकात्मक संस्करण संख्या पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को अपने क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं शरीर केंद्र एवं बजेट/राष्ट्रीय स्तर कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित करें।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील केवल हीन ट्रीभ्यूनल के समक्ष केवल हीन ट्रीभ्यूनल एक्ट 2002 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिनों की अवधि में ही जा सकती है।

सचिव, एन.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एन.ई.ए.सी.

बैलारी की किरोन्ड कुमार अरवजाल, राधापुर बीमर माईन की पार्टी ऑफ़ खसरा क्रमांक 269, कुल क्षेत्र क्षेत्र 3.44 हेक्टर, ग्राम-राधापुर, तहसील-बीलानपुर, जिला-राधापुरा (छ.प्र.) में मानव नदी से रेत उत्खनन क्षमता 34,400 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु लिए है।
2. यह अध्ययन (सिस्टीम स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Site/soil Study) कराविया, ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) वापस लाने के लिए, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, आसानी उपलब्धि, जल एवं सूखे जैसी जो प्रभाव रेत की पारि की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त यह अध्ययन (सिस्टीम स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही अगामी अवधि की लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान क्षतिग्रस्त विभाग द्वारा अधिसूचित किसी तालाब में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 3.44 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 34,400 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। पर माईनिंग क्षेत्र एवं अन्वेषण रेत माईनिंग क्षेत्र का नीचे पर क्षतिग्रस्त विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाए।
5. रेत पुनर्भरण की स्थिति के अध्ययन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह यह वर्ष 2020 के आगे में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित निम्न बिन्दुओं तथा सीज के अन्वेषण एवं अन्वेषण में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा खनन सीज के सतह / नदी तट (किनारे) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार मोरह-बनरून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व यह अन्वेषण इसी दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा। मोरह-बनरून के अंकित दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं बी-बनरून के अंकित दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए. अन्वेषण के प्रस्तुत किए जाएंगे। रेत खदान के पूर्व निर्धारित निम्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन का कार्य लगभग 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Machinery) की जाएगी। इन परियोजना के लिए किसी उपकरण मशीन (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निम्न बंद में नहीं चलने का प्रवेश प्रतिक्रिया होगा। सीज क्षेत्र में निम्न रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अधिक खोदें तक रेत का अधिकतम ट्रेक्टर द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन सीज विभिन्न सीमांकित एवं अंकित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा अधिकतम जल सतह की उपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिधि

में उच्च स्तर के गीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की सा नहीं तल (हाई सील) को उभार लीजा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटी के कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो संरक्षण हो किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सोंक से न्यूनतम 24 मीटर की दूरी को बांध किया जाएगा। किसी भी सुरिया, स्टापवेन, बंध, एनीकट, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र लीजा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी उच्च का बेम, लैंडिंग्टी एवं उच्च बहाव को स्थल पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र परी क्षेत्र में किया जाए जिससे तल जिससे क्षण-बाध के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्मित न हो। कचुर्की के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के क्षण यत्न रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं नगाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परिवहनवाह प्रत्येक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभावी तथा लॉजिंग / अलॉजिंग आदि से बालन होने वाले कचुर्कीटिव अल उत्खनन के निराकरण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे उच्च रिड्रकशन अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता मांसा कचरा, पर्वीकरण, वन और उच्च वायु परिवर्तन, संकलन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित स्थानों के अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन (एम्बेलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसे हुए माहन से किया जाए, ताकि रेत बालन से बहार नहीं गिरे। अनिज उच्च परिवहन कर रहे कचुर्की को क्षण से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर लक्षण प्रकल्प द्वारा वर्ष 2020 में गरीबों के कटाय जो टोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टर पर लीज क्षेत्र के अनुसार कचुर्की, पापुन, बह, पीपल, नीम, कसज, सीसू, अण्ड, इलाही, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा कचुर्की मार्ग पर 500 नग पौधे किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्वीय व्यवस्था (यथा कंडिशन भाव की काज का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त प्रभावी प्रकल्प वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. मांसा कचरा, पर्वीकरण, वन और उत्खनन परिवहन मांसा, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund

				Allocation (in Lakh)
			Following activities of Nearby Government Primary School Village-Rathpur	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
Rs. 78	2%	Rs. 1.58	Potable drinking water facility	Rs. 0.20
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Solar lighting system	Rs. 0.40
			Plantation work	Rs. 0.28
			Total	Rs. 1.58

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यवाहक विस्तृत जगत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संश्लेषित बौद्ध / राज्य शासन की विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थानों से वेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पवन एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर बौद्ध / राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रादेशिक पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन में गोप्य अनियम नियम, 2016 राज्य शासन द्वारा वेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2016 के प्रावधानों/शर्तों एवं परिणाम जारी दिशा निर्देशों अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय उत्खनन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य जगत पर यदि कंमिन् अधिक कार्य पर लभावे जारी है तो ऐसे अधिकारी को आवश्यक अधिकार तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी जारी। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी संश्लेषित कार्य के रूप में ही जारी है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. अधिकारी को निरुत्तर जगत पर स्वयंसेवक प्रकल्प प्रकल्पित सुविधा, संकल्पित एम्प्लोई आदि को आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी जारी।
22. अधिकारी का समय-समय पर जासुपेक्षात्मक हेतु सुनिश्चित कराया जावे।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए. प्रादेशिक / राज्य सरकार, पर्यावरण मन्त्रालय उत्खनन परियोजना संस्थाएं, कई विभागीय एवं अनुमोदित के बिना नहीं किया जाए।

24. इस पारिस्थीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार करने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अधिकतम अथवा कम, बाधा एवं स्थानीय समुदायों / विधियों के कार्यान्वयन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सवीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के कार्यान्वयन एवं नैतिक न करने की दृष्टा से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा अद्यतन / निरस्त करने के मामलों को जीव जन्तु करने के अतिरिक्त सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाजकार गठनों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से वितरित हैं, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करने का परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति एवं भी प्रविष्टी अधिभारक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अद्यतन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अद्यतन करत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envtor.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. अंतर्राष्ट्रीय की वेबसाइट www.seiacc.org पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की कई जांचें विशेष विशेष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल, तथा वायपुर अटल मन्त्र, जिला-वायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अन्धिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, वायपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, वायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदला शर्तों के पालन की विनिर्दिष्ट की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, वायपुर / क्षेत्रीय अद्यतन निबंधन बोर्ड / अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों में अनुपातन के संबंध में की जाने वाली सौविधनि हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (अद्यतन निबंधन तथा निबंधन) अधिनियम, 1984 तथा (अद्यतन निबंधन तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाई गये नियमों, परिसरगत पर्यावरण (अद्यतन इच्छात्मक एवं जीवाणु संरक्षण) नियम, 2006 (जल संरक्षण) तथा लोक दायित्व बोधा अधिनियम, 1989 (जल संरक्षण) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. अंतर्राष्ट्रीय में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दृष्टा में एस.ई.आई.ए.ए. अंतर्राष्ट्रीय की पुनः कौन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. अंतर्राष्ट्रीय

इस पर विचार कर सारी की सुपुत्रता कक्षा नीचे सार निदेश करने कक्ष निर्देश ले सके। प्रदान में कोई भी विचार कक्षा कक्षाएं एस.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ / भासा संस्थान, पर्यटन, पत्र और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. छातीसंगठ पर्यटन मंत्रालय कक्षा पर्यटनशील स्वीकृति की इति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं उद्योग सेक्टर एवं कलेक्टर/छातीसंगठ कार्यालय में 30 दिनों की अवधि में लिये प्रेषित करें।

32. पर्यटनशील स्वीकृति को विच्छेद अवधि में नए दिन ट्रेडिंग के साथ मंत्रालय की ट्रेडिंग एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव एस.ई.ए.सी.

सदस्य, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स की दीपक गुआ, अमेटी वीमर साईन

की खनन इलाक 304, कुल जीव क्षेत्र 4.59 हेक्टर, डाम-अमेटी, तहसील व जिला-अमराठी (छ.ग.) में महापदी से रेत उत्खनन क्षमता 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में डी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (मिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना परामर्शक रेत खदान क्षेत्र में आसानी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Detailed Study) करावेगा, ताकि रेत की गुणवत्ता (Implication/Quality) समझ सके जायके, रेत उत्खनन का नती नतीकरण स्थानीय जनसमिति, जीव एवं मनुष्य जीवों पर डामा तथा नदी की घानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव को सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (मिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनन विभाग द्वारा अधिसूचित किसी सतह पर है, ऊंचा 500 मीटर के नीचे स्वीकृत रेत खदानों का कुल प्रका 3 हेक्टर से अधिक होना है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.59 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम प्रत्यक्ष 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत गुणवत्ता की स्थिति के अनुसार रेत परियोजना परामर्शक द्वारा माद मई 2020 से जून में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन करना होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित विश्व विन्दुओं तथा जीव की जलस्ट्रीम एवं जलनल्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह की लेवल्स (Levels) का मापन भी किए जाएंगे। इसके अलावा खनन जीव की कट्टर / नदी बट (दोरी) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व यह अनुरोध इसी विश्व विन्दुओं पर रेत सतह की लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोट-मानसून के आरंभ दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्र-मानसून के आरंभ अवधि 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए., जलनीलमंड की प्रस्तुत विश्व जायगी। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विश्व विन्दुओं पर रेत सतह की लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आसानी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई मनिगी द्वारा (Manually) की जाएगी। इस परियोजना के लिए किसी उपकरण मंत्रिक (Machinery) का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत रेत में नहीं जाएगी का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। जीव क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई मंडले (Excavation pit) से जलिन चार्ज्ड एक रेत का परितहन ट्रेक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल निर्धारित सीमांकित एवं धीमा क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा पर्यायन जल सतह की ऊंचाई सतह, दोरी में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिधिस्थि में जल सतह की नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर सीमाई तक की रेत नदी तक (टाई रोक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर ऊंचा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को भी अधिक हो होकर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षय न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 71 मीटर की दूरी को बांध किया जाएगा। किसी भी सुनिश्चित, रस्तावेज, बांध, एम्बैल्ड, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाये अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल प्रदाय के संकेत न कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र तटीय क्षेत्र में किया जाए जिससे जल-वायु के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु उत्खनन हेतु निर्भर न हो। बाघों के उत्खनन इकाइयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, जहां इन क्षेत्रों को आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्रों तथा लेजिंस / अनलैजिंस आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों वाले अनुमतिपत्र प्राप्त उत्खनन से निवृत्त हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण मासक्या जैसे जल छिड़कना अथवा अन्य उपयुक्त मासक्या की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, संकल्प, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित समझौते से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन अनलैजिंस अथवा अन्य उपयुक्त मासक्या से जारी हुए धूल उत्खनन से किया जाए ताकि रेत उत्खनन से उत्पन्न नदी तटों, खनिज का परिवहन कर रहे क्षेत्रों को क्षय से अधिक नहीं कर अन्य सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में धानि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. उद्योगिता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025 में नदीतट को अटाय की रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर लीड क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़ पीपल, नीम, कस्तूर, सीसू, आम, इमली, चीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पीछों का रोपण नदी तट पर तथा पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पीछे किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जहां कस्टोडियन टार की बांध का उपयोग) किया जाए। उद्योगिता प्लांटोपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संकल्प, नई दिल्ली के आ एन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School	

			Village-Arnothi	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.15
			Plantation work	Rs. 0.25
			Total	Rs. 0.80

17. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का कार्यावर विस्तृत ज्ञान एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सीईआर के उच्च निर्धारित तर्कोंवाली 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य सरकार की विभागी, मजदारी एवं अन्य संस्थाओं से रेल उत्खनन प्राप्त करने की पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भारतीय पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों / कार्यनिर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. भारतीयगण्ड मीग अधिनियम, 2014, राज्य सरकार द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के अन्वयों/शर्तों एवं तदनुसार जारी विचार निर्देश, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कर्मियों अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे कर्मियों के आयुक्त उचित स्वास्थ्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जायगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापक अस्थायी संरचनाओं के रूप में जो सकती है, विषय परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. कर्मियों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसामग्री सुविधा, सोबाइल टॉयलेट आदि की आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. कर्मियों का समय-समय पर आयुर्वेदानुसार हेल्थ सर्वेक्षण कराया जावे।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एमईआईएए, भारतीयगण्ड / भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय नीतियों को पालन करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्था पर अधिकतर दायित्व का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय नीतियों किसी निजी व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय समूहों / विधियों से उत्खनन हेतु अधिकृत करता है।
25. एमईआईएए, भारतीयगण्ड पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समाप्ति के परिष्कार अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत रूप से पालन न करने की प्रथा में

विशेष की शर्त में संशोधन/निर्माण करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा वास्तविक /
निष्पत्ति की गणनाओं को और सशक्त करने का अधिकांश सुनिश्चित किया है।

26. परिवर्तन प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवर्तन क्षेत्र
के आम-वास प्रभाव क्षेत्र में प्रकाशित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7
दिनों के भीतर इस आचार्य की सूचना प्रसारित करेंगे कि परिवर्तन को पर्यावरणीय
स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह पर्यावरणीय स्वीकृति एक को प्रेषित अधिसूचना,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जारीकृत हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका
अवलीकृत मासिक सार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली
की वेबसाइट www.epw.mca.gov.in एवं एआईआईएए, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट
www.iamctg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई शर्तों को प्रत्यक्ष हेतु की नई शर्तों की जो
वर्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अंतर्गत नगर,
जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एआई
आईएए, छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय, नया रायपुर, रायपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति
में प्रस्ताव शर्तों को प्रत्यक्ष की परिशोधन की जाएगी।

28. एआईआईएए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया
रायपुर / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया
रायपुर / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया
रायपुर / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया
रायपुर / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया
रायपुर को प्रेषित किया जाए।

29. परिवर्तन प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की
नई शर्तों का अधिकांश रूप में प्रत्यक्ष करेगा। ये शर्तें वास्तविक (अनुभव विचारण तथा
निष्पत्ति) अधिनियम, 1974 वायु (अनुभव विचारण तथा निष्पत्ति) अधिनियम, 1981,
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी,
परिभाषित अधिनियम (प्रधान मंत्रालय एवं सीमांत संरक्षण) विधायी, 2008 (जिस
संशोधित) तथा लोक सभियत विधायी अधिनियम, 1981 (जिस संशोधित) में अंतर्गत
निर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परिवर्तन की बारे में एआईआईएए, छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में
कोई भी विचारण अथवा परिवर्तन होने की बात में एआईआईएए, छत्तीसगढ़ को
पुनः नवीन प्रस्तावनी प्रति सुनिश्चित किया जाए। एआईआईएए, छत्तीसगढ़
इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने प्रत्यक्ष
निर्णय ले सके। प्रस्ताव में कोई भी विचारण अथवा प्रस्तावक एआईआईएए,
छत्तीसगढ़ / नया रायपुर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई
दिल्ली को प्रेषित करे बिना नहीं किया जाए।

31. भारतीयगण्ड पर्यावरण संरक्षण आयोग पर्यावरणीय क्षतिकृति की प्रति को उसके राष्ट्रीय कार्यालय, जिम्मा-अफ़सर एवं उद्योग संचालक एवं सरोवर/सहकारी/समाजिक कार्यलय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय क्षतिकृति के विवाद अथवा नैसर्गिक चीज टूटवूनज को सन्धान नैसर्गिक चीज टूटवूनज एकर 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में ही जा सकेंगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सेक्टर बीमती काठिनी सिंच, बीरही रोपक बाईन

को चर्ट अधिक लम्बाई क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.85 हेक्टर, ग्राम-बीरही,
ताहरील-कगलौक, जिला-धनकुटा (सि.ग.) में खानदो से बेल उत्खनन क्रमांक 75,000
धनकुटा प्रतिबंध हेतु प्रस्तावित पर्यवेक्षण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. ग्राह अव्ययन (डिस्सेशन स्टाडी) रिपोर्ट – त्रिदिवसीय क्रमांक से सुदाम क्षेत्र में आधारी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अव्ययन (Excavation Study) कायम, ताकि ग्राह के पुनर्माण (Reconstruction) बाबात ग्राह अधिकार से उत्खनन का मदी, नदीतल स्थानीय स्थिति, लीज एवं सूक्ष्म क्षेत्रों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की पुनर्माण का ग्राह उत्खनन की इकाई पर सही जानकारी प्राप्त हो सके; तथा ग्राह अव्ययन (डिस्सेशन स्टाडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की आधारी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति उद्दान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि सुदाम अधिक विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत ग्राह सुदामों का कुल लम्बाई 8 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.85 हेक्टर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान की गेज का अधिकतम उत्खनन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. ग्राह पुनर्माण की स्थिति के अनुसार हेतु परिसीपना परमाणु द्वारा ग्राह मई 2020 को अन्त में सम्पूर्ण पूर्व (ग्राह उत्खनन सम्पन्न होने के बाद) ग्राह सुदाम में पूर्व निर्धारित विश्व बिन्दुओं तथा लीज के क्लस्टर एवं क्लस्टरों में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक की गेज स्तर की लेवलिंग Levels का मापन भी किया जाएगा। इसके अलावा लीज की चढ़न / गदी स्तर (दीर्घ) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में गेज स्तर की लेवलिंग Levels का मापन भी किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट-समर्थन में गेज उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व ग्राह (पूर्व) इसी विश्व बिन्दुओं पर गेज स्तर की लेवलिंग Levels का मापन किया जाएगा। पोस्ट-समर्थन के अन्तर्गत विसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं मी-समर्थन के अन्तर्गत अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एम्प्लॉयमेंट, स्थानीयता को प्रस्तुत किए जाएंगे; गेज स्तर की पूर्व निर्धारित विश्व बिन्दुओं पर गेज स्तर की लेवलिंग Levels का मापन का कार्य आधारी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. गेज की सुधारे धनियां उपकरण (Machinery) की जाएगी। इस उपकरण के लिए किसी उपकरण मॉडल (Machinery) जारी का उपयोग नहीं किया जाएगा। निरंतर सेट में गानी गहनी का अंश अधिसूचित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित गेज सुधारे गहने (Excavation pits) में उपरि धाईर तक गेज का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
7. गेज का उत्खनन निरंतर विभिन्न, सीमित पूर्व सीमित क्षेत्र में ही किया जाएगा। गेज उत्खनन की अधिकतम गहनाई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान गेज स्तर की अन्तरी गेज, क्षेत्रों में ही हो कर हो, से अधिक नहीं होगी। गेज का उत्खनन किसी भी परिधि में कम गेज की नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर चौड़ाई तक की गेज नहीं हल (ड्राई रीक) को उभार होता-मान्य अव्ययन है।

↓

8. रेत उत्खनन नहीं तटों से कम से कम 10 मीटर ऊंचा नदी की तीरछाई के 10 इतिहास की दूरी जो भी अधिक हो होकरन ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की तीरछा से न्यूनतम 38 मीटर की दूरी से बाध किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टेशन, अंग, इन्फोर्स्ट, जल प्रदाता व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, लॉजिस्टिक्स एवं जल प्रदाता के व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र जमी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसको आवा-वात के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन क्षेत्र निर्मित न हो। कस्तूरियों के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों को क्षरण पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परिवहन प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन स्थिति प्रयोगी स्पष्ट लॉजिस्टिक्स / इन्फोर्स्टिंग आदि से राखन होने वाले क्युजिटिव इस्ट उत्खनन के निपटन हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव प्रयोगी अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल जल वायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन इन्फोर्स्टिंग प्रयोगी अन्य उपयुक्त वायुमय से दूर दूर रहने से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। कृषिज का परिवहन कर भी वाहनों को क्षमा से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में भूनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्रभावितता के आधार पर संदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट से कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग जल डैम्टर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्बुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कर्ज, सीसू, आम, इगली, लीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा पट्टेच मार्ग में 1,000 नग पौधे किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे बरदेदार तार की बड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त पुनरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं जल सततता परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 04/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (In Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School	

			Village-Dom Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Running Facility for Toilets	Rs. 0.15
			Plaster work	Rs. 0.25
			Total	Rs. 0.80

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यान्वयन विस्तृत तालिका एवं कार्य विवरण एक फाइल में अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही 25 फाइल में अतिरिक्त रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र / राज्य शासन के विभागीय स्तरों एवं अन्य संस्थाओं से रेल परियोजना आरंभ करने की पूर्ण आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण (जल परियोजना संबंधित) हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / भारतीयपट्ट पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों / सर्वाधिकार का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. भारतीयपट्ट रेल अधिनियम, 2015, राज्य शासन द्वारा की परियोजना हेतु जारी अधिनियम दिनांक 2/3/2015 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी किए निर्देशों, अनुमोदित अनुदान योजना एवं प्रादेशीय अनुदान योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कौन-कौन-से अधिनियम कार्य का अंग है तो ऐसी शर्तों के अन्तर्गत उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। प्रादेशीय अनुदान प्रस्तावक संबंधित कार्य के रूप में ही समझेंगे हैं, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. शर्तों के लिए समय-समय पर संचालन परियोजना विभिन्न स्तरों पर, नगरपालिका, जिला, राज्य एवं केंद्र स्तरों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. शर्तों का समय-समय पर अनुमोदित होना सुनिश्चित कराया जाये।
23. अनुदान की प्राप्ति, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित अनुदान योजना के अनुसंधान संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए. भारतीयपट्ट / राज्य सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधि परियोजना मंत्रालय, नई दिल्ली को पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय नीति को ध्यान देने का अन्तर्गत सभी परियोजना अन्तर्गत अनुदान पर अतिरिक्त शर्तों का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय नीति किसी निजी संस्था को अनुदान प्रदान करने अन्तर्गत अधिकारों के अतिरिक्त अन्तर्गत केंद्र, राज्य एवं स्थानीय अनुदान / विविधों के अनुदान हेतु अधिभूत करता है।
25. एन.ई.आई.ए. भारतीयपट्ट पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की शर्तों में परियोजना अन्तर्गत निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत रूप से पालन न करने की दशा में

विनी की हॉट में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई हॉट जोड़ने अथवा उन्मूलन / निरस्तान की मामलों को और स्पष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।

26. परिचालन प्रस्तावक अनुमान 2 अर्थात् समन्वय पत्रों में, जो कि परिचालन क्षेत्र को आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की 7 दिनों के भीतर इस प्रकार की सूचना प्रसारित करेगा कि परिचालन को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र को प्रतियों अधिवाहक, उत्तरीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हो चुका है। साथ ही इसका अद्यतन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.mef.gov.in एवं एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसंग्रह की वेबसाइट www.seiascp.org पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही गई हॉट के पालन हेतु की गई कार्यवाही को सर्व प्रथम विरोध उत्तरीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अदलें नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसंग्रह एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव हॉट को पाठन की सुनिश्चित की जाएगी।
28. एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसंग्रह, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर / संघीय प्रमुख निदेशक बीई / उत्तरीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाइट / अधिकारिणी को हॉट के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली सुनिश्चित हो चुका संबंध प्रदान किया जाए।
29. परिचालन प्रस्तावक उत्तरीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा ही गई हॉट का अतिरिक्त रूप से पालन करेगा। ये हॉट जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा निरोधन) अधिनियम, 1986; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तहत बनाये गये विधियों, परिशुद्धक अधिष्ठ (प्रदूषण नियंत्रण एवं सीमांकन संयोजन) नियम, 2008 (जहां संशोधित) तथा लोक स्वीकृति विनियम, 1987 (जहां संशोधित) के अर्धीय विनियमों की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परिचालन के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसंग्रह में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा गतिशील होने की बात में एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसंग्रह को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसंग्रह इस पर विचार कर हॉट की उपयुक्तता अथवा नवीन हॉट निर्दिष्ट करने अथवा निर्णय ले सके। अद्यतन में कोई भी विवरण अथवा अद्यतन एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीसंग्रह / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24. भारतीयसमूह पर्यावरण संरक्षण समूह पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को इनकी संघीय कार्यालय, गिवा-ब्याहार एवं कसौग जेन्ड एच कार्यालय/महसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिये प्रदर्शित करेंगा।

25. पर्यावरणीय स्वीकृति को विस्तृत अवधि केवल हीन ट्रीब्यूनल के संघ, गिवा-ब्याहार हीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2013 की धारा 14 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि के लिये प्रदर्शित करेंगे।

सचिव, एस.ई.ए.सी.

सचिव, एस.ई.ए.सी.